लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
17-7-84
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया। *Price : One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26, बुधवार 28 अगस्त, 1968/6 भाद्र, 1890 (शक)
No. 26, Wednesday, August, 28, 1968/Bhadra 6, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या — Starred Question Nos.

	विषय — Subject	पृष्ठ/Pages
721	मनीपुर के कुछ क्षेत्रों का नागालैंड के साथ विलय — Merger of Areas of Manipur with Nagaland	1-5
723	साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले समाचार पत्रों के लिये विज्ञापन — Advertisements for News papers carrying on communal Propaganda	5-9
724	भारतीयों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार — International Awards to Indians	9-12
725	केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई वैकल्पिक योजना — Alternative Plan prepared by Kerala State Planning Board	12-13
726	केरल का विकास — Development of Kerala	13-16
	अल्प सूचना प्रश्न — Short Notice Question	
14	नई दिल्ली में कृषि भवन के सामने की भूमि का पेट्रोल पम्प के लिये नियतन — Allotment of Petrol Pump Opposite Krishi Bhavan, New Delhi	17-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर — Written Answers to Questions

तारांकित प्रश्न संख्या — Starred Question Nos.

722	'बाल्टीमोर सन' के एक सम्वाददाता का लेख — Article by a Correspondent of 'Baltimore Sun'	19-20
727	निर्यात नीतियों सम्बन्धी सलाहकार दल — Consultative Group on Export Policies	20
728	जनरल केटो की हत्या — Murder of General Kaito	21
729	फिजो द्वीप की स्वतंत्रता — Independence to Fiji Island	21
730	उपग्रह छोड़ने का केन्द्र — Satellite Launching Station	21-22
731	शिवाजी की तलवार — Sword of Shivaji	22
732	दमकल सेवा अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण संस्थान — Fire Service Research Development and Training Establishment	22-23

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ, Pages
733	मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारण अखबारी कागज का कोटा नियत न किया जाना	Non-allotment of Newsprint Quota for non-implementation of Wage Board's recommendations	23
734	चौथी योजना की योजनाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लिये धन का आवंटन	Allocations for Fourth Plan Schemes for different Sectors	23
735	सेवानिवृत्त सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायु-सैनिकों के लिये पेंशन	Pension to Retired Soldiers, Sailors and Airmen	23-24
736	चौथी योजना तैयार करना	Formulation of Fourth Plan	24
737	श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन एजेंसियां	Advertising Agencies of Directorate of Audio-Visual Publicity	24-25
738	स्थायी वार्ता व्यवस्था का पुनरारम्भ	Revival of Permanent Negotiating machinery	25-26
739	काश्मीर के बारे में पाकिस्तान का प्रचार	Pak Propaganda on Kashmir	26
740	ब्रिटेन में रहने वाले सिख	Sikh Residents of U. K.	26-27
741	काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान को उत्तर वियतनाम से समर्थन	North Vietnam's Support to Pakistan on Kashmir	27
742	काश्मीर में आकाशवाणी के संवाददाता	A.I.R. Correspondents in Kashmir	27
743	गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन	Non-aligned summit conference	27-28
744	चौथी योजना	Fourth Plan	28
745	परमाणु हथियार ले जाने वाले विमानों की उड़ान पर प्रतिबन्ध	Ban on Flight of Aircrafts Carrying Nuclear Weapons	28-29
746	चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with China	29
747	चिटगांग में अमरीकी आण्विक सर्वेक्षण केन्द्र	U. S. Nuclear Survey Station at Chittagong	29
748	छावनी क्षेत्रों में असैनिक जनसंख्या	Civilian Population in Cantoment Areas	29-30
749	पूर्वी घाट में राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करना	Rocket Launching Station on East Coast	30
750	चलचित्र उद्योग में संकट	Crisis in Film Industry	30-31
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**	
6171	केनिया से भारतीय लोगों का भारत में आना	Indians from Kenya coming to India	31-32
6172	बाल चलचित्र समिति के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही	Action against former Secretary of children's Film Society	32

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6173	हमीरपुर जिले के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of District Hamirpur	32
6174	परमाणु विज्ञान में हुई प्रगति को लोक प्रिय बनाना तथा उसका प्रचार करना	Popularisation and Publicity of progress in Nuclear Science	33
6175	तारापुर रिएक्टर	Tarapore Reactor	33
6176	चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये गुजरात की योजना का प्रारूप	Draft Plan of Gujarat for inclusion in Fourth Plan	33-34
6177	आकाशवाणी में वर्क्स मुन्शी	Work Munshis in A.I.R.	34
6178	आकाशवाणी में अपर डिवीजन क्लर्क	U.D.Cs. in A.I.R.	34
6179	चलचित्रों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against certain Films	34-35
6180	समाचार ऐजेंसियों को भुगतान	Payments to news agencies	35
6182	नागालैण्ड में आर्य समाज के धर्म प्रचारक	Arya Samaj Missionaries in Nagaland	36
6183	नागालैण्ड में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order in Nagaland	36
6184	1967-68 की वार्षिक योजना में किया गया कार्य	Achievements of Annual Plan (1967-68)	36-37
6185	खाद्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय रक्षित आपात-कालीन दल	International Emergency Reserve Force for Food	37
6186	आकाशवाणी के कलाकारों की हड़ताल की धमकी	Strike Threat by A.I.R. Artistes	38
6187	कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण	N.C.C. Training in Colleges	38
6188	छिपे हुए नागा लोग	Underground Nagas	38-39
6189	नई दिल्ली में सिनेमाघरों द्वारा चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Cinematograph Act by Cinema Houses in New Delhi	39
6190	राष्ट्रीय छात्रसेना दल के वरिष्ठ डिवीजन में कैडेटों की संख्या में कमी	Reduction in strength of Senior Division of N.C.C.	39-40
6191	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्यात	Exports during Fourth Plan	40
5192	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये वीसा की सुविधायें	Visa Facilities for G.D.R.	40
6193	अणु बिजली	Nuclear Energy	40
6194	आयरलैंड में प्रधान मंत्री की यात्रा	Visit by Prime Minister of Ireland	41

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	बिषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6195	प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें	Defence Requirements	41-42
6196	एवरेस्ट क्षेत्र में चीन का गुप्त अड्डा	Chinese Secret Base in the Everest Area	42
6197	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को यूरेनियम की सप्लाई	Supply of Uranium by USA to Pakistan	42
6198	उप-विधि मन्त्री द्वारा एक अरब देश में एक बैठक में भाग लिया जाना	Attendance of Deputy Law Minister in a meeting in an Arab Country	43
6199	जालंधर छावनी बोर्ड	Jullundur Cantonment Board	43
6200	गवेषणा संस्थापन प्रतिरक्षा प्रयोगशालाएं	Defence Research Establishments Laboratories	44
6201	काश्मीर हाउस, नई दिल्ली	Kashmir House, New Delhi	44
6202	संस्थानों/प्रयोगशालाओं के निदेशकों की वित्तीय शक्तियां	Financial powers of Directors of Establishments Laboratories	45
6203	मिजो पहाड़ियों के बारे में पाकिस्तान द्वारा अधिसूचना	Pak. Notification Reg. Mizo Hills	45
6204	सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission at Saigon	45-46
6205	पाकिस्तान में भारतीय धार्मिक संस्थायें	Indian Religious Institutions in Pakistan	46
6206	रंगीन चलचित्र	Coloured Films	46-47
6207	भारतीय विदेश सेवा (बी) में पदोन्नतियां	Promotions in I.F.S. (B)	47
6208	खान अब्दुल गफ्फार खाँ की विचारधारा आदि के सम्बन्ध में आकाशवाणी के कार्यक्रम	Programmes on A. I. R. on Khan Abdul Ghaffar Khan's Ideology etc.	48
6209	विदेशों को प्रतिनिधि मंडल	Delegations to Foreign countries	48
6210	प्रतिरक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in Defence Ministry	49
6211	भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption	50
6212	कपड़े तैयार करने के कारखाने	Clothing Factories	50
6213	कूपर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर	Cooper Allen and Company, Kanpur	50
6214	आकाशवाणी का विशेषज्ञ सेवा एकक	Expert service cell of A.I.R.	50-51
6215	भारत बर्मा सीमा को बन्द करना	Sealing of Indo-Burmese Border	51
6216	समाचार बुलेटिनों के लिये समय अनुसूची	Time Schedule for News Bulletins	51

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6217	गोआ के स्वतंत्रता संग्रामियों की रिहाई	Release of Goan Freedom Fighters	51-52
6218	आकाशवाणी से संस्कृत कार्यक्रम	Sanskrit Programme on A.I.R.	52
6219	दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम	Television programme in Delhi	52-53
6221	राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के विदेशों के दौरों में उनके साथ जाने के लिये पत्रकारों का चयन	Selection of Journalists for President's and Prime Minister's tours Abroad	53
6222	कनाडा की फर्म के लिये परामर्श कार्य	Consultancy Work of Canadian Firm	53
6223	हिन्दी में प्रसारण	Hindi Broadcasts	54
6224	काश्मीर के बारे में प्रकाशन	Publication on Kashmir	54
6226	श्रीनगर में टेलीविजन	T.V. in Srinagar	54-55
6227	भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर वार्ता	Exchanges at Diplomatic Level between India and Pakistan	55
6228	भारत को रूस से आर्थिक सहायता	Soviet Economic Aid to India	55
6229	पहला भारतीय फ्रिगेट	First Indian Frigate	55-56
6230	रूस के विरुद्ध चीन का आरोप	Chineses Accusation against USSR	56
6231	शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये समुद्र के धरातल का संरक्षण	Preservation of Sea Beds for peaceful purposes	56-57
6232	चीनियों द्वारा पाकिस्तान में इंजीनियरी उद्योग समूह-का स्थापित किया जाना	Setting up of Engineering Complex in Pakistan by the Chinese	57
6233	हिन्दुओं के बारे में राष्ट्रपति अयूब का वक्तव्य	President Ayub's Statement reg. Hindus	57
6234	मनोरंजन कर	Entertainment Tax	57-58
6235	दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे स्कूल	Schools run by Danapur Cantonment Board	58
6236	दानापुर छावनी बोर्ड बजट	Danapur Cantonment Board Budget	58-59
6237	आसाम की चौथी योजना	Assam's Fourth Plan	59
6238	राष्ट्रमण्डलीय देशों में यात्रा की सुविधायें	Travel Facilities among Commonwealth countries	60
6239	भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1932	I.A.F. Act Rules, 1932	60
6240	भारतीय वायु सेना अधिनियम नियम 1950 में संशोधन	Amendment of I.A.F. Act Rules, 1950	61
6241	वायुसैनिकों (एयरमैनों) को सेवामुक्त करना	Release of Airmen	61-62

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6242	चीन की परमाणु शक्ति	Chinese Nuclear Power	62
6243	भूतपूर्व मन्त्रियों के पास टेलीविजन सेट	T.V. Sets with Ex-Ministers	63
6244	मद्रास अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता	Relief to Madras Fire Vicitims	63
6245	आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव	Transmission Executives in A.I.R.	63
6246	विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा व्यापारिक कार्य	Commercial Work by Indian Missions Abroad	64
6247	आकाशवाणी के मैकेनिकों की अर्हतायें	Qualifications of Mechanics in A.I.R.	64
6248	जबलपुर और आगरा में आयुध कारखाने	Ordnance Factories in Jabalpur and Agra	64-65
6249	महाराजा दिलीप सिंह के पार्थिव अवशेष	Mortal Remains of Maharaja Dilip Singh	65
6250	ब्रिटेन के लिये जारी किये गये पारपत्र	Passports issued for U.K.	65
6251	बर्मा से भारतीय लोगों का स्वदेश लौटाया जाना	Repatriation of Indians from Burma	65-66
6252	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना	N.C.C. in Madhya Pradesh	66
6253	आकाशवाणी के जबलपुर केन्द्र में ट्रांसमीटर	Transmitter at Jabalpur Station of A.I.R.	66
6254	पाकिस्तान को अमरीकी टैंकों की बिक्री	Sale of US Tanks to Pakistan	66-67
6255	आसाम सीमा पर पाकिस्तान की सैनिक तैयारी	Pakistan's Military Preparations on Assam Borders	67
6256	परमाणु विस्फोट टैकनालौजी के बारे में जानकारी	Knowledge about Nuclear Blast Technology	67-68
6257	तारापुर रिएक्टर	Tarapore Reactor	68
6258	प्लूटोनियम कारखाना, ट्राम्बे	Plutonium Plant, Trombay	68
6259	सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन	Modernisation and Reorganisation of Armed Forces	68
6260	विदेशों में भारतीय व्यापार मिशन	Indian Trade Missions Abroad	69
6261	बुलगारिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को जाने वाले भारतीय नागरिक	Indian Nationals visiting Bulgaria and East European countries	69
6262	प्रतिरक्षा संस्थान	Defence Establishments	70
6263	जबलपुर में मोटर गाड़ी परियोजना	Vehicles Project in Jabalpur	70
6264	महाराष्ट्र में जवानों के लिये भूमि	Land for Jawans in Maharashtra	71

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6265	फ्रांस से राकेट विमानों की खरीद	Purchase of Rocket Aircrafts from France	71
6266	संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग को भारतीय नागरिकों की ओर से अभ्यावेदन	Representations from Indian Citizens to Human Rights Commision of UNO	71-72
6267	पारपत्र कार्यालयों में अनियमितताएं	Irregularities in Passport Offices	72
6268	राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान सेना	Pakistan Forces on Rajasthan Border	72-73
6269	सैनिक ट्रकों का बारिश से बह जाना	Sweeping away of Military trucks by rains	73
6271	कच्छ सीमा तथा नादिया सीमा के सीमांकन का कार्य	Demarcation work on Kutch Border and Nadia Border	73-74
6272	शेख अब्दुला और मिर्जा अफजल बेग की ओर से बीजा के लिये प्रार्थनापत्र	Applications for visas from Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg	74
6273	योजना आयोग का सदस्य	Member of Planning Commission	74-75
6274	विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतों द्वारा प्रकाशित प्रचार साहित्य	Publicity Literature published by Indian Missions abroad	75
6275	चीन तथा पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिये आकाशवाणी से प्रचार	Propaganda on A.I.R. to counter Anti-India Chinese and Pakistani Propaganda	75-76
6276	अश्लील फिल्में	Obsence Films	76
6277	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी में प्रसारण	Hindi broadcast in Non-Hindi areas	76
6278	राजस्थान में आकाशवाणी के कलाकार	A.I.R. Artistes in Rajasthan	76-77
6279	आकाशवाणी के कार्यक्रमों में संसद् सदस्यों का शामिल होना	Participation of M.Ps. in A. I. R. Programmes	77
6280	स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आन्दोलन के लिये मदद का अनुरोध	Request for help for Independent Pakhtoonistan movement	77
6281	प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्ट	T. V. Staff artistes sent for training abroad	77-78
6282	डा०पी०के०सेन की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा	Dr. P. K. Sen's visit to South Africa	78
6283	हिन्दी में सरकारी कामकाज	Office work in Hindi	79
6284	दीनापुर छावनी बोर्ड	Dinapur Cantonment Board	79-80
6285	चौथी योजना	Fourth Plan	80

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6286	इम्फाल हवाई अड्डा	Imphal Aerodrome	80-81
6287	भारतीय सांख्यिकीय संस्था के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में सेवा की शर्तें	Service Conditions of N.S.S. Unit of I.S.I.	81
6288	कृषकों के लिये रोजगार	Employment for Agriculturists	81
6289	मद्रास में छात्र सेना दल का प्रशिक्षण	N.C.C. Training in Madras	81
6290	सैनिक संतुलन	Military Balance	82
6291	छोटे समाचारपत्र सम्बन्धी जांच समिति	Inquiry Committee on Small Newspapers	82-83
6292	वर्ष 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चलने से संबंधित चलचित्र	Films on Gandhiji's Trial in 1922	83
6293	भारतीय सेनाओं द्वारा सिक्किम चीन सीमा के उल्लघंन के बारे में चीन का आरोप	Chinese Allegation about Violation of Sikkim China Border by Indian Troops	83-84
6294	लंका से शेख अब्दुला को निमन्त्रण	Invitation to Sheikh Abdullah from Ceylon	84
6295	खाद्य निरीक्षण संगठन में प्राप्त नमूनों का विश्लेषण	Analysing of Samples received in Food Inspection Organisation	84-85
6296	भारतीय वायु सेना के अन्दमान जाने वाले कूरियर विमान में स्थान	Seats in Indian Air Force Courier Plan for Andamans	85
6297	नेपाल से कुछ किस्म के कच्चे माल का आयात	Import of certain Raw Materials form Nepal	85
6298	अकालग्रस्त क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लोगों के लिये गये फोटोग्राफ	Photographs taken by [International Organisations of people in famine areas	86
6299	आयुद्ध कारखानों में ए० एम० आई०ई० अर्हता प्राप्त व्यक्ति	A.M.I.E. Qualified persons in Ordnance Factories	86
6300	उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर संभागों में जनसंख्या का घनत्व	Population Density in Varanasi and Gorakhpur Divisions of U. P.	86-87
6301	पाकिस्तान द्वारा गुरुद्वारों पर नियंत्रण किया जाना	Gurdwaras taken over by Pakistan	87
6302	तीनों सेनाध्यक्षों की सेवानिवृत्ति	Retirement of three Service-Chiefs	88
6303	'ब्रह्मचारी' तथा 'शिकार' चलचित्रों में चुम्बन	Kissing in Films 'Brahmchari' and 'Shikari'	88

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6305	कुछ फिल्मों के प्रदर्शन के लिये अनुमति देना	Release of certain Films	88.89
6306	पाकिस्तान से युद्ध न करने की सन्धि की पेशकश	Offer of No-war pact to Pakistan	89
6307	प्रतिरक्षा केन्द्र के रूप में चण्डीगढ़ का विकास	Development of Chandigarh as a Defence Station	89
6308	हवाई अड्डे के रूप में चण्डीगढ़ का विकास	Development of Chandigarh as an Air Station	89
6309	बुलंदशहर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र माडर्न टाइम्स के लिये सरकारी विज्ञापन	Government Advertisement for Modern Times published from Bulandshahr	90
6310	दानापुर अफ्रीका के देशों से गुजरातियों का वापस स्वदेश लौटना	Gujarat Population returning from East African countries	90-91
6311	दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantonment Board	90
6312	पश्चिम बंगाल में दिखाई गई विदेशी फिल्में	Foreign Films screened in West Bengal	91
6313	पूना के निकट झोंपड़ी वासियों के साथ सैनिक कर्मचारी का झगड़ा	Clash of Army personnel with Jhonpri Dwellers near Poona	91-92
6314	नागालैंड की जनसंख्या	Population in Nagaland	92
6315	नागालैंड का विकास	Development of Nagaland	92
6316	नागालैंड में चुनाव	Elections in Nagaland	92-93
6317	नागालैंड में ईसाइयों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति	Financial and Social position of Christians in Nagaland	93
6318	नागालैंड में हिन्दूओं के अधिकार	Rights of Hindus in Nagaland	93-94
6319	सेना का पुनर्गठन	Reorganisation of Army	94
6320	सुकनय नामक स्टीमर का जमीन में धंस जाना	Running Aground of Sukanay, Steamer	94
6321	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भारतीय वायु सेना की कूरियर सेवा में आरक्षण सुविधाएं	Reservation facilities on I.A.F. Courier Serviee to Andaman and Nicobar Islands	94-95
6322	सूचना और प्रसारण मन्त्री द्वारा यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में प्राप्त की गई धनराशि	T.A. and D.A. claimed by I & B Minister	95

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6223	स्वेज नहर में जहाजों का रोका जाना	Impounding of Ships in Suez Canal	95
6323–क	प्राग टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Ltd	95-96
6323–ख	नागालैंड में संसदीय शासन प्रणाली	Parliamentary Government in Nagaland	96
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	96
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from sittings of the House	96
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	96-97
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence of Members from sittings of the House	97
	गैर-सरकारी सदस्यों में विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions	98
	सेतींसवां प्रतिवेदन	Thirty seventh Report	98
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	98
	छप्पनवां प्रतिवेदन	Fifty sixth Report	
	निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मन्त्री का उत्तर	Statement by Member Under direction 115 and Minister's reply thereto	98
	श्री कंवर लाल गुप्त		
	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह		
	पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक-पुरःस्थापित	Punjab State Legislature (Delegation of powers) Bill-Introduced	99
	विदेश विवाह विधेयक के बारे में नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion under Rule 388 in respect of Foreign Marriage Bill	99
	विदेश विवाह विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	Motions re. Joint Committee on Foreign Marriage Bill	99-100
	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. continuance of President's Rule in West Bengal	101-120
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
	डा०रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
	श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	
	श्री हुमायुन कबिर	Shri Humayun Kabir	

श्री विमल कान्ति घोष	Shri Bimalkanti Ghosh
श्री समर गुह	Shri Samar Guha
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhari
श्री पाशाभाई पटेल	Shri Pashabhai Patel
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee
श्री वे कृ०दास चौधरी	Shri B. K. Daschoudhury
श्री देवेन सेन	Shri Devan Sen
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal
श्री भजहरि महतो	Shri Bhajahari Mahato
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Choudhri
श्री वेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma
बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Bihar State legislature (Delegation of powers) Bill 120-127
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla
डा०सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri
श्री द्वा०ना०तिवारी	Shri D. N. Tiwary
श्री मुहम्मद ईस्माईल	Shri Mohammed Ismail
श्री मृत्युजंय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh
श्री भोला राउत	Shri Bhola Raut
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	
श्री क०मि०मधुकर	Shri K. M. Madhukar	
श्री फ०गो०सेन	Shri P. G. Sen	
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	
श्री लषण लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Keseri	
श्री गुणानन्दे ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekar Singh	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
फादर फेरर की गतिविधियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion re. Father Ferrer's activities	127-131
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 28 **अगस्त** 1968 / 6 **भाद्र**, 1890 (**शक**)

Wednesday, August 28, 1968 / **Bhadra** 6, 1890 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मनीपुर के कुछ क्षेत्रों का नागालैंड के साथ विलय

+

*721 **श्री सीताराम केसरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नि० रं० लास्कर
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री कार्त्तिक उरांव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को नागा एकता समिति की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिस में मनीपुर के नागा क्षेत्रों का नागालैंड के साथ विलय करने की माँग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

(क) और (ख) सभा में गृह मंत्री द्वारा दिनांक 23-8-1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5196 के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Shri Sitaram Kesri : Will the memorandum presented by the Naga Integration Committee to the Prime Minister be placed on the table of the House so that the House may know the grievances mentioned therein ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ज्ञापन में दी गई शिकायतों का ब्यौरा मेरे पास है । यह प्रश्न उन शिकायतों पर निर्भर करता है कि क्या मैं इसको सभा पटल पर रखूं । परन्तु मैं इसका कुछ ब्यौरा दे सकता हूँ ।

उन्होंने जो अनेक शिकायतों का उल्लेख किया है उनमें से तो कुप्रबन्ध की है और मनीपुर के मैदानी इलाकों के लोगों द्वारा पहाड़ी जनता का शोषण किया जाना है। दूसरा, ग्रेड तृतीय और चतुर्थ सेवाओं में आदिमजाति जनता का 30 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए और उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरी शिकायत यह है कि 1964 से संघ लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार के किसी उच्च पद के लिए किसी भी नागा व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए नहीं चुना गया। दूसरी शिकायत यह भी है कि राज्य के उनके भाग में विकास आदि के लिए धन व्यय नहीं किया जा रहा है और आदिम जाति कल्याण निधि से धन को दूसरे काम में लगाया जा रहा है। और भी कई शिकायतें हैं। उनमें से ये प्रमुख हैं।

Shri Sitaram Kesri : Manipur lies in between India and Burma in the map of India. That is the only way for the rebel nagas for going to China and Pakistan. That is a border area. China wants to harass us by creating disorder and dissatisfaction. In this back ground, will the Government create such conditions there by redressing the grievances of those people so that the discontent among nagas is removed and the hands of those nagas are strengthend who are imbibed with patriotic fervour and are sincere and loyal to our country ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। गृह मंत्रालय द्वारा यह अश्वासन पहले ही दिया जा चुका है कि सब शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा और उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक हमें मालूम है, मनीपुर में तीन सब डिवीजन हैं, जिनकी जन संख्या अधिकतर नागाओं की है। यह स्पष्ट है कि उनकी शिकायतें उचित हैं, जो यदि दूर नहीं की गईं तो विद्रोही नागाओं को मनीपुर में अपनी बढ़ी-चढ़ी हुई कार्यवाहियां जारी रखने का अवसर मिलेगा और मनीपुर के इन भागों को नागालैंड में मिलाने के आन्दोलन को और उकसाया तथा भड़काया जायेगा, अतएव पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि तनाव और असंतोष के तत्व न रहें। दूसरे क्या वे यदि यथाशीघ्र नहीं तो, कम से कम प्रक्रमों में मणिपुर को राज्य का दर्जा देने की बात सोच रहे हैं, ताकि विद्रोही नागाओं के लिए यह संभव नहीं हो सके कि उनको मनीपुर के नागाओं में मनीपुर राज्य बनाने की मांग संबंधी असंतोष की भावना को उभारने का बहाना मिल सके ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मेरे सहयोगी ने पहले ही यहां इसका उत्तर दे दिया है कि स्मृतिपत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच निश्चय ही की जायेगी।

जहां तक मनीपुर की स्थिति को बदलने का प्रश्न है, यह सारा क्षेत्र उपद्रवग्रस्त राज्य के अन्तर्गत है। मैं नहीं समझती कि अब इन मामलों पर फिर से विचार करना ठीक होगा।

श्री नि० रं० लास्कर : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि इन आश्वासनों से कुछ नहीं होगा और हमें शीघ्र ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है कि अब संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर का और विभाजन नहीं किया जायेगा, क्योंकि सीमाओं तथा राज्यों के इलाकों का पुनः समायोजन का प्रश्न फिर से

उठाने से समस्याएँ उठी हैं और कोई भी समस्या हल नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में किसी भी भाग से उठी ऐसी माँगों का विरोध करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रत्येक मांग को देखना पड़ेगा। प्रत्येक समस्या अलग-अलग है और प्रत्येक के गुण-दोष पर विचार करना पड़ेगा ?

श्री रंगा : मनीपुर के विघटन के बारे में उनका कहना है कि इसमें अभी परिवर्तन न किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने पहले ही कह दिया है कि यह उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है और इस समय इसमें कोई भी परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

श्री वि० ना० शास्त्री : नागा विद्रोहियों की विध्वसंक कार्यवाहियों को देखते हुए मनीपुर राज्य के तीन सब डिवीजनों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को क्या यह आशंका है कि मनीपुर में प्रधान रूप से बसे हुए नागाओं के इलाकों को नागालैंड के साथ न मिलाने से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें विद्रोही नागाओं को विस्तृत विध्वसंक कार्यवाहियां जारी रखने का अवसर मिलेगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मनीपुर को युद्ध बंदी समझौते के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सरकार इस बात से पूर्णतया परिचित है कि मनीपुर क्षेत्र में विद्रोही नागाओं द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इन कार्यवाहियों में काफी कमी हुई है। नागाओं के आधिपत्य वाले क्षेत्रों को नागालैंड में मिलाने का जहां तक सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कार्तिक उरांव : नागा समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करने से यह पता लगेगा कि नागालैंड के 56 प्रतिशत आदिमजाति लोग मनीपुर के 61 प्रतिशत आदिमजाति लोग और मिजो पहाड़ियों के 97 प्रतिशत नागालोग ईसाई धर्म में चले गये हैं, और भूमिगत नागा विद्रोहियों का चीन के साथ सम्पर्क स्थापित करने की सन्देहास्पद भूमिका भी प्रकट है। अतएव यह सोचा जा सकता है कि ईसाई राज्य के निर्माण के लिए परस्पर प्रयत्न हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत के संरक्षण, सुरक्षा और सार्वभौमिकता के लिये हानिकारक है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इसका पता है, और यदि हां तो भारतवर्ष की सभी आदिमजातियों के लोगों की समस्याओं के प्रति क्या सरकार समान नीति अपनाएगी और आदिमजातीय लोगों की, चाहे वे पहाड़ी क्षेत्र के हों या मैदानी इलाकों के हो, समस्याओं को सुलझायेगी ताकि इन समस्याओं को सदैव के लिए समाप्त किया जा सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सच है कि अधिकांश भूमिगत नागाओं का ईसाई धर्म में विश्वास है परन्तु और भी नागा हैं जिनका परम्परागत धर्म पर विश्वास है और उनकी आस्था अन्य बातों में है। परन्तु इसका ईसाई राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मनीपुर की समस्या समस्त आसाम की समस्या के समान है, इसका एक भाग मैदानी और एक भाग पहाड़ी है और चूंकि सरकार की नीति पहाड़ी इलाकों को संग्रहालय की वस्तु बनाकर रखने की रही है, इसी कारण मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लोगों में एकता

नहीं रही है, इससे प्रायः सभी पूर्वी श्रेत्र में बहुत सी समस्याएँ पैदा हो गई हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि यह समस्त क्षेत्र बड़ा ही संवेदनशील है और पाकिस्तान तथा चीन गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि विभिन्न इलाकों अथवा इस क्षेत्र के भागों की समस्याओं का अलग-अलग समाधान करने का कार्य आरम्भ न किया जाय अपितु एक आयोग की नियुक्ति करके, जो इसकी सामाजिक आर्थिक और सामरिक स्थिति का अध्ययन करके समस्याओं का मिला-जुला हल निकाले, और मानीपुर में या और कहीं जो कुछ भी परिवर्तन करने हों वे किये जायें, परन्तु समूचे पूर्वी क्षेत्र को एक मान कर यह विचार किया जाना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि इस सारे प्रदेश पर प्रतिरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिये। परन्तु मैं नहीं समझती कि इसके लिये आयोग बिठाने की आवश्यकता है। सरकार इन सब मामलों पर विचार कर रही है।

श्री बसुमतारी : जबसे आसाम के पुर्नगठन का प्रश्न उठा है, तभी से मनीपुर की पहाड़ियों के नागा लोगों ने इस क्षेत्र को नागालैंड में मिलाने के लिए आन्दोलन शुरु कर रखा है। मैं जान सकता हूँ कि वर्त्तमान नागालैंड सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मनीपुर के इस भाग में नागाओं की यह मांग बहुत पुरानी है कि उनके क्षेत्र को नागालैंड में मिलाया जाय और नागालैण्ड राज्य के बहुत से लोग भी इसी विचार धारा के हैं।

श्री बसुमतारी : मेरा प्रश्न यह था कि जब आसाम के पुनर्गठन का प्रश्न सामने आया था क्या तब मनीपुर के नागाओं द्वारा यह मांग नहीं उठाई गई थी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैंने पहले ही कह दिया था कि यह माँग बहुत पुरानी है।

श्री हेम बरुआ : मनीपुर के नागा इलाके मनीपुर के अभिन्न भाग हैं। परन्तु अभाग्यवश सरकार ने नागा विद्रोहियों के साथ हुए युद्ध-बन्दी समझौते को इन इलाकों में भी लागू कर दिया है और इस तथाकथित युद्धबन्दी समझौते के आड़ में नागा विद्रोही मनीपुर के नागा इलाकों से स्वयंसेवकों को भरती कर रहे हैं तथा मनीपुर के लोगों से कर वसूल किया जा रहा है और इन नागा इलाकों का प्रयोग चीन और पाकिस्तान को जाने के रूप में किया जा रहा है, यह सरकार ने बड़ी भारी गलती की है। इसी सन्दर्भ में क्या मैं जान सकता हूँ कि यह दुतरफा बात क्यों है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि नागा एकता समिति के नेताओं ने, जो दिल्ली आये थे और हमें भी मिले थे तथा प्रधान मंत्री को दिये गये स्मृतिपत्र की एक प्रति हमें भी दी गई थी, जिसकी एक प्रति मेरे पास भी है, विशेषरूप से सरकार के सब नेताओं से, जिनको वे दिल्ली में मिले थे, उन्होंने कहा कि यदि मनीपुर के इन नागा इलाकों को नागालैंड में मिला दिया जाय तो नागा विद्रोहियों के एक भाग द्वारा की जा रही विद्रोही कार्यवाहियों को रोका जा सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : इस श्रेत्र को युद्ध-बन्दी समझौते में इसलिये सम्मिलित किया गया था क्योंकि यह एक अशान्त क्षेत्र था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं वहां एक ग्राम स्वयं सेवक दल है जो कि हमारी सेनाओं के साथ-साथ विद्रोही नागाओं से निबटने का काम बड़ी खूबी से कर रहा है।

श्री हेम बरूआ : मेरा प्रश्न कुछ भिन्न था। इस तथा कथित युद्ध-बंदी समझौते को आगे मणिपुर के शान्तिपूर्ण क्षेत्रों में क्यों लागू किया गया है ? इससे विद्रोही नागाओं को इन क्षेत्रों में भी अपनी उपद्रव पूर्ण तथा विद्रोहात्मक गति विधियां बढ़ाने का अवसर मिलता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : स्थिति यह है कि वे क्षेत्र भी शान्ति पूर्ण नहीं थे तथा वहां भी गड़बड़ी थी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : नागा एकता समिति द्वारा प्रस्तुत स्मरण-पत्र से हमें पता लगता है कि उनकी मांगें अधिकतर आर्थिक कठिनाईयों तथा उनकी समृद्धि के सम्बन्ध में हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए तथा प्रधान मन्त्री द्वारा प्रतिरक्षा तथा विकास पर जोर देने वाले अभी-अभी दिये गये वक्तव्य को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार पूर्वी क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा तथा विकास के सब पहलुओं से संबंधी कोई ऐसी उपयुक्त नीति तैयार करेगी ताकि प्राकृतिक रूप से राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यही बात मैंने अभी-अभी कही थी।

Shri S. M. Joshi : May I know whether the hon. Minister is aware that by including this area in that agreement, we have admitted that this area is also affected by the activities of hostile Nagas ; and that is why they are demanding this area also ?

Secondly, I want to know whether there has been a 16-point agreement and that this agreement is a part of that ?

Shri Surendra Pal Singh : Yes Sir. It is so. Thirteen points relate to this agreement. But the Government of India have never said in that agreement that this area will be merged in Nagaland.

साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले समाचार पत्रों के लिये विज्ञापन

*723. **श्री अनन्तराव पाटिल** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले समाचार पत्रों को अब भी सरकार से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र के कुछ साम्प्रदायिक दैनिक समाचार पत्रों ने जून तथा जुलाई, 1968 के अन्तिम सप्ताह में सरकारी विज्ञापन किस प्रकार छापे; और

(घ) क्या ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन तथा अखबारी कागज का कोटा देने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) : नीति के रूप में सरकार उन समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन देना बन्द कर देती है जो भड़काने वाला प्रचार करते तथा साम्प्रदायिक भावनायें जगाते हैं। जब तक किसी विशिष्ट दैनिक समाचार पत्र का नाम न लिया जाये इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। उपरोक्त नीति के अनुसार, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय उपरोक्त नीति के अनुसार समाचार-पत्रों को विज्ञापन देता है।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपने श्री नगर के अधिवेशन में सिफारिश की थी कि भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 153 A के अन्तर्गत सामप्रदायिकता के दोषी सिद्ध होने वाले समाचार पत्रों का अखबारी कागज का कोटा निलम्बित कर दिया जाये और उनको सरकार द्वारा विज्ञापन दिया जाना भी रोक दिया जाये। इस सिफारिश के हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य-सरकारों से भी विचार-विमर्श किया जायेगा।

श्री अनन्तराव पाटिल : उस दिन मेरे एक अनूपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री-महोदय ने कहा था कि साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार करने वाले समाचार पत्रों को वह विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। यह सत्य नहीं था, यह अर्ध-सत्य था, क्योंकि जैसा कि मंत्री महोदय महाराष्ट्र के हैं, उन्हें ज्ञात है कि कौन से पत्र साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं। यहां मेरे पास कुछ समाचार पत्रों के दो या तीन अंक हैं-एक हिन्दी में तथा दूसरा मराठी में। ये समाचार पत्र नागपुर तथा औरंगाबाद में हाल ही में हुए दंगों के दौरान साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। इन पत्रों को फिर भी सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। मेरे पास 14 अगस्त, 15 अगस्त तथा 19 अगस्त के अंक हैं।

एक माननीय सदस्य : उन समाचार पत्रों के नाम बताइये।

श्री अनन्तराव पाटिल : एक तो नागपुर से प्रकाशित होने वाला हिन्दी का **युग धर्म** है तथा दूसरा नागपुर और पूना से निकलने वाला मराठी भाषा का **तरुण भारत** है।

इस तथ्य की दृष्टि से, क्या मंत्री महोदय सूची को देखकर, जांच करके, आवश्यक उपाय करने को तैयार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : हम इसकी पुनः जांच करेंगे।

श्री अनन्तराव पाटिल : इन पत्रों को अब भी विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं ?

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र को मालूम होना चाहिये कि विज्ञापन काफी समय पहले दिये जाते हैं। यदि यह घटना अगस्त मास में हुई है तो ये विज्ञापन जुलाई मास में दिये गये होंगे। जब हमें प्रति मिलेगी तो हम उनकी जाँच करेंगे।

श्री अनन्तराव पाटिल : यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसे निर्धारित किया जाता है कि कोई समाचार-पत्र साम्प्रदायिक प्रचार कर रहा है अथवा नहीं। डी० ए० वी० पी० को समाचार पत्र प्राप्त होते हैं तथा प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो को क्षेत्रीय कार्यालयों से कतरन प्राप्त होती हैं। कोई व्यक्ति अपनी मेज पर बैठकर इन समाचार पत्रों तथा कतरनों को पढ़ता जाता है तथा अपना निजी निष्कर्ष निकालता रहता है। उसे समाचार पत्रों, सम्पादकों अथवा सम्पादकीय नीति के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस विचार से, क्या यह उपयुक्त एवम् अपेक्षित नहीं होगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाये, जिनको पता है कि कौन से पत्र साम्प्रदायिक प्रचार कर रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : राज्य सरकारों से सदा सलाह ली जाती है। उन्हें इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये। या तो वे हमें लिखते हैं या फिर हम उन्हें इस बारे में लिखते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that it was decided in Srinagar Session of the National Integration Council that until a newspaper is convicted in a court, neither the advertisements for it, should be suspended nor should their quota of newsprint be reduced ?

Secondly, is it a fact that the newspapers named by the hon. Member, had criticised the Maharashtra Government for having failed in checking Communal riots, and that is why he is demanding action to be taken against those papers ?

श्री के० के० शाह : मैंने उनके आरोप को स्वीकार नहीं किया है। मैंने कहा है कि मैं उनकी जाँच करूँगा। अत: वह यह निष्कर्ष न निकालें कि जो कुछ उन्होंने कहा है, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

यह सत्य है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने यह सिफ़ारिश की है। एक विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि वह पारित हो गया तो उसी के अनुसार हम अपनी नीतियां निर्धारित करेंगे।

श्री सोनावने : राष्ट्रीय एकता परिषद में ये निर्णय लिये जाने के पश्चात क्या किसी भड़काने वाले और साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री के० के० शाह : यह बात सब लोग जानते हैं कि **मदर इन्डिया** का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है।

श्री उमानाथ : **मार्मिक** पत्र शिव सेना द्वारा बम्बई से निकाला जाता है तथा उसमें प्रतिदिन दक्षिण भारत के राज्यों के भारतीय नागरिकों के विरुद्ध लेख लिखे जाते हैं। इससे निश्चय ही भारतीय एकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस पत्र को स्टेट बैंक आफ़ इन्डिया ने अनेक बार बड़े बड़े विज्ञापन दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस **मार्मिक** पत्र को जो कि इस प्रकार देश की एकता के विरुद्ध लेख छापता है, इस प्रकार के विज्ञापनों का दिया जाना राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्णयों की परिधि में आता है ? यदि नहीं तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री के० के० शाह : इसका उत्तर देने का अर्थ परोक्ष रूप में यह प्रकट करना होगा कि विज्ञापन किस ओर से रोके गये हैं। मैं इस समय कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरे पास मराठी पत्रों की सूची है, परन्तु इस सूची में **मार्मिक** का नाम नहीं है।

कुछ सरकारी क्षेत्र के संस्थान तथा बैंक सीधे ही विज्ञापन देते हैं। मैं तो केवल उन विज्ञापनों के बारे में कह सकता हूँ जो द्वारा दिये जाते हैं।

श्री उमानाथ : मेरा तात्पर्य उन पत्रों को विज्ञापन देने से है, जो राष्ट्र के विघटन का प्रचार करते हैं, वे विज्ञापन चाहे सरकारी क्षेत्र से दिये जाते हों चाहें अन्य संस्थाओं से मैंने पूछा था कि क्या यह राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों की परिधि में आता है ?

श्री के० के० शाह : जी हाँ। विधेयक पास होने पर देखा जायेगा।

श्री शिवाजी राव इं देखमुख : मेरे माननीय मित्र द्वारा उल्लिखित **युग धर्म** पत्र ने 22 जुलाई 1968 के अंक में "भारत के मुसलमानों" शीर्षक से एक सम्पादकीय प्रकाशित किया था जिसमें उसने भारत के मुसलमानों की हर प्रकार से निन्दा की है। और इस प्रकार बहु-संख्यक हिन्दुओं को विद्रोह करने और तथा कथित मुस्लिम साम्प्रदायिक ज्यादतियों को कुचलने के लिये उकसाया है। यह पत्र साम्प्रदायिक नेताओं द्वारा वास्तव में दिये गये अथवा न दिये गये भाषणों को साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से लगातार छापता जा रहा है। साम्प्रदायिक दंगों के

बाद यह पत्र स्वंय को बड़ा जिम्मेवार पत्र कहता है तथा महाराष्ट्र सरकार पर साम्प्रदायिक दंगों को रोक न सकने का आरोप लगाना चाहता है।

प्रशासन के बारे में, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो अथवा कोई अन्य या यहाँ की केन्द्र सरकार, इन सभी जगहों पर ये जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोग अपनी शिक्षा संस्कार तथा विचार धारा से पूरी तरह साम्प्रदायिक हैं। क्या यह दूरदर्शिता दोगी कि उन लोगों के हाथ में, जिनको मैं फिर कहूँ कि वे अपनी शिक्षा, तथा संस्कृति से ही पक्के साम्प्रदायिक हैं, इस प्रश्न का निर्णय करने का कार्य सौंपा जाये ? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि साम्प्रदायिकता का पता लगाने का कार्य सामाजिक-राजनयिक व्यक्तियों को सौंपा जाये ?

श्री के० के० शाह : यह बड़ी सख्त और सामान्य टिप्पणी है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सोनावने : उन्होंने अभी तक एक भी मुकद्मा नहीं चलाया है। वह क्या कर रहे हैं ?

डा० रानेन सेन : जबकि साम्प्रदायिक दैनिक पत्र राज्य सरकारों से विज्ञापन प्राप्त करते जा रहे हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को क्या परामर्श दिया है, जिसने कि पेट्रियॉट तथा लिंक पत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया है, जो कि किसी प्रकार भी साम्प्रदायिक नहीं हैं, अपितु साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

श्री के० के० शाह : जैसा कि मुझे ज्ञात है, इस बारे में तीन मास पूर्व जाँच की गई थी। पुन: जांच करने के बाद इन पत्रों को सूची से हटा दिया गया था।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को क्या सलाह दी थी ?

श्री के० के० शाह : वे लोग अपना निर्णय स्वयं करते हैं। उन्हें हमारी सलाह नहीं चाहिये।

Shri Sheo Narain : I want to know whether the Government will be prepared to ban such papers which propogate communalism or propogate for the benefit of foreign countries?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय मित्रों से निवेदन करुंगा कि विधेयक पास होने तक वे संन्तोष करें।

श्री लोबो प्रभु : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम सब साम्प्रदायिकता से दूर रहते हैं; यह तो भाई भाई के बीच की लड़ाई है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार का निर्णय सही है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी पत्र अथवा व्यक्ति के बारे में ठीक निर्णय दे सकने की पात्रता का विश्वास दिलाता हो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रेस सलाह कार निकाय अथवा कोई अन्य निकाय इस प्रकार का निर्णय देने के लिये स्थापित नहीं किया जा सकता ? दूसरा प्रश्न यह है कि साम्प्रदायिकता अब भी एक गम्भीर अपराध है तथा किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता की भावना को प्रकाशित करने वाले पर मुकदमा चलाया जा सकता है। फिर सरकार ने उन पत्रों पर मुकद्मा क्यों नहीं चलाया जो स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक दिखाई देते है ?

श्री के० के० शाह : इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला तो यह है कि कोई विशेष निकाय नियुक्त किया जाये। विधेयक सभा के सामने आ रहा है। अब उनकी यह इच्छा है कि यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जाये। इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा जहाँ तक प्रश्न के दूसरे

भाग का सम्बन्ध है, इस विधेयक में भी खण्ड 153 (a) के लिए एक संशोधन है, क्योंकि यह विचार करना पड़ता है कि क्या इसका प्रभाव अस्थायी होगा अथवा स्थायी ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know, that after the meeting of the National Integration Council held in Kashmir, how many papers have so far been prosecuted against which were concerned with either the communal riots or communal propoganda? What are their names ? **Sangam** a newspaper from Patna, has been directly connected with the riots in Ranchi, but when the S.V.D. Government came into existence, things turned a different shape.

The Congress Government had filed a case against the **Sangam** paper but the S.V.D. Government had withdrawn that I want to know whether the case has been withdrawn and if so, under what circumstances ?

श्री के० के० शाह : प्रश्न तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में था।

Shri Prem Chand Verma : The Names of the papers prosecuted against have not been stated. Those may please be mentioned.

भारतीयों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

*724. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों की सरकारी तथा गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितने भारतीयों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये हैं ; और

(ख) ऐसे पुरस्कार पाने वालों के नाम क्या हैं तथा उनकी कृतियाँ आदि जिनके लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गये हैं क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

Shri Hardayal Devgun : It is a very important matter and they should have information about it. Article 18 of the Constitution states that :

"No citizen of India shall accept any title from any foreign Government"

After the Second World War, the two big powers have been trying to ruin our political and social life. They are giving direct assistance to such parties as are involved in serving foreign interests. Similar type of award has been declared by the name of 'Lenin Award' by the Soviet Government. The award is given to the Indians in the form of money. Formerly, the assistance used to be given indirectly to parties, but now the foreign powers are trying to give assistance to Indians direct in the form of money. In such circumstances, when the information is necessary in the interest of safety, freedom and integrity of India, it must be available with the Government. What are the reasons for not getting the information and what action the Government will take in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : We have got information in this matter. But so far as the question of sponsoring of awards by the non-official agencies in the U.S.S.R. and other Communist Countries is concerned, it requires some time to get the details and we are trying in that direction. If the question, regarding 'Lenin Award' had been asked separately, we would have replied.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या देश के हितों, एकता आदि को ध्यान में रखते हुए

यह वांछनीय है कि विदेशी पुरस्कारों को स्वीकार किया जाये क्योंकि अब बहुत से विदेशी पुरस्कार दिये जा रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक सांवैधानिक स्थिति का प्रश्न है, खिताबों को लेने पर प्रतिबन्ध है । इस बारे में हमेशा ध्यान रखा जाता है। इन पुरस्कारों से सांवैधानिक स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता । केवल देश में दिये गये पुरस्कार ही स्वीकार नहीं किये जाते हैं, बल्कि हम विदेशों से भी प्रबन्ध करके पुरस्कार स्वीकार करते हैं । ऐसा करते समय देश के सामान्य हित, उसका दूसरे देशों से सम्बन्ध, दूसरे देशों से मित्रता आदि बातों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Shri Hardayal Devgun : Taking into consideration the restrictions imposed under the constitution on the Government employees whether the Government will make such law under which acceptance of money by the Indians from any country will be declared illegal ? Mrs. Aruna Asaf Ali has received 'Lenin Prize' for writing something with regard to Czechoslovakia in the 'Patriot, Whether the Government will make some law against the people who are serving foreign interests ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में सांवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसे पुरस्कार, खिताब या भेंट स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध है । यदि माननीय सदस्य को एक देश से पुरस्कार स्वीकार करने पर आपत्ति है, किन्तु दूसरे देश से पुरस्कार स्वीकार करने पर आपत्ति नहीं है तो बात दूसरी है । जैसा कि मैंने बताया है ये पुरस्कार न केवल देश में दिये जाते हैं अपितु विदेशों से भी प्राप्त होते हैं । इन पुरस्कारों को स्वीकार करते समय देश का सामान्य हित, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान मे रखा जाता है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : 'नोबिल प्राइज़' जैसे साहित्यिक पुरस्कार हैं और व्यक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव डालने वाले पुरस्कार भी हैं । क्या सरकार ऐसे पुरस्कारों में, जो केवल व्यक्ति विशेष को मान देने, जिनमें राजनीतिक भावना नहीं है, और ऐसे पुरस्कार जिनमें राजनीतिक भावना नीहित है, इन दोनों पुरस्कारों में अन्तर करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है । हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या इस मामले में कोई आर्थिक लाभ आदि प्राप्त होता है अथवा नहीं । हम इस बात पर ध्यान देने के लिये तैयार हैं कि देश के सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए क्या हमें ऐसा होने देना चाहिये ।

Sri Prakash Vir Shastri : In reply to the question of Shri Hardayal Devgun, the hon. Minister has stated that the information was being collected. But under the rule there is a provision that the hon. Members should give their questions twenty one days in advance. Even then the reply of the Ministry is that the information is being collected. How far is he justified in saying so ? It might be admitted that the available information is being given and the remaining would be placed on the Table of the House. But to say at the very first instance that the information is being collected is altogether wrong. If he has any information at present, he should furnish it to the House. Taking into consideration that the tendency of giving prizes, is being used to give allurement, whether the Government is going to take any decision or not reg. acceptance of the prizes without the knowledge of the Government ? If so, in what form ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : In my opinion we should take into consideration the suggestion given by the hon. Minister.

अध्यक्ष महोदय : आपके पास जो जानकारी उपलब्ध है। वह आप सभा पटल पर रख सकते हैं। बाकी जानकारी आप एकत्रित करने के बाद दे सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास कुछ जानकारी है। अब तक रूस सरकार ने छः व्यक्तियों को पुरस्कार दिये हैं और वे हैं—डा० किचलु, श्रीमती अरूणा आसफ अली, जनरल सोरवी, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्री रमेश चन्द्र।

रूस सरकार की वैज्ञानिक अकादमी का भी एक पुरस्कार है। यह डा० सी० बी रमन को दिया गया था। इसके अतिरिक्त 'सोवियत भूमि' के तत्त्वाधान में नेहरू पुरस्कार भी दिये जाते हैं। बाकी जानकारी एकत्रित की जायेगी और सभा को दे दी जायेगी।

यह सच है कि पहले प्रश्न के लिये 21 दिन की सूचना दी जाती है। परन्तु जब प्रश्न वास्तव में स्वीकार किया जाता है तो हमें बहुत कम समय मिलता है।

श्री रंगा : आपको 10 दिन से कम समय नहीं मिलता।

श्री ब० रा० भगत : जो कुछ जानकारी उपलब्ध है, मैं उसे देने के लिये तैयार हूँ। किन्तु पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिये हमें सब देशों और विभिन्न अन्य सम्बद्ध विभागों से जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। अतः माननीय सदस्य और सभा इस बात को अनुभव करेंगे कि पूरी जानकारी एकत्रित करने में कितनी कठिनाई होती है।

Shri D. N. Tiwari : I am not only astonished but dissatisfied also with the reply given by the hon. Minister. If you cannot give such information, a day may come when the prizes may be offered for treason. Whether you have not got some agency who can collect the information regarding the persons. Persons to whom prizes are going to be given ?

Shri B. R. Bhagat : Hon. Member is correct. We should have uptodate information regarding it. We will try to solve this difficulty.

श्री समर गुह : यदि कोई देश किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य या वैज्ञानिक कार्यों के कारण पुरस्कार देता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि पुरस्कारों का प्रयोग विचारधारा और राजनीतिक प्रयोजनों के लिये किया जाता है तो प्रत्येक देश और हमारे देश को भी इस मामले में सतर्क रहना होगा। हाल ही में श्री खन्ना को, जो केन्द्र में मन्त्री रहे थे, पाकिस्तान से तमगा प्राप्त हुआ था। फिलीपीन 'मैगेसे पुरस्कार' देता है। रूस 'लेनिन पुरस्कार' और नेहरू पुरस्कार देता है। क्या सरकार अपने देशवासियों को यह स्पष्ट करेगी कि हमारे देशवासी केवल दो ही शर्तों पर पुरस्कार स्वीकार करेंगे।

प्रथम यदि यह पुरस्कार किसी विद्वान को उसके द्वारा किये गये प्रशंसनीय कार्य के लिये दिया गया होगा। दूसरे, यदि यह पुरस्कार किसी देश द्वारा न दिया जाकर, नेहरू पुरस्कार निकाय की भांति एक अन्तरराष्ट्रीय निकाय द्वारा दिया जाता है।

श्री ब० रा० भगत : वास्तव में यह मार्ग दर्शक सिद्धान्त है। हम राजनीतिक विचार धारा के प्रसार का विरोध करते हैं।

श्री समर गुह : अभी आपने जो लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम बताये थे, क्या उन्हें किसी साहित्यिक ग्रन्थों के लिये पुरस्कार मिले थे ?

श्री ब० रा० भगत : उदाहरण के तौर पर एक पुरस्कार चिकित्सा अनुसंधान के लिये दिया गया था.....(अन्तर्बाधाएँ)

श्रीमती इंदिरा गांधी : जैसा कि नाम से ही विदित है, लेनिन पुरस्कार शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने के कार्य के लिये दिया जाता है। माननीय मन्त्री ने जनरल सोरवी को दिये जाने वाले पुरस्कार का उल्लेख किया था उन्होंने सारा धन जो उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान के लिये सुरक्षित रखा था दे दिया। माननीय मन्त्री ने भूतपूर्व मन्त्री को दिये जाने वाले तमगे का भी उल्लेख किया था। इस प्रकार का तमगा विशेष कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। यह पुरस्कार के रूप में नहीं था।

श्री मनुभाई पटेल : क्या ये विशिष्ट व्यक्ति, जो इन पुरस्कारों को लेने के लिये जाते हैं, इस बात की जानकारी सरकार को देते हैं ? क्या उनको पार-पत्र नहीं दिये जाते ? जब वे किसी विशेष स्थान को जाने की अनुमति सरकार से मांगते हैं, तब क्या वह दूसरे देशों में जाने के बारे में अपना प्रयोजन स्पष्ट नहीं करते ?

श्री ब० रा० भगत : विदेश जाने से पहले किसी भी व्यक्ति को सरकार से अनुमति लेनी होती है। उसे पारपत्र भी प्राप्त करना होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपना विदेश जाने का कारण या प्रयोजन भी बताये।

Shri Rabi Ray : Mr. Jai Prakash Narain and Mrs. Aruna Asaf Ali received the Phillipines and Lenin Prizes respectively for expressing something which was against our Government. Whether Government are taking such steps that in future such prizes are not given to such persons ?

Shri B. R. Bhagat : All these prizes have been given by foreign countries. We have not got the details of the grounds for which prizes were given to them.

Shri Bibhuti Mishra : It is very strange that even after having such a big Machinery, our External Affairs Minister is not aware of the number of prizes given and to whom, and on what grounds ? Whether it is a fact that these awards were given to the persons due to such views expressed on are subscribed by country which gives the awards ? Whether the Government will enquire the reasons for which the awards have been given ?

Shri B. R. Bhagat : Government should not disclose any information, if she has, regarding it.

Shri Jagannath Rao Joshi : The question was very clear and it was intended to collect imformation. In the question, the number of Indians who have so far been awarded International awards sponsored by Official and non-official agencies in U.S.S.R and other Communist countries, was asked.

It was asked to get complete information. In the beginning, the hon. Minister did not give any information, but later on, he told the names of persons who were awarded. I want to know the names of the persons to whom awards were given and their contributions for which awards have been given.

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी देने के लिए मंत्री महोदय सहमत हो गये हैं।

केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई वैकल्पिक योजना

*705. **श्री रा० कृ० सिंह** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य योजना बोर्ड चौथी योजना के स्थान पर जिसको योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है, एक वैकल्पिक राष्ट्रीय योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल का विकास

*726. **श्री अविचन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में एक मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी केवल 3 रुपये 54 पैसे है जब कि अखिल भारतीय औसतन मजदूरी 6 रुपये 13 पैसे है और उस राज्य में प्रति व्यक्ति आय केवल 290 रुपये है जब कि इसके अखिल भारतीय आंकड़े 350 रुपये से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तेजी से विकास करने के लिये उस राज्य की क्षमता होने के बावजूद भी वहां के विकास की गति कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली राज्य के विकास की प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कितना कितना व्यय किया जायेगा, यह व्यय केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग को किस हद तक स्वीकार्य है और इससे उस राज्य के तेजी से विकास करने में कहां तक सहायता मिलने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)

(क) किसी क्षेत्र में प्रचलित दैनिक मजूरी की सम्पूर्ण देश की दैनिक मजूरी के साथ तुलना दर्शाने वाला कोई तुलनात्मक सूचकांक नहीं है । मजदूरों की दैनिक मजूरी का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों तथा समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर होता है ।

केरल की और सम्पूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने वाले तुलनात्मक प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) किसी राज्य की विकास दर कई बातों पर निर्भर होती है । राज्य की विकास दर के लिये उत्तरदायी किसी विशेष तत्व का सूक्ष्मतापूर्वक पता लगाना सम्भव नहीं है । जहां तक केरल का सम्बंध है, ऐसा मालूम पड़ता है कि विकास की धीमी गति का मुख्य कारण वहां की जनसंख्या का अधिक होना है ।

(ग) इस समय ऐसा प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के लिए राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव नहीं आये हैं ।

श्री रा० कृ० सिंह : फैजाबाद डिवीजन के बारे में संसद के पांच सदस्यों ने उत्तर प्रदेश योजना बोर्ड को एक ज्ञापन भेजा था जिनमें श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री राम सेवक यादव और स्वयं मैं भी शामिल हूँ, उत्तर प्रदेश के इस डिवीजन में छः जिले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न संख्या 725 के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं। फैजाबाद का केरल से क्या संबध है। अभी श्री अदिचन प्रश्न पूछेंगे।

श्री अदिचन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछली तीन योजनाओं में केरल राज्य की सर्वथा उपेक्षा की गई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप विकास की दृष्टि से केरल अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे रह गया है, क्या सरकार चौथी योजना में केरल राज्य के लिए उदारता पूर्ण तथा न्यायसंगत आबंटन करेगी ताकि पिछली तीन योजनाओं के दौरान इस राज्य की उपेक्षा किये जाने के कारण जो असन्तुलन पैदा हो गया था, वह समाप्त हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : श्रीमन्, मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

श्री योगेन्द्र शर्मा : प्रश्न यह है कि पिछली तीन योजनाओं के दौरान केन्द्र द्वारा केरल राज्य को पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है; क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चौथी योजना में केरल के लिये अधिक धन नियत किया जायेगा ?

श्री नम्बियार : कम से कम चौथी योजना में।

श्री ब० रा० भगत : यह सच नहीं है। पिछली तीन योजनाओं के दौरान केरल को अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा केन्द्र द्वारा अधिक सहायता प्राप्त हुई है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा भेद भाव क्यों है ?

श्री ब० रा० भगत : पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना में सभी राज्यों को 20 प्रतिशत अधिक सहायता दी गई थी जब कि केरल के सम्बन्ध में यह सहायता 58 प्रतिशत थी। दूसरी योजना के मुकाबले तीसरी योजना में सारे भारत के लिए सहायता में वृद्धि 137 प्रतिशत थी जबकि केरल के सम्बन्ध में यह वृद्धि 221 प्रतिशत थी।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : तथ्य इस प्रकार हैं। चौथी योजना में सभी राज्यों के लिए सहायता की राशि में वृद्धि 43 प्रतिशत है जब कि केरल के संबंध में यह वृद्धि 50 प्रतिशत है। इसलिए समस्या को समझते हुए हमें यथा सम्भव सब कुछ करना चाहिये ताकि विकास दर में वृद्धि हो। यह कहना सच नहीं है कि केन्द्र द्वारा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में केरल के साथ कोई भेद-भाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है। वास्तव में, हम सहायता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सोनावने : उनका रवैया भेद-भाव पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह। श्री अदिचन के दूसरे प्रश्न का सवाल नहीं उठता जब दो प्रश्न एक ही में पूछ लिये जायें।

श्री रा० कृ० सिंह : हमारे देश में केरल पिछड़ा हुआ तथा अविकसित राज्य है।

दो परस्पर विरोधी बातें हैं जिनके बारे में सरकार को योजना की राष्ट्रीय सूची में विचार करना है—पहला है पिछड़े हुए क्षेत्र तथा दूसरा है विकसित क्षेत्र। मैं मंत्री महोदय को एक और प्रतिवाद के बारे में बताना चाहता हूँ। राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भारत के मानचित्र में अपना अस्तित्व नहीं रखते; क्या वे कर नहीं देते और क्या वे मत नहीं देते ?

क्या योजना का कार्य केवल बड़े नगरों में ही सीमित रहना चाहिये, और देश के उनसम्पूर्ण क्षेत्रों की पूर्ण उपेक्षा की जानी चाहिये जहां गावों के लोग रहते हैं जो कि कर चुकाते हैं और भारत सरकार के पक्ष में मत देते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि कुछ नगरीय क्षेत्रों में विरूपण के कारण विकास दर अधिक हो, और कुछ उद्योग, यहां तक कि मध्यम उद्योग अथवा औद्योगिक सम्पदा किसी एक क्षेत्र में चले गये हों, और परिणाम स्वरूप, पूंजी निवेश के अधिक होने के कारण विकास दर अधिक हो। किन्तु इस असंतुलन अथवा विकृति को ठीक करना है। तीसरी योजना में प्रयत्न किया गया था और चौथी योजना में भी बहुत अधिक प्रयत्न किया जायेगा कि कृषि, गाँवों में बिजली पहुँचाने, ग्रामीण उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों को जहाँ विकास दर कम है, प्राथमिकता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर का यह असंतुलन ठीक किया जाये।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि केरल के विकास दर में कमी का कारण उस राज्य की जन संख्या का उच्च घनत्व है। मुझे कभी ऐसी आशा नहीं थी कि कोई मंत्री बीसवीं शताब्दि की सांध्य वेला में भी इस प्रकार का वक्तव्य देगा क्योंकि यह वक्तव्य बिल्कुल अवैज्ञानिक है। जापान जैसे देशों में जहां जनसंख्या का बहुत ऊँचा घनत्व है, विकास और वृद्धि दर बहुत ऊँची है। यदि केरल में विकास दर तीव्र नहीं रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने वहां उद्योग स्थापित नहीं किये हैं, जिनसे राज्य के बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता।

मैं प्रश्न के लिये पृष्ठ भूमि तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि मंत्री महोदय यह नारा लगाते रहते हैं कि वे केरल के प्रति भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं अपनाते हैं; इसलिये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केरल में तीन योजनाओं के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय सरकार का पूंजी निवेश कुल निवेश का एक प्रतिशत है और यहाँ तक कि परियोजनायें जो केरल में स्थापित की जाती हैं थीं; वहाँ स्थापित नहीं की जा रही हैं। उदाहरणार्थ ह्याटो कैमिकल प्रोजैक्ट तथा प्रेसिशन इंन्स्ट्रुमेंट फैक्ट्री के बारे में सरकार विचार कर रही है क्या इन कारखानों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जाय अथवा छोड़ दिया जाय। इसी प्रकार, कोचीन में जहाज-निर्माण यार्ड को भी अभी जन्म लेना है।

इस पृष्ठ भूमि के साथ, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार चौथी योजना बनाते समय केरल की जनसंख्या के अधिक घनत्व तथा बेरोजगारी की ऊँची प्रतिशतता को ध्यान में रखेगी और केरल को विशेष महत्व देगी तथा केरल में स्थापित कारखानों को वहाँ से नहीं हटायेगी ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : बिहार को भी उसमें सम्मिलित किया जाय।

श्री० ब० रा० भगत : केन्द्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करते समय केरल राज्य की बेरोजगारी की ऊँची दर अथवा सामुद्रिक क्षरण के प्रश्न की जांच करनी होगी। जब मैंने बताया है कि जनसंख्या के ऊँचे घनत्व के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश अथवा प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो यह सच है और यह तथ्य कि यह बीसवी शताब्दि है; उस तत्व को नहीं मिटा सकती। यदि आप वृद्धि के अथवा विकास के विभिन्न निवेशों को लें तो आप देखेंगे कि

केरल में प्रति व्यक्ति निवेश आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल से अधिक ऊंचा रहा है ।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निवेश का अंश है ।

श्री ब० रा० भगत : मैं आपके प्रश्न और बातों का अनुमान लगा रहा हूँ । मैं उनका उत्तर दूंगा । जहां तक प्रति व्यक्ति योजना व्यय का सम्बन्ध है, सात राज्य केरल से नीचे हैं, जहाँ तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है और छः राज्य केरल से नीचे हैं । यदि आप प्रति व्यक्ति योजना व्यय अथवा केन्द्रीय सहायता पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि केरल की स्थिति कोई बुरी नहीं है । लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम प्रति व्यक्ति निवेश अथवा प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं तो केरल राज्य की जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के औसत घनत्व से तीन गुना या तीन गुने से भी अधिक बैठता है । इसलिये जब आप प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य भी करना चाहते हैं, तो यह नीचे जाता है अर्थात कम होती है क्योंकि जनसंख्या के तीन गुने अधिक घनत्व की पूर्ति नहीं की जा सकती । इसीलिये मैंने वैसा कहा था, सम्भवतः जन संख्या के ऊँचे घनत्व के कारण, जो कि प्रति व्यक्ति निदेश या प्रति व्यक्ति आय में प्रतिबिम्बित होती है । लेकिन तथ्य यह है कि देश के सम्पूर्ण संसाधनों के अनुकूल हम केरल की समस्याओं की ओर यथा सामर्थ्य ध्यान दे रहे हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच है कि यदि आप आकार, पिछड़ापन तथा जनसंख्या को ध्यान में रखकर पिछली तीन योजनाओं में योजना संबन्धी धन आबंटन का विश्लेषण करें तो उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य ठहरता है जिसके साथ सबसे अधिक भेद भाव पूर्ण व्यवहार हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि आप राज्यवार प्रति व्यक्ति आय को लें तो केरल की इतनी बुरी स्थिति नहीं है बल्कि बिहार सबसे नीचे है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है । अब श्री भारती अल्प सूचना प्रश्न पूछेंगे ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : केरल सम्बन्धी प्रश्न पर आपने उत्तर प्रदेश के सदस्य को बुलाया । आपने केरल के सदस्य को नहीं बुलाया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकार उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आता है अथवा किसी अन्य मंत्रालय के ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस बारे में पता नहीं हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इसके बारे में बताऊंगा ।

Allotment of Plot for Petrol Pump opposite Krishi Bhavan, New Delhi.

Short Notice Question No. 14. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has allotted land to M/s. Burmah Shell Co. for a petrol pump opposite Krishi Bhavan, New Delhi ;

(b) if so, whether the action of D.D.A. in allotting land to M/s. Burmah Shell in preference to the Indian Oil Corporation is not contrary to the declared policy of Government ;

(c) whether it is also a fact that M/s. Burmah Shell do not produce petrol themselves but it would be purchased from the Public Sector and then sold through this petrol pump ; and

(d) if so, the considerations which weighed with Government in not allotting this place to the Indian Oil Corporation ?

Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao) : (a) With the development of the Jantar Mantar Complex, the existing Burmah Shell petrol pump on a non-conforming site opposite the New Delhi Municipal Committee had to be shifted. The Delhi Development Authority is stated to have approved of the shifting of the petrol pump to the parking area near the Chelmsford Club. Chairman, New Delhi Municipal Committee authorised Burmah Shell to instal the pump on the new site.

(b) Allotment of the site to M/s Burmah Shell by the Chairman, New Delhi Municipal Committee without the approval of Land and Development Officer is unauthorised.

(c) M/s. Burmah Shell also manufacture petrol, though, the product sold by all the oil companies in the Delhi area, including by M/s. Burmah Shell, is drawn from the public sector refineries, on the basis of the existing product exchange arrangements between the marketing oil companies.

(d) The land in question belongs to the Central Government and no decision to allot it to any party for a petrol pump has so far been taken by Government. As the allotment is without authority, the Delhi Administration has been asked to get the plot vacated.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it is a fact that this petrol pump has started working without getting licence for retail sale from the Sales Department, storage licence from the Chief Inspector of Explosives, without getting sanction for plan of the building from the Municipal Corporation, without getting sanctioned the supply of electricity and by printing Cash Memos without name and numbers ? It seems that sales have started at this petrol pump in an unfair manner. The Delhi Development Authority had not even fully transferred this land to New Delhi Municipal Corporation keeping in view that this petrol pump started functioning in an unfair way in collusion with the Municipal Corporation, whether the Government will prosecute them for all these things and file a suit against them ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने बताया हमसे परामर्श नहीं किया गया। हमने पैट्रोल पम्प को इस स्थान पर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी, यह भी सच है कि बर्मा-शैल के पैट्रोल पम्प ने विस्फोटक पदार्थों के मुख्य निरीक्षक से लाइसेंस नहीं लिया था तथा पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार रखने के लिये भी लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, ऐसा मालूम पड़ता है कि पैट्रोल पम्प को चालू करने में कुछ अनावश्यक शीघ्रता की गई है, सांठ-गांठ किये जाने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अब हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं कि यह कार्य इतनी जल्दी से क्यों किया गया था।

Shri Maharaj Singh Bharati : You have framed a policy at the National level that the petrol, which is prepared in the Public Sector, will be sold by the petrol pumps and the private sector will also sell that petrol and you also have mentioned it. Simultaneously, you have decided that after the expiry of lease of all the private petrol pumps in Delhi or after their closure due to some other reasons, the new petrol pumps will be located in the public sector, because all the petrol sold belongs to the public sector. When the public sector petrol is sold by the foreign companies like Burmah Shell the money earned goes to foreign countries in the form of profit or foreign exchange. You have decided a policy and the public sector company is demanding this site for the last many years but you have not allotted that site to them. The Municipal Corporation has easily allotted that site to private sector without bringing it to your knowledge. Does it not prove that you have adopted policy to eliminate public sector and to promote private companies specially foreign companies ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने बताया है मोरारका समिति की रिपोर्ट सरकार को नवम्बर में दी गयी थी और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है, इस समिति ने पैट्रोल पम्पों के लिए फुटकर बिक्री के बारे में नीति निर्धारित की है, भविष्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को कुल फुटकर बिक्री का 5 प्रतिशत दिया जायेगा । शेष भारतीय तेल कम्पनी के लिये आबंटित किया जायेगा । इसी नीति का सरकार पालन कर रही है । इस विशिष्ट मामले में मैंने पहले ही बता दिया है कि नई दिल्ली नगर पालिका की ओर से कुछ शीघ्रता की गई तथा कुछ गलतफहमी थी । अतएव मैंने इसे अनियमित आवंटन कहा है हमने इसे अभी अनुमोदित नहीं किया है, और दिल्ली प्रशासन को इस पम्प को बन्द कर देने के लिये कहा गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has stated that this place belonged to the Government and the officials of New Delhi Municipal Committee handed it over to other persons illegally. I want to know how much land belonges to the Government. Do you have any list ? Which lands have been given to others on rent lease without your permistion by the New Delhi Municipal Committee ? May I know whether the land at Regal Park on which a restaurant was constructed, also beloged to you as no information was furnished to you. If so, will you get it vacated and conduct an inquiry with a view to find out as to which officials of the New Delhi Municipal Committee are responsible for it and make efforts to punish them.

श्री जगन्नाथ राव : जी हाँ, यह भूमि सरकार की है, हमने इस स्थान का अनुमोदन नहीं किया है और हमने दिल्ली प्रशासन को इसे खाली करवाने को कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि हम समस्त मामले के जाँच पड़ताल करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The land at Regal Park in New Delhi, on which a restaurant was just constructed and for which the N.D.M.C. has issued a licence also belongs to you. You please make an enquiry.

श्री जगन्नाथ राव : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The N.D.M.C. has sanctioned instalation of a Petrol Pump on your land without your permission. Will you ask them to get it vacated ?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने दिल्ली प्रशासन को इसे खाली करने को कहा है ।

श्री रा० की० अमीन : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या किसी सरकारी क्षेत्र की संस्था ने भूमि की मांग का प्रस्ताव रखा है ताकि वहां पैट्रोल पम्प लगाया जा सके ।

श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली प्रशासन तथा उपराज्यपाल-भूमि तथा विकास अधिकारी को

पैट्रोल पम्प के लिए भूमि के सम्बन्ध में लिखते हैं, और हम उनकी सिफारिश पर कार्य करते हैं। मेरे विचार में एक समिति ऐसी भी है जो पैट्रोल पम्प के लिए भूमि के आवंटन के प्रश्न पर विचार करती है।

Shri Bibhuti Mishra: This place is close to Shastri Bhawan, Krishi Bhawan and Parliament House. Even the passerby says that there is something in this deal and that is why the site has been allotted to Private Company of Burmah Shell and as such it has not been alloted to Indian Oil Company. If it is correct whether the Government would cancel this deal and make arrangements to hand it over to the Indian Oil Company ?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने पहले ही बताया है कि हम इस समूचे मामले की जाँच कर रहा हूँ और यह भूमि इण्डियन आयल कम्पनी को दी जानी चाहिए न कि किसी और गैर सरकारी कम्पनी को।

Shri Kameshwar Singh : The case of N.D.M.C. is different. The Burmah Shell has started sale and the officials of Burmah Shell are guilty for this. I want to know from the Hon. Minister whether he is going to take legal action against Burmah Shell for its violation of rules ? It not, what are the reasons ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि मैंने बताया है हम समूचे मामले की जांच करेंगे और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे।

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon. Minister has admitted that N.D.M.C. has alloted site to Burmah Shell for installing Petrol Pump with the permission of Central Government. This proves that the N.D.M.C. is a tool in the hands of the Government. There are many cases of Corruption. Will the Government institute an enquiry so that it may come to light as to how many such plots have been alloted and encroached upon without the permission of the Government.

श्री जगन्नाथ राव : मैंने पहले ही बता दिया है कि हम इस समूचे मामले की जाँच करेंगे।

श्री बलराज मधोक : सरकार ने स्वीकार किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने बिना उनके अनुमोदन के अवैध निर्माण कार्य किया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वे इस पम्प को तुरन्त ही बन्द करने को तैयार हैं और क्या वे नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे, जो कि सरकार के कर्मचारी हैं और जिनको सरकारी अनुदेशों का पालन करना चाहिये। यदि वे सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करते हैं तो इस देश में हम क्या कर सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : पेट्रोल पम्प पहले ही बन्द कर दिया गया है। जहाँ तक नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न है, हम इस समूचे मामले की जांच करेंगे, और यदि इसका कोई परिणाम निकला, तो निश्चय ही कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"बाल्टीमोर सन" के एक सम्वाददाता का लेख

*722. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई 1968 के "बाल्टीमोर सन" में उसके नई दिल्ली स्थित सम्वाददाता द्वारा प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर (प्रेस ट्रस्ट आफ

इंडिया द्वारा परिचालित) दिलाया गया है, कि मंत्रिमंडल के एक वरिष्ट सदस्य ने इस सम्वाददाता के साथ रूसी हथियारों की खरीद से सम्बन्धित गोपनीय मामलों के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) : क्या सरकार का ध्यान इस सम्वाददाता की निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणी की ओर भी दिलाया गया है :

"सन समाचार" में आगे बताया गया है कि चाहे भारत सरकार इन आंकड़ों को बताने से इन्कार भी कर दे, तो भी अमरीकी गुप्तचर विभाग को रूसी हथियारों की लागत तथा ब्योरे का अनुमान लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित गोपनीय बातों को गुप्त रखने में बड़ी असावधानी बरती जाती है।"

(ग) मंत्रिमंडल का वह सदस्य कौन था; और

(घ) उन्होंने 'वाल्टीमोर सन' के इस सम्वाददाता से क्या कहा था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य का वाल्टीमोर सन के संवाददाता से बातचीत करने का मौका नहीं पड़ा।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

नियात नीतियां सम्बन्धी सलाहकार दल

*727. **श्री अंबचेजियान :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चैगलराया नायडू : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी नीतियां बनाने तथा उपाय करने में परामर्श लेने के लिये निर्यात प्रधान उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक छोटा सा दल बनाया जायेगा :

(ख) यदि हाँ, तो इससे सरकार को क्या सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) इस सलाहकार दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इसके कब तक गठित हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के सम्बन्ध में, प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 2 अगस्त, 1968 को योजना आयोग में हुई बैठक में, कतिपय भागीदारों के सुझाव के उत्तर में उपाध्यक्ष योजना आयोग ने कहा कि निर्यात लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियों के अनुरूप सहायक उपाय किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों में उद्योग के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने में योजना आयोग को खुशी होगी।

(ख) सरकार की अपनी नीतियों के संदर्भ में, सम्बन्धित हितों से परामर्श करना, निर्णय लेने के लिए बहुत ही उपयोगी है।

(ग) और (घ) : अभी तक इस प्रकार का कोई परामर्श दल गठित नहीं किया गया है।

जनरल केटो की हत्या

*728 **श्री वेद व्रत बरुआ :** **श्री महाराज सिंह भारती :**

श्री कंवर लाल गुप्ता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी है कि चीन समर्थक गुट के नागा विद्रोही लोग जनरल केटो की हत्या के लिये जिम्मेदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) क्या नागा विद्रोहियों ने इस बात से इन्कार किया है कि इस मामले में उनका कोई हाथ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य प्राधिकारीगण हत्या के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को खोज निकालने के लिए आवश्यक जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

फिजो द्वीप की स्वतंत्रता

*729. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार से फिजो द्वीप को तुरन्त स्वतन्त्रता देने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों का समर्थन किया है जिनमें फिजो को जल्दी स्वतंत्र करने की मांग की गई है।

(ख) यह बड़े खेद का विषय है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया है।

उपग्रह छोड़ने का केन्द्र

*730. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **प्रधान मंत्री** 8 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह छोड़ने का एक केन्द्र भारत में स्थापित करने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत ने अन्तरिक्ष विज्ञान में अब तक कितनी प्रगति की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियों का विवरण "स्पेस रिसर्च इन इंडिया" नामक पुस्तक में दिया गया है, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

Sword of Shivaji

*731. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Sharda Nand** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Maharashtra Legislative Council has stated that the sword of Chhatrapati Shivaji is in U.K. and that the Government of India should make attempts to bring it to India ;

(b) whether Government propose to bring the sword of Shivaji to India and honour it as was done in the case of the relics of Guru Govind Singh ; and

(c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh : (a) **to** (c) : Government have seen Press reports to this effect.

They are making enquiries.

दमकल सेवा अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण संस्थान

732. **श्री गाडिलिंगन गौड** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों के लिये दमकल सेवा अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण संस्थान के आरम्भ होने के पश्चात् 1965 तक वहाँ कोई प्रशिक्षण कोर्स नहीं हुआ ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और अधिकारियों के लिये संस्थान में इन प्रशिक्षण सुविधाओं का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) 1966-67 में कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) **से (ग)** : फायर सर्विस रिसर्च डिवेलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश्मेंट रक्षा असैनिकों समेत सभी श्रेणियों के अफसरों और व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये स्थापित की गई है, न कि केवल अफसरों के प्रशिक्षण के लिए ही। 1959 से 1965 तक अग्निकांडों का सामना करने के मिश्रित व्यापक पाठ्यक्रम का नियमिततौर पर आयोजित किये गए थे। इस अवधि में 154 अफसरों, 118 जे० सी० ओज० और 1354 अवर श्रेणी सैनिकों और असैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। 1965 से सेवाओं के मुख्यालय इस योग्य हो गये हैं कि वह अपने अफसरों की पर्याप्त संख्या को, केवल उन्हीं, के लिये पाठ्यक्रम चलाये जाने के लिये, विमुक्त कर सकें। 9

अफसर पाठ्यक्रम चलाये जा चुके हैं और दसवां प्रगतिशील है। 1966-67 में तीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए गए अफसरों की संख्या 41 है।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारण अखबारी कागज का कोटा नियत न किया जाना

*733. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1968 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जो समाचार पत्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे उन्हें अखबारी कागज नहीं दिया जायगा ;

(ख) दिये हुए आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

चौथी योजना की योजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन

*734. **श्री चेंगलराय नायडू :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सभी राज्यों को यह निदेश दिया है कि वे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की योजनाएँ तैयार करते समय क्षेत्रों के लिए धन के आवंटन की राशि सूचित करें;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को भेजे गये नवीनतम निदेश का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का निश्चय, योजना आयोग के 'मार्ग निर्धारण' दस्तावेज में दिए गये निर्देशनों के आधार पर कर लें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त सैनिकों, नौ सैनिकों, तथा वायुसैनिकों के लिये पेंशन

*735 **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1947 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों, नौसैनिकों तथा वायु सैनिकों को उस तिथि के बाद सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की तुलना में कम दर पर सेवा निवृत्ति वेतन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोनों वर्गों के पेंशन भोगियों को समान स्तर पर लाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, तदपि इस तथ्य के बल पर कि सेवा सेविवर्ग अपने रिटायर होने की तिथियों पर लागू पेन्शनों के अधिकारी हैं, 1 जून 1953 के पश्चात् रिटायर होने वाले सेविवर्ग ने पेन्शनों के उन बढ़े दरों से लाभ उठाए हैं जो उस तिथि पर लागू किये गये थे।

(ग) तथा (घ) उन व्यक्तियों को कि जो 1-6-1953 से पहले रिटायर हुए थे, उन व्यक्तियों की समानता देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है कि जो 1-6-1953 के पश्चात् रिटायर हुये थे। तदपि, 26-1-1950 और 31-5-1963 के बीच रिटायर होने वालों को कई तदर्थ बढ़ोत्रिएं दी गई थी, कि जिन्होंने पुराने और नये पेन्शन कोडों के अन्तर्गत देय राशियों के बीच अन्तरों को काफी आवृत्त कर लिया है। जो सेविवर्ग 26-1-1950 से पहले रिटायर हुए थे और 100 रुपये मासिक तक पेन्शन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1958 में 5 रुपये से 7.50 रुपये मासिक तक बढ़ी-चढ़ी अस्थायी बढ़ौत्रिएं प्रदान की गई थी।

चौथी योजना तैयार करना

*736. **श्री मुहम्मद इमाम :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना के लिये परिव्यय निर्धारित करने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने आयोग के समक्ष अपने विचार रखे हैं; और

(ग) उन विचारों का सार क्या है और क्या आयोग चौथी योजना का परिव्यय निर्धारित करते समय इन पर विचार करेगा ;

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी योजना की तैयारी से सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर योजना आयोग विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श कर रहा है।

(ख) अभी तक श्री एस० निजलिंगप्पा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा श्री एन० जी० गोरे, अध्यक्ष, प्रजा समाजवादी दल से विचार-विमर्श हुआ है। अन्य बैठकों की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) दिनांक 19 जुलाई, 1968 और 24 जुलाई, 1968 की प्रेस विज्ञप्तियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। प्रेस विज्ञप्तियां की प्रतियों सभा-पटल पर प्रस्तुत हैं।

स्वाभाविक है कि राजनैतिक नेताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किये जायेंगे उन पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 1933-68]

श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन एजेंसियां

*737 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय की अनुमोदित सूची में भारतीय तथा विदेशी सहयोग वाली विज्ञापन एजेंसियों की संख्या तथा नाम क्या हैं और उनके मालिक कौन-कौन हैं;

(ख) पहले यह सूची कब तैयार की गई थी और इन एजेंसियों का अनुमोदन करने की कसौटी क्या थी;

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक एजेन्सी को कितनी-कितनी कमीशन दी गई, और

(घ) इस सूची का पुनरीक्षण कितने समय के पश्चात् किया जाता है और अब इसका कब पुनरीक्षण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) यह सूची दिसम्बर, 1967 में तैयार की गई थी।

(1) कम से कम तीन साल व्यवसाय करते हुये हो गये हो,

(2) 5 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक कार्य हो,

(3) इंडियन ईस्टर्न न्यूज सोसाइटी से पूरी मान्यता;

(4) उपयुक्त उपकरण : एजेन्सी के पास एक अच्छी सूचनात्मक यूनिट और विज्ञापनों का कार्य देखने के लिये अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी स्टाफ होना चाहिये, और

(5) आय कर का भरपाई प्रमाण-पत्र ।

(ग) विज्ञापन तथा, दृश्य प्रचार निदेशालय समाचार पत्रों को सीधे ही विज्ञापन देता है। एजेन्सियों के द्वारा नहीं, अतएव, उनको कोई पैसा नहीं दिया गया।

(घ) एजेन्सियों से सूची में सम्मिलित करने की प्रार्थना जब भी मिलती है, उस पर विचार किया जाता है। पुनरीक्षण के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1934-68]

स्थायी वार्ता व्यवस्था का पुनरारम्भ

*738. **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में गतिरोध को देखते हुये उनका मन्त्रालय स्थायी वार्ता व्यवस्था को पुनः शुरू करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या पुरानी स्थायी वार्ता व्यवस्था का पुनरारम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जायंट कन्सल्टेटिव मशीनरी योजना के अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय के विभागीय परिषद के कामों में, गत बैठकों में कि जिनमें अन्तिम 23/24 मई 1968 को आयोजित की गई थी, अथवा उसकी अन्तिम बैठक में कि जो हाल ही में 23/24 अगस्त 1968 को आयोजित की गई थी, सरकार को किसी प्रकार की रुकावट का ज्ञान नहीं है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने रक्षा मन्त्रालय की स्थायी मन्त्रणा मशीनरी के पुनः प्रवर्तन की मांग की थी। सरकार ने संघ की मांग पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। सरकार के विचार में स्थायी मन्त्रणा मशीनरी अपनी पहली हालत में जायंट कन्सल्टेटिव मशीनरी योजना के साथ ठीक

फिट नहीं बैठती । तदपि, संघ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि विभागी परिषद की बैठकों के लिए नियत की गई तिथियों से कुछ दिन पहले संघ के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा मन्त्रालय (जे० सी० एम०) के विभागीय परिषद् की बैठकों के एजन्ट पर अनौपचारिक तौर पर विचार विमर्श किया जाये । ऐसे विचार विनियम केवल मन्त्रालय स्तर पर आयोजित किए जाएँगे । संयुक्त अनौपचारिक विनिमयों की सुविधा इस शर्त के साथ होगी कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ सभी स्तरों पर जे. सी. एम. में शामिल होना स्वीकार कर लें । उपरोक्त प्रस्ताव पर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ का प्रतिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ ।

Pak Propaganda on Kashmir

*739. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Pakistan has again started virulent propaganda in the world against India on the question of Kashmir ;

(b) if so, whether Pakistan is getting the co-operation of some major powers in this regard ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat : (a) Pakistan's propaganda continues. There is no question of restarting such propaganda.

(b) Pakistanti propaganda against India is often reproduced by Chinese publicity media.

(c) Government deplore such propaganda which is against the letter and spirit of the Tashkent Declaration and rebut it through our own diplomatic and informati on channels.

ब्रिटेन में रहने वाले सिख

*740. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रहने वाले सिख अलग थलग कर दिये गये हैं और उनके साथ जाति, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है ;

(ख) क्या उनमें से बहुत से व्यक्तियों को इसलिये रोजगार नहीं दिया गया है क्योंकि सिखों की दाढ़ी पर अंग्रेजों को आपत्ति है ;

(ग) क्या एक अथवा अन्य बहाने पर उन्हें रोजगार देने से इन्कार किया जाता है ;

(घ) क्या ऐसे बहुत से सिखों को, जिन्हें ब्रिटेन में जाने के लिये प्रोत्साहित किया गया था, अब सार्वजनिक शौचालय साफ करने, बर्तन साफ करने, गलियां साफ करने, कूड़े की टोकरियां खाली करने आदि का तुच्छ काम करने के लिये बाध्य किया जाता है ; और

(ङ) सिख भाइयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) सभी अश्वेत आप्रवासियों के प्रति कुछ भेदभाव बरता गया है जिनमें सिख भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) : सिर्फ बुल्वरहैम्पटन कारपोरेशन में ही ऐसे कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनमें मालिक ने सिखों को उनकी दाढ़ी और साफे के कारण निकाल दिया हो क्यों कि ये वर्दी सम्बन्धी उनके नियमों से मेल नहीं खाते। जाति और रंग के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर कमोवेश बुरा असर हुआ है।

(घ) सम्भव है कि उनमें से कुछ को इस तरह के काम करने पड़ जाएं। बहरहाल, सरकार की नीति भारत से यूनाइटेड किंगडम के लिये उत्प्रवास को प्रोत्साहन देने की नहीं है।

(ङ) हमारा हाई कमीशन सामान्य मसलों पर ब्रिटिश सरकार से बराबर संघर्ष बनाए हुये हैं। जब कभी आवश्यकता होती है, वह अलग-अलग एक-एक मामलों को भी उठाता है।

काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान को उत्तर वियतनाम से समर्थन

*741. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री 24 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के बारे में पाकिस्तान को उत्तर वियतनाम द्वारा समर्थन के सम्बन्ध में इस बीच उत्तर वियतनाम सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

काश्मीर में आकाशवाणी के संवाददाता

*742. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा काश्मीर में लगातार आकाशवाणी के कई सम्वाददाताओं को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और उन्हें दिल्ली वापस चले जाने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

*743. **दी० चं० शर्मा :** **श्री क० मि० मधुकर।**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन बुलाने के लिये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के प्रस्ताव का किसी देश ने समर्थन किया है ;

(ख) इस सम्मेलन के आयोजित होने की क्या सम्भावनायें है ; और

(ग) यह सम्मेलन कब तक आयोजित होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) प्रारम्भिक प्रतिक्रिया तो गुटों से अलग देशों के एक और सम्मेलन के पक्ष में ही लगती है ।

(ग) अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है ।

चौथी योजना

*744. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है ; और

(ग) क्या योजना कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कार्यक्रम के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जनवरी, 1969 तक तैयार होना है । योजना आयोग ने कई कार्यकारी दल गठित किये हैं और वे काम पूरा करने के अग्रिम चरण में हैं । राज्य साधनों के बारे में सितम्बर, 1968 में विचार-विमर्श होने हैं । फिलहाल, योजना आयोग के दस्तावेज "चौथी पंचवर्षीय योजना का मार्ग निर्धारण" पर जनता का विचार प्राप्त करने तथा देश भर में इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए योजना आयोग, राजनैतिक दलों के नेताओं, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, मजदूर संघों, प्रगतिशील किसानों, सहकारों आर अन्य सम्बद्ध संगठनों से क्रमिक विचार-विमर्श कर रहा है ।

(ख) कार्यकारी दलों की सिफारिशों की जांच-पड़ताल करने के बाद यह प्रश्न उठेगा ।

(ग) कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

परमाणु हथियार ले जाने वाले विमानों की उड़ान पर प्रतिबन्ध

*745. **डा० रानेन सेन :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार परमाणु हथियार ले जाने वाले विमानों की उड़ान पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या जेनेवा में होने वाले निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस सुझाव के बारे में बातचीत होगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) सोवियत संघ ने जेनेवा में 18 देशों की निरस्त्रीकरण समिति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें "परमाणु अस्त्र वाले बमवर्षकों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर उड़ाने निषिद्ध करने तथा राकेट वाली पनडुब्बियों के नौवहन के क्षेत्र को सीमित करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है । सरकार इस

प्रस्ताव का स्वागत करती है और आशा करती है कि 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति इस पर विचार करेगी ।

चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध

*746. **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विरुद्ध चीन सरकार के बढ़ते हुए शत्रुतापूर्ण रवैये को ध्यान में रखते हुए चीन से राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) चीन के प्रति सरकार की नीति को सदन में अनेक बार बतलाया गया है ।

चटगांव में अमरीकी आण्विक सवक्षण केन्द्र

*746. **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सरकार को पेशावर से अपने आण्विक सर्वेक्षण केन्द्र को हटाने को कहा है, किन्तु चिटगांव में एक ऐसा ही केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि इन केन्द्रों का भारत के विरुद्ध जासूसी करने के लिये प्रयोग किये जाने की सम्भावना है, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) : हमारे विचार से पाकिस्तान अमरीका की सहायता से चटगांव और खुलना जिलों में तूफान का पता लगाने के केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है । हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये केन्द्र "परमाणु सर्वेक्षण केन्द्र" हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छावनी क्षेत्रों में असैनिक जनसंख्या

*748. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पछले बीस वर्षों में छावनी क्षेत्रों में असैनिक जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्डों पर वे नियम और विनियम लागू होते हैं, जो कई दशाब्दियों पहले बनाये गये थे, जबकि छावनी क्षेत्रों में असैनिक जनसंख्या बहुत ही कम होती थी ;

(ग) क्या अनेक छावनियों के लोगों ने परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1961 तक के 10 वर्षों में छावनियों की जनसंख्या अखिल भारतीय 21% बढ़ौती की तुलना में 13% बढ़ी है ।

(ख) छावनी बोर्ड छावनी बोर्ड एक्ट 1964 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित किए जाते हैं । समय-समय पर इस एक्ट और नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन किए गए हैं ।

(ग) छावनी बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए विभिन्न पार्टियों से सुझाव और अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) अन्य बातों सहित राज्यनीति के निदेशन सिद्धान्तों के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पुरःस्थापित करने, सैनिक स्थानों के तौर पर छावनियों के गुणरूप से संगत छावनी प्रशासन के अधिक गणतन्त्री करण के लिए न्यायालयों द्वारा फैसलों में नजर आ पाई एक्ट में कई त्रुटियों को दूर करने के लिए और एक्ट को लागू करने में अनुभूत कठिनाईयों को दूर करने के लिए छावनी एक्ट 1924 में व्यापक संशोधन करना प्रस्तावित है । इस संबंध में प्राप्त हुए सभी सुझावों और अभिवेदनों पर भी विचार किया जाएगा ।

पूर्वी घाट में राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करना

*749. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी घाट में राकेट छोड़ने का एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में अणु शक्ति आयोग ने कुछ स्थानों का निरीक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का निरीक्षण किया गया है ;

(घ) क्या इस केन्द्र की स्थापना के लिये कोई जगह अन्तिम रूप में चुन ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-सी जगह चुनी गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आन्ध्र तथा मद्रास राज्यों में बहुत से स्थानों का निरीक्षण केन्द्र के चुनाव के लिए किया गया है तथा उनके बारे मे गौर किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Crisis in Film Industry

*750. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the film industry is at present facing a crisis ;

(b) whether it is also a fact that Patil and Kher Committees have made certain suggestions to Government for the protection and progress of the film industry ; and

(c) if so, the reasons for which Government have not so far implemented the suggestions referred to above ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Film Industry has been facing crisis of varying intensity for quite some time now.

(b) Yes, Sir.

(c) Several of the recommendations of the Patil Committee concerning the promotion and development of the film industry were adopted and put into action by the Government. Some more are under consideration. The Kher Committee was set up by the Maharashtra Government and its recommendations are to be implemented by the State Government.

केनिया से भारतीय लोगों का भारत में आना

6171. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 के अन्त तक केनिया से विभिन्न पारपत्र लिये हुए कितने भारतीय अथवा भारत मूलक व्यक्ति भारत में आए हैं;

(ख) उनको किस प्रकार के भारतीय बीजा दिये गये हैं तथा कुछ लोगों को मानवीय आधार पर बसाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) इन लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये सरकार की अन्तिम नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मार्च और जून, 1968 के बीच, भारतीय, ब्रिटिश और कीन्या पासपोर्टधारी लगभग 5,600 व्यक्ति भारत आए हैं।

(ख) और (ग) : इनमें से 3705 व्यक्तियों को, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे, भारत में ठहरने के लिए तीन से छः महीने की अवधि के बीजा दिए गए हैं।

इस अवधि में, जब ब्रिटिश पासपोर्टधारी 13 परिवारों को कीन्या छोड़ने के लिए विवश किया गया तो उनको भारत में स्थायी रूप से आ बसने की अनुमति दया के नाम पर दे दी गई।

ब्रिटिश सरकार के साथ भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों को कीन्या छोड़ने के विवश किया जाता है उनके पासपोर्ट में एक पृष्ठांकन होगा जिससे यू० के० में उनके प्रवेश का अधिकार सुरक्षित हो जायगा। इस प्रकार के व्यक्तियों को, यदि वे अन्यथा अयोग्य न होंगे, और यदि वे चाहेंगे तो, भारत में उनके अंततः बस जाने की संभावना की दृष्टि से भारत में प्रवेश करने के लिए बीजा दिए जाएँगे। अन्य लोगों के जो मामले ब्रिटिश सरकार के साथ की गई इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, उन पर भी दयाभाव सहित विचार किया जायगा।

चूंकि कीन्या से अपनी अंतिम रवानगी के समय, इन सब लोगों को 5000 पौंड की निर्धारित सीमा तक कीन्या से बाहर अपनी बचतें ले जाने की इजाजत होती है, इसलिए उनके पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे शरणार्थी नहीं हैं। बहरहाल, भारत सरकार ऐसे सभी

लोगों को आय कर एवं सीमाशुल्क रियायतें उदारतापूर्वक देती है जो भारत में स्थायी रुप से बसने का निश्चय कर लेते हैं।

बाल चलचित्र समिति के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

6172. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री 3 अप्रैल 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1029 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल चलचित्र समिति के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध उक्त शिकायत कौन सी धारा के अन्तर्गत दर्ज कराई गई है और क्या अभियुक्त को गिरफतार किया गया था और यदि हां, तो कब तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) उक्त मुकदमा किस प्रक्रम पर है और उसके कब समाप्त होने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि अपराध सम्बन्धी शिकायत को निपटाने के लिये अभियुक्त ने अपने दीवानी दायित्व का एक अंश नवद देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सोसाइटी के भूतपूर्व महा सचिव के विरूद्ध एक शिकायत भारतीय दंड विधान की धारा 408 के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त, बम्बई के पास कर दी गई है। गिरफतारी नहीं हुई है।

(ख) : मामले की अभी जांच हो रही है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

हमीरपुर जिले के पिछड़े क्षेत्रो का विकास

6173. **श्री किरितविक्रम देव वर्मन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राय और चरखारी तहसीलों के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई योजना/योजनायें प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितनी लागत लगेगी ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पिछड़े क्षेत्रों की कोई सूची प्राप्त हुई है ताकि इस क्षेत्र को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाने के उद्देश्य से उनका तुरन्त विकास हो सके; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त क्षेत्रों को उस सूची में शामिल किया गया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं।

परमाणु विज्ञान में हुई प्रगति को लोकप्रिय बनाना तथा उसका प्रचार करना

6174. **श्री समर गुह :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु विज्ञान की प्रगति के बारे में सामान्य विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) जनता को परमाणु युग की प्रगति सम्बन्धी मोटी-मोटी बातों का बोध कराने के लिये परमाणु विज्ञान की प्रगति के सम्बन्ध में सभी प्रादेशिक भाषाओं में लोकप्रिय पुस्तकें तैयार करने के लिये क्या सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) क्या समूचे देश भर में हमारे छात्रों के सामने देश में तथा संसार में होने वाली परमाणु विज्ञान की प्रगति के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिये सरकार देश के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण क्षेत्रों में कम से कम एक एक परमाणु प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रबन्ध करेगी, जिनका आयोजन परमाणु शक्ति आयोग के प्रचार विभाग द्वारा किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) देश में परमाणु विज्ञान की प्रगति बताने के लिये प्रचार के सामान्य तरीकों का, जैसे समाचार चलचित्रों में समाचार, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करना तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रयोग किया जा रहा है। विद्यार्थियों तथा आम जनता को देश में परमाणु शक्ति संस्थानों को दिखाने की भी व्यवस्था की जाती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ?

(ग) एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और वह समूचे देश में दिखाई जा रही है।

तारापुर रिएक्टर

6175. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर रिएक्टर के निर्माणकार्य में कितने वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा तकनीशन लगे हुए हैं ; और

(ख) उन में से कितने विदेशी हैं और कितने भारतीय हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) जिस समय निर्माण कार्य अत्यधिक तीव्रगति पर हो रहा था, उस समय 355 इंजीनियर और तकनीशियन थे; उनकी वर्तमान संख्या 314 है। इन आंकड़ों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ख) जिस समय निर्माण-कार्य अत्यधिक तीव्र गति पर था, उस समय विदेशियों की संख्या 74 थी और वर्तमान संख्या 49 है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये गुजरात की योजना का प्रारूप

6176. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये राज्य की योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसमें कृषि और औद्योगिक विकास की क्या दर बताई गई है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो यदि उसमें कोई-कोई संशोधन किये गये हैं तो क्या ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं। आशा है कि राज्य सरकार 1 सितम्बर, 1968 तक प्रस्तावों का मसौदा भेज देगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी में वर्क्स मुन्शी

6177. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री 17 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7500 तथा 7501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्क्स मुन्शियों को नियमित पदों पर रखने में इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

(ग) कितने पद बनाये जाने की आशा है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षक एकक की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप, वर्तमान तीन प्राजेक्ट सर्कल तथा अनुरक्षण विभाग को चार प्रादेशिक कार्यालयों में तथा एक केन्द्रीय स्टोर कार्यालय में पुनर्गठित किया जा रहा है। वर्क मुन्शियों को आकाशवाणी से नियमित सिब्बदा में मिलाने का प्रश्न पुनर्गठन का काम समाप्त होने के उपरान्त नये सिर से लिया जायगा। इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है।

(ग) स्थिति का ज्ञान केवल पुनर्गठन के उपरान्त हो सकेगा।

आकाशवाणी में अपर डिवीजन क्लर्क

6178. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में ऐसे अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है जो सेवा में तो वरिष्ठ हैं परन्तु अपने कनिष्ठ अपर डिवीजन क्लर्कों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे मामले में वेतन को सुरक्षित करने के लिये कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क): शून्य।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

चलचित्रों के विरुद्ध शिकायतें

6179. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री 'यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) अमन (2) ईवनिंग इन पेरिस (3) नाइट इन लंदन (4) आखें (5)

प्यार मोहब्बत (6) एराउन्ड दिवर्ल्ड (7) हांग-कांग (8) संगम तथा (9) स्पाई इन रोम चल-चित्रों के विरुद्ध, जो विदेशों में बनाई गई हैं, किन्हीं व्यक्तियों अथवा संसद् सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : "अमन" "आंखें" और "हाँग-काँग" के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है। अन्य फिल्मों के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

फिल्म का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1. "एन ईवनिंग इन पैरिस"	19
2. "नाइट इन लन्दन"	1
3. "प्यार मोहब्बत"	2
4. "अराऊंड दी वर्ल्ड"	4
5. "संगम"	39
6. "स्पाई इन रोम"	4

(ग) : फिल्म "ईवनिंग इन पैरिस" के बारे में प्राप्त शिकायतों को छोड़कर, अन्य शिकायतें सामान्य प्रकार की और छोटी थीं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। उक्त फिल्में सरकार द्वारा देखी गई थी और केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को सिनेमेटोग्राफ (सेंसरशिप) रूल्ज, 1958 के नियम 33 के अन्तर्गत जारी कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति ने इस फिल्ममें से 4 अंश निकालने का आदेश दिया था। निर्माता ने वे अंश निकाल दिए। फिल्म "स्पाई इन रोम" के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं समझी गई। फिल्म "अराऊंड दी वर्ल्ड" के बारे में मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

समाचार एजेंसियों को भुगतान

6180. **श्री जुगल मंडल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** 10 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार ऐजेंसियों को 1967-68 में किये गये भुगतान के बारे में सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1935/68)

Arya Samaj Missionaries in Nagaland

6182. **Shri Brij Bhushan Lal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Officers of the Governments of India and Nagaland present numerous difficulties in the way of the missionaries of Arya Samaj in Nagaland ; and

(b) if so the steps proposed to be taken by Government to obviate these difficulties in the national interest ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) In so far as Government are aware, there is no Arya Samaj Organisation in Nagaland.

(b) Does not arise.

नागालैंड में शांति तथा व्यवस्था की स्थिति

6183. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की सरकार ने नागालेंड में शांति तथा व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया है ;

(ख) क्या इससे सैनिक कार्यवाहियों पर असैनिक अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ जायेगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस काम के लिये नागालैंड के अधिकारियों को अधिक संख्या में पुलिस तथा सैनिक दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची-राज्य सूची-की मद संख्या 1 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नागालैंड के गवर्नर को संविधान की उपधारा (ख) के अनुच्छेद 371-ए की व्यवस्था के अनुरूप शांति एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में "विशेष उत्तरदायित्व," के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान प्रबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

(ग) नागालैंड की राज्य सरकार को चार पुलिस बटालियन और दिए गए। (1अप्रैल मे और 3 मई 1968 में), शान्ति और व्यवस्था के उपायों को अधिकाधिक प्रभविष्णु बनाने के लिए हिंसात्मक तत्वों की गैर कानूनी कार्रवाइयों से कानून को मान कर कहने वाले लोगों की रक्षा के लिए तीन पुलिस बटालियन पहिले उनके पास थी।

1967-68 की वार्षिक योजना में किया गया कार्य

6184. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्य की समीक्षा से यह पता लगा है कि

पिछले वर्ष की वार्षिक योजना (1967-68) के लिये निर्धारित किया गया कोई भी मुख्य लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों के पूरा न होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) आगामी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । सभा-पटल पर प्रस्तुत वार्षिक योजना 1968-69 दस्तावेज में 1967-68 के दौरान उपलब्धियों के जो अनुमानित आंकड़े दर्शाये गये हैं उनके अनुसार जहाँ 1967–68 में कुछ लक्ष्यों की उपलब्धियों में कमी आई है वहाँ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कार्य ठीक हुआ है या निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक हुआ है ।

(ख) और (ग) : 1967–68 के दौरान किये गये कार्य की विस्तृत समीक्षा तैयार की जा रही है और तैयार होने पर सभापटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी ।

खाद्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रक्षित आपातकालीन दल

6185. **श्री चेंगलराय नायडू** : **श्री अम्बचेंजियान** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् में खाद्य के लिये अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन रक्षित दल बनाने का प्रस्ताव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) बहुपक्षीय खाद्य सहायता अध्ययन कार्यक्रम के ऊपर एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह सुझाव दिया है कि अन्य राष्ट्रों; विशेषत: विकासशील देशों, की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विकसित देश अपने सामान्य खाद्य भंडार के अतिरिक्त, एक पर्याप्त विश्व खाद्य भंडार के अस्तित्व को सदैव बनाए रखने के लिए सामुदायिक रूप से कार्य करें । साथ ही, महासचिव ने यह भी बतलाया कि कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, ऐसी अनेक आर्थिक, वित्तीय एवं वैधानिक समस्याएं होंगी जिनका अध्ययन करना आवश्यक होगा महासचिव की रिपोर्ट पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, उसके हाल के 45 वें अधिवेशन में, विचार किया जाना था, परन्तु समयाभाव के कारण इसको परिषद् के 46 वें अधिवेशन तक स्थगित कर दिया गया है, जो आगामी वर्ष में होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार महासचिव के सुझावों की जांच कर रही है ।

आकाशवाणी के कलाकारों की हड़ताल की धमकी

6186 **श्री सीताराम केसरी :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के कलाकारों ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार न किया गया, तो वे प्रदर्शन, अनशन तथा हड़ताल का सहारा लेंगे;

(ख) यदि हां, तो कलाकारों की मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने तथा प्रदर्शनों और हड़ताल को टालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां; स्टाफ़ आर्टिस्टों के एक भाग ने सरकार को इस प्रकार लिखा।

(ख) तथा (ग) : एक *विवरण संलग्न है जिसमें उनके द्वारा की गई मांगों और उनपर की गई कार्रवाई दी हुई है। आकाशवाणी के महानिदेशक ने उन व्यक्तियों की जिन्होंने उक्त पत्र लिखा ; स्थिति स्पष्ट की और यह सलाह दी कि हड़ताल या प्रर्शदन का सहारा न लें।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1936/68]

कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण

6187. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने फिर से राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण को पहले की तरह छात्रों के लिये ऐच्छिक बना दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल का अनिवार्य प्रशिक्षण छात्रों में वे गुण पैदा नहीं कर सका है, जिसकी उससे आशा की जाती थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) :

(क) कुछ विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना का प्रशिक्षण ऐच्छिक करने का निर्णय किया है ;

(ख) और (ग) भारत सरकार का मत यह है कि राष्ट्रीय छात्र सेना के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा कोर और राष्ट्रीय खेल संगठन का विकास भी किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों के प्रत्येक पुरुष विद्यार्थी को इन तीन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार का यह मत विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को बता दिया है।

छिपे हुए नागा लोग

6188. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए विद्रोही नागा अपने शिविरों को विभिन्न गांवों से हटाकर निर्जन जंगलों तथा पहाड़ियों में ले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इसके परिणामों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि वे संघर्ष छोड़ देते हैं तो उस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) यह सच है कि 7 जून 1968 को जोतसोमा की ओर हमारी सुरक्षा सेना द्वारा कारवाई बंद करने के समझौते का सख्ती से पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप छिपे नागा अपने कुछ ऐसे शिविरों को खाली करके जंगलों के भीतर चले गए हैं जो शहरों और गांवों के पास स्थित थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह विवरण वर्गीकृत है, और इसके कारण भी स्पष्ट हैं किन्तु स्थिति के सामना करने के लिए सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

नई दिल्ली में सिनेमा घरों द्वारा चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन

6189. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में कई सिनेमाघरों ने चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से दो के मामले पूरी जांच के लिये केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई अनियमिताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन का मेज पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय छात्र दल के वरिष्ठ डिवीजन में कैडेटों की संख्या में कमी

6190. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के वरिष्ठ डिवीजन की कैडेटों की संख्या कम करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय इस डिवीजन में कितने कैडेट हैं;

(ग) इनकी संख्या में कितनी कमी करने का विचार है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (घ) राष्ट्रीय छात्र सेना के अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय छात्र सेना दल की सर्वाधिक संख्या की तुलना में, जो 31 मार्च, 1967 को थी, राष्ट्रीय छात्र सेना दल के वरिष्ठ डिवीजन के कैडेटों की संख्या पहले ही कम हो गई है। ऐसी आशा है कि 1968–69 से राष्ट्रीय सेवा कोर और राष्ट्रीय खेल संगठन योजना लागू किये जाने पर, जब कालेजों के कैडेटों को राष्ट्रीय छात्र सेना के स्थान पर इनमें से किसी एक में भाग लेने की छूट होगी, वर्तमान संख्या और कम हो जायेगी।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सीनियर डिवीजन की वर्तमान प्राधिकृत संख्या 10,61,900 है और चालू वर्ष में इसके घटकर 8,21,200 हो जाने की आशा है, जो 1967–68 में इसकी अनुमानतः पंजीकृत संख्या थी।

Exports During Fourth Plan

6191. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain valuable suggestions were given for promoting export during the Fourth Plan in a meeting of the Planning Commission and Industrialists held in Delhi on the 2nd August, 1968 ; and

(b) if so, the suggestions proposed to be accepted by Government ?

Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : A number of suggestions were made for promoting exports during the Fourth Plan period at the meeting of the Planning Commission with industrialists held on 2nd August, 1968. These would be examined in consultation with the Ministries concerned.

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये वीसा की सुविधायें

6192. **श्री कामेश्वर सिंह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री के० आर० गणेश :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने सरकार से वीसी सुविधायें देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा किये गये अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जर्मन लोक गणराज्य अपने राष्ट्रिकों के लिए समय-समय पर वीजा सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश में रहता है जो निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार स्वीकृत कर दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अणु बिजली

6193. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय परमाणु संयन्त्रों में इस समय कितनी अणु बिजली उपलब्ध है और उसमें से कितनी अणु शक्ति को शान्ति प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता है;

(ख) चतुर्थ योजनावधि में अनुमानतः कितनी अणु बिजली का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) चतुर्थ योजनावधि में किन नये क्षेत्रों में अणु बिजली का उपयोग किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अभी तक कोई भी परमाणु बिजलीघर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की चौथी योजना अभी तैयार की जा रही है और उसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इन बातों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी ।

आयरलैंड में प्रधान मंत्री की यात्रा

6194. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयरलैंड के प्रधान मन्त्री ने हाल में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उन्होंने प्रधान मन्त्री तथा भारत सरकार के अन्य नेताओं से बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां । आयरलैंड के प्रधान मन्त्री श्री जॉन लिंच ने 4 अगस्त से 8 अगस्त, 1968 तक भारत की यात्रा की ।

(ख) और (ग) जी हाँ । भारत और आयरलैंड के बीच मित्रतापूर्ण संबंध हैं और हम दोनों के बीच कोई समस्याएं नहीं हैं । आयरलैंड के प्रधान मन्त्री और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत मैत्री एवं सौहार्द के वातावरण में हुई थी । यह बातचीत सामान्य प्रकृति की थी और इस यात्रा से विचार-विनिमय के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ ।

बिजली प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें

6195. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के सामान की कुल कितनी मात्रा का प्रतिवर्ष देश में उत्पादन होता है तथा इसका विदेशों से आयातित प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सामान से क्या अनुपात है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस मात्रा तथा अनुपात का कितना होने की सम्भावना है; और

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में उत्पादित रक्षा सामान की कुल राशि क्रमशः बढ़ती रही है, और 1967-68 में 300 करोड़ रुपये के स्तर की थी। उसी वर्ष में विदेश से आयात रक्षा स्टोर्ज पर खर्च बहुत कम है।

(ख) देश में रक्षा उत्पादन की राशि बढ़ने की आशा है, परन्तु इस प्रावस्था में कोई पक्के अनुमान दे पाना संभव नहीं है।

(ग) यह सूचना देना लोक हित में नहीं है।

Chinese Secret Base in the Everest Area

6196. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Bal Raj Madhok** :
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri S. S. Kothari** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that China has set up a secret base near Jhang-Ri-Jong in Everest area towards Tibet and near Nepal border ;

(b) whether Government are also aware that in the opinion of some experts, a Radar Centre has been set up there ; and

(c) if so, whether Government have taken suitable steps to face the likely consequences thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Government have seen press reports to this effect, but have no information which would go to corroborate them.

(c) Does not arise.

Supply of Uranium by U. S. A. to Pakistan.

6197. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that U. S. A. would supply uranium to Pakistan ;

(b) if so, whether the attention of U.S.A. Government has been drawn to the dangers likely to arise therefrom ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

On June 17, 1968, an agreement was signed between Pakistan, U. S. A. and the International Atomic Energy Agency under which Pakistan is to receive about 17 kgs. of uranium to assist its Karachi Nuclear Power Project. The nuclear material is subject to the safeguards of the International Atomic Energy Agency. The material is not likely to be used for non-peaceful purposes.

(b) and (c) Do not arise.

Attendance of Deputy Law Minister in a Meeting in an Arab Country.

6198. **Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Law Minister had attended a meeting in Judda City in an Arab country sometime back ;

(b) whether it is also a fact that in the meeting, a resolution in regard to Kashmir was passed against India under the leadership of Sheikh Abdullah ; and

(c) if so, whether the Deputy Law Minister had cast his vote against the resolution ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy. Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) In response to an invitation received from the Secretary General of the Rabita al-Alam-al-Islami three-man delegation of eminent Muslims under the leadership of Shri Nur-ud-din Ahmed attended the second session of the General Islamic Conference held at Mecca in April, 1965. The present Deputy Law Minister was one of the members.

(b) and (c) : The General Islamic Conference Sub-Committee on "Islamic issues and self determination" whose membership included Shri Nur-ud-din Ahmed and Sheikh Abdullah among other things adopted a resolution on Kashmir. Shri Nur-ud-din Ahmed, leader of the Delegation, got his dissent and disapproval recorded. The resolution was to be placed before the house for consideration. The meeting of the full house was held at night. It lasted for 10 minutes and ended in confusion without giving the platform to scheduled speakers including Shri Nur-ud-din Ahmed and Sheikh Abdullah. However, the resolution on Kashmir was adopted without discussion or voting. The members of the Delegation met the Secretary-General and Director General of the Rabita al-Alam-al-Islami and expressed their indignation in the matter.

Jullundur Cantonment Board

6199. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some elected members of the Jullundur Cantonment Board have sent some complaints to the G. O. C.-in-C. of the Western Command regarding the election of the Deputy Chairman of the Cantonment Board and setting up of various Committees ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The main requests were—

(i) The adjournment of the meeting by the President, Cantonment Board, from 7th June 1968 to 26th June 1968 be rescinded, and a meeting be called within a week to elect the Vice President and form the Committees.

(ii) Resolution No. 2 passed by the Cantonment Board on 24th June 1968 regarding formation of the Committees be suspended and fresh formation of Committees be undertaken.

The election of the Vice President was duly carried out on 27th July 1968.

The G.O.C.-in-C, Western Command, has held that there was no irregularity in the formation of Committees on 24th June 1968.

प्रतिरक्षा गवेषणा संस्थापन-प्रयोगशालाएं

6200. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा गवेषणा संस्थापनाओं-प्रयोगशालाओं में आदर्श गठन व्यवस्था को लागू करने और तकनीकी निदेशालयों, जो कि सम्पर्क और समन्वय का काम करते हैं, के आकार को छोटा करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इसकी कार्यन्विति के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इसे कब तक कार्यन्वित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सरकार ने रक्षा अनुसंधान सिव्वंदियों-प्रयोगशालाओं में आदर्श संविधान कार्यान्वित करने का फैसला कर लिया है। आर० एंड डी० मुख्यालय के तकनीकी निदेशालयों के पुनःगंठन और कटौती के प्रश्न पर प्रशासनिक परिषदों के काम करना शुरू कर देने के पश्चात्, विचार किया जायगा, कि जब उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएगा।

(ख) इस उद्देश्य के लिए 9 प्रशासनिक परिषद स्थापित करना प्रस्तावित है। संबंधित किस्म के कार्य में लगी सिव्वंदियों-प्रयोगशालाओं का एक स्थान पर वर्गीकरण किया गया है, और उन्हें सांझे प्रशासनिक परिषद के आधीन रखा गया है।

(ग) आशा है प्रशासनिक परिषद कुछ ही मासों में काम करना शुरू कर देंगे।

काश्मीर हाउस, नई दिल्ली

6201. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली स्थित काश्मीर हाउस के लिये जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व नरेश को 80,000 रुपये प्रतिमास किराये के रूप में दे रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने काश्मीर हाउस में स्थिति सेना मुख्यालय के लिये नई दिल्ली में किसी भवन को लेने की पेशकश नहीं की है और किराया देना ही ठीक समझा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार नई दिल्ली स्थित काश्मीर हाउस के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार को किराये के रूप में 64, 200 रुपये प्रति वर्ष देती है।

(ख) और (ग) इस समय काश्मीर हाउस में स्थित सेना मुख्यालय के लिये काश्मीर हाउस अथवा किसी अन्य इमारत का अर्जन न करने का सरकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सेना मुख्यालय तथा अन्य प्रतिरक्षा संस्थानों के लिये 'एफ' ब्लाक के स्थान पर एक नई इमारत बनाने का विचार है।

संस्थानों/प्रयोगशालाओं के निदेशकों की वित्तीय शक्तियां

6202. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों/प्रयोगशालाओं के प्रभारी निदेशकों को मुख्यालय में नियुक्त तकनीकी निदेशकों की तुलना में कम वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मुख्यालय में नियुक्त तकनीकी निदेशकों को कोई वित्तीय शक्तियां स्वतः प्राप्त नहीं हैं । तथापि प्रशासनिक सुविधा के लिए वैज्ञानिक सलाहकार की ओर से उनके द्वारा कुछ वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मिजो पहाड़ियों के बारे में पाकिस्तान द्वारा अधिसूचना

6203. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से मिजो पहाड़ियों के भागों को पाकिस्तानी क्षेत्र घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र से पाकिस्तान का कब्जा हटाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) भारत सरकार को ऐसी किसी अधिसूचना की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

6204. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का पुनर्गठित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस मामले के प्रत्यक्ष अध्ययन के लिये भारतीय अधिकारियों का एक दल वहां भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या थे ; और

(घ) इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अन्य सदस्य देशों के विचार क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती

इन्दिरा गांधी) : (क) वित्तीय कठिनाइयों की वजह से वियतनाम कमीशन की कर्मचारी संख्या में अस्थायी तौर पर कुछ कमी की गई है तथा और कमी करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) इस टीम की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(घ) पौलैंड और कनाडा के प्रतिनिधिमंडलों के विचारों का पक्का पता लगाया जा रहा है।

पाकिस्तान में भारतीय धार्मिक संस्थायें

6205. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भी यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान स्थित कुछ भारतीय धार्मिक संस्थाओं को हाल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सभी संस्थायें पश्चिम पाकिस्तान में हैं ;

(ग) पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी भारतीय धार्मिक संस्थायें कितनी हैं तथा क्या इन संस्थाओं को भी वही स्थान देने के लिए सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हाँ, । सरकार को इस आशय की खबरें मिली हैं कि पश्चिम पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के 13 पूजा-स्थानों को पाकिस्तान सरकार ने प्राचीन स्मारक परिक्षण अधिनियम, 1904 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित कर दिया है।

(ग) पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक संस्थानों की ठीक-ठीक सख्या मालूम नहीं है। सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इन संस्थानों को कोई विशेष दर्जा देने के लिए नहीं कहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Coloured Films

6206. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that black and white films produced by the Information Department cost Rs. 20 to 25 thousands each and the print thereof could be prepared at the cost of Rs. 500 each while the coloured pictures cost Rs. 60 to 70 thousands and the print whereof two thousands of rupees ; and

(b) if so, the reasons as to why the production of coloured films is not discontinued in view of the financial stringency ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The cost of production of a one-reeler black and white film ranges from Rs. 20,000 to

Rs. 35,000. The cost of a print of a one-reeler black and white film in 35mm size is Rs. 235 and in 16mm. size Rs. 90. The cost of production of a one-reeler colour film ranges from Rs. 35,000 to Rs. 60,000. The cost of a print of a one-reeler colour film in 35mm. size is Rs. 515 and in 16mm. size Rs. 350.

(b) Colour films have better impact and are essential for export promotion, tourist and external publicity. Colour films are also more effective when dealing with subjects like flowers, paintings, Rangoli, textile designs, etc. At one time, about 15 per cent of films were produced by the Films Division in colour. Now only about six to seven percent of the films are produced in colour. Complete discontinuance of production of films in colour will be a retrograde step in the context of the fact that most of the other countries have almost completely switched over to colour films. In fact, some countries do not accept any black and white films from abroad.

भारतीय विदेश सेवा (बी) में पदोन्नतियाँ

6207. **श्री म० ला० सोधी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा (बी०) के अधिकारियों की उच्च राजनयिक पदों पर पदोन्नति के मामले में अनियमितताएँ तथा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण भारतीय विदेश सेवा (बी०) के अधिकारियों में बहुत निराशा व्याप्त है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन लोगों के लिए भी भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति पाना संभव नहीं है, जिन्होंने अति सराहनीय कार्यकुशलता दिखाई है और जिन्हें ऊंचे राजनयिक पदों पर काम करने के लिए उपयुक्त माना गया है;

(ग) क्या भारतीय विदेश सेवा पदावलि में वरिष्ठ पदों पर भारतीय विदेश सेवा (बी) के अधिकारियों की पदोन्नति नियुक्तियां करने के लिए वर्तमान कोटे में वृद्धि के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (**श्रीमती इंदिरा गांधी**): (क) जी नहीं। भारतीय विदेश सेवा (ख) से भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं और ऐसा करते समय तद्विषयक संविधि-नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

(ख) विशिष्ट योग्यता संपन्न सभी अधिकारियों को अपनी-अपनी बारी के अनुसार उच्चतर राजनयिक पदों पर होने का अवसर दिया जाता है।

(ग) और (घ) : जी हां। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि (सूचना सेवा के अधिकरियों को भी मिला कर) इस समय भारतीय विदेश सेवा (ख) से भारतीय विदेश सेवा में अधिकारियों की पदोन्नति का जो कोटा दस प्रतिशत निश्चित है, उसे बढ़ाकर केवल भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए ही 15 प्रतिशत कर दिया जाए।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ की विचारधारा आदि के सम्बन्ध में आकाशवाणी के कार्यक्रम

6208. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में खान अब्दुल गफ्फार खां की सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा प्रस्तुत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या खान अब्दुल गफ्फार खां के आगामी दौरे का लाभ उठाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे उनके और भारत के लोगों के बीच जो निकट सम्बन्ध है उसे पुनः स्थापित किया जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार खान अब्दुल गफ्फार खाँ के प्रस्तावित दौरे के दौरान पश्तो कार्यक्रम के समय में वृद्धि करने का है;

(घ) क्या सरकार भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में खान अब्दुल गफ्फार खां के योगदान के सम्बन्ध में एक चलचित्र तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) खान अब्दुल गफ्फार खां के विचारों और आदर्शों पर आधारित एक कार्यक्रम, जो पिछले साल उनसे व्यक्तिगत भेंटों में रिकार्ड किया गया था, पिछले साल गांधी जयन्ती के अवसर पर आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

विदेशों को प्रतिनिधि मन्डल

6209. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उनके मन्त्रालय के आदेश पर कितने प्रतिनिधि मन्डल, मन्त्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ सरकारी खर्च पर अन्य देशों में गये;

(ख) प्रत्येक मामले में उन्होंने किन देशों का दौरा किया और उनके दौरों की समयावधि क्या थी ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय किया गया और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी; और

(घ) प्रत्येक दौरे से सरकार को क्या यथार्थ लाभ हुआ और यदि कोई करार किये गये थे, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (घ) तक : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

6210. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में भ्रष्टाचार, घूस, चोरी तथा अन्य दंडनीय अपराधों के कितने मामलों का 1 अप्रैल, से 30 जून, 1968 तक पता लगा है और उसमें कितने अधिकारी तथा अन्य लोग अन्तर्गस्त हैं;

(ख) कितने मामलों में अभियोग चलाये गये हैं और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये हैं;

(ग) 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये थे, उनमें से कितने मामलों में दंड दिया गया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भ्रष्टाचार के मामले

6211. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक की अवधि में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया जो उनके मन्त्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दाण्डिक अपराधों से सम्बन्धित हैं, और उनमें अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है तथा उनमें कितने गैर सरकारी व्यक्ति अंतर्ग्रस्त हैं ;

(ख) कितने मामलों में अभियोग चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच विभाग को भेजे गये ;

(ग) 1967-68 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये, कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंड मिला और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे कदाचारों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-काय मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सात मामले, जिसमें से किसी में भी सजा नहीं दी गई है। 6 मामलों में विभागीय कार्रवाई पूरी हो गई है, जिसमें से दो मामले उचित पड़ताल के बाद बन्द कर दिए गए हैं, तीन मामलों में सबद्ध अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है अथवा उनकी भत्सर्ना कर दी गई है और बाकी दो मामलों में संबद्ध कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।

(घ) मंत्रालय में तथा सभी मिशनों में सतर्कता की व्यवस्था को सुचारु बना दिया गया है।

कपड़े तैयार करने के कारखाने

6212. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े तैयार करने के कारखानों में कार्य-भार की स्थिति सुधरी है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या कुछ चीजें जो पहले ठेकेदारों को दी जाती थीं, अब इन कारखानों में बनाई जा रही हैं;

(घ) क्या काम के अनुसार मजूरी पाने वाले श्रमिक अपनी पूरी मजूरी कमा रहे हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जभी प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तम्बुओं, दरियों जैसी मदों के सम्बन्ध में सेवाओं की आंशिक आवश्यकताओं के लिए आर्डर आर्डनेन्स फैक्टरियों को भेज दिए गए हैं ।

(घ) व्यापक तौर पर, जी हां । तदपि उजरती कारीगरों द्वारा अर्जित लाभ, कम कार्यभार के कारण लगभग पिछले एक वर्ष में उपान्तस्थ रहे हैं। जहां काम की अप्राप्यता के कारण कारीगर अपनी उजरतें अर्जित कर पाने में असमर्थ रहे हैं गारन्टी की गई उजरतें दी गई हैं ।

(ङ) क्लोदिंग फैक्टरियों में क्षमता को इस्तेमाल जारी रखने के लिए अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों तथा राजकीय क्षेत्र के उपकरणों से आर्डर प्राप्त करने के लिए यत्न किए गए हैं, और निरन्तर किए जा रहे हैं ।

कपूर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर

6213. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के एक समवाय कपूर एलन कम्पनी लिमिटेड को उनके मंत्रालय के अधीन लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : प्रस्ताव विस्तार पूर्वक निरीक्षण अधीन है । अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

आकाशवाणी का विशेषज्ञ सेवा एकक

6214. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का विशेषज्ञ सेवा एकक श्रोताओं की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) इस प्रकार का कोई सैल अभी तक गठित नहीं किया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारत–वर्मा सीमा को बन्द करना

6215. **श्री रा. कृ. सिंह :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों को सीमा पार करके चीन जाने को रोकने तथा वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके पुनः भारत में वापस आने से रोकने के लिए भारत वर्मा सीमा को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सीमा को बन्द करने के लिए वर्मा सरकार का सहयोग माँगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्मा के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के प्रबन्ध मजबूत कर दिए गये हैं। बहरहाल, रास्ते को और सीमा के विस्तार को देखते हुए इस समूची सीमा को बन्द करना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान 27-3-1968 को लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया था कि हमारी दोनों सरकारें आपसी हित के मामलों पर स्वभावतः सलाह-मशविरा करती हैं। इस प्रकार का सलाह-मशविरा संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

Time Schedule for News Bulletins

6216. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any proposal for making a change in the time scheduled of A.I.R. news bulletins is under consideration ;

(b) if so, the details thereof and the date from which change would be made effective ; and

(c) whether a change would also be made in the time schedule of the main Hindi News Bulletins ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (c) The question of revising the timings of some Hindi news bulletins including the main Hindi news bulletins is under consideration. We are trying our best to expedite so as some adjustments are inevitable.

गोआ के स्वतंत्रता संग्रामियों की रिहाई

6217. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन अथवा पुर्तगाल की ओर से सरकार को इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि पादरी फैरर को भारत में रहने की अनुमति दिये जाने पर ही श्री मोहन रानाडे और डा० पासक्रेन्हास को पुर्तगाल की जेल से रिहा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो मोहन रानाडे और डा. पासक्रेहान्स को रिहा कराने के लिए हमारी सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उनके कब तक रिहा हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) श्री रानाडे और डा. मासकारेन्हास को छुड़ाने के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं, उनसे सदन को अवगत रखा गया है । माननीय सदस्यगण 13 और 18 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्र० सं० 94 और 4694 को और 6 मार्च तथा 7 अगस्त 1968 को क्रमशः तारांकित प्र० सं० 451 और 364 के उत्तरों को देखें । राजनयिक सूत्रों के जरिये हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कराने में अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं ।

आकाशवाणी से संस्कृत कार्यक्रम

6218. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों से संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए वास्तव में कितना समय दिया जाता है; और

(ख) इसमें से कितना समय केवल संस्कृत भाषा सिखाने के लिए नियत किया जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन को मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम

6219. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रमों पर सरकार का प्रति मास औसतन कितना खर्च आता है; और

(ख) दिल्ली में कुल कितने टेलीविजन सेटों के लाइसेंस दिये गये हैं और उनसे कितनी आय होती है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1967-68 के दौरान दिल्ली के टेलीविज़न केन्द्र का औसतन मासिक आवर्ती व्यय 2,35,542 रुपये था।

(ख) दिल्ली में 30 जून, 1968 को चालू टेलीविजन लाइसेंसों की कुल संख्या 6,752 थी। टेलीविजन लाइसेंसों से हुई आय 1,66,823 रुपये 50 पैसे थी।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के विदेशों के दौरों में उनके साथ जाने के लिये पत्रकारों का चयन

6221. **श्री सु० कु० तापड़िया** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं में उनके साथ जाने के लिये पत्रकारों का चयन करने के लिये क्या कसौटी अपनायी जाती है;

(ख) क्या उनके साथ जाने वाले पत्रकारों द्वारा भेजे गये वृत्तों के माध्यम से होने वाले प्रचार का मूल्यांकन करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विदेशों में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के दौरों की खबरें भेजने के लिए समाचार पत्र और समाचार एजंसियां आम तौर पर अपने खर्च पर ही व्यवस्था करती हैं। सरकार द्वारा पत्रकारों का चयन केवल तभी जरूरी होता है जब वी०आई० पी० विमान में पत्र प्रतिनिधियों के लिए मुफ्त कुछ सीटें उपलब्ध होती हैं। ऐसे मामलों में चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में अधिकतम खबरें प्रकाशित हों।

(ख) और (ग) : राष्ट्रपति के साथ गए पत्रकारों द्वारा भेजे गए संवादों और समाचारों की जांच की गई और यह पाया गया है कि भेजे गए संवाद आम तौर पर संतोषजनक थे।

कनाडा की फर्म के लिये परामर्श-कार्य

6222. **श्री सीता राम केसरी** : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की एक फर्म को परामर्श कार्य देने के बारे में दो मन्त्रालयों के बीच विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रिमण्डल की मल्यों सम्बन्धी उप-समिति ने इसके बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सदन इस बात से सहमत होगा कि मंत्रिमंडल अथवा उसकी किसी कमेटी में हुई बातचीत का विवरण बताना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Hindi Broadcasts

6223. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the broadcasts are made in Hindi from A.I.R. Station, New Delhi ; and

(b) if so, the reasons for giving all the material for broadcasts viz. programme queue-sheets, tape queue sheets etc. to the Announcers in English ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Station of All India Radio also broadcasts programmes in English, Urdu, Punjabi, Gorkhali etc. besides Hindi. Tape cue sheets are generally written in Hindi in respect of Hindi Programmes. Announcement provided to the Announcers as also scripts of programmes are usually in the language of the programme. Programme cue sheets are required for the use of different categories of staff such as the Engineers in the Control Room, Transmission Executives in the Duty Room etc. in addition to Announcers. Members of staff from various parts of the country are working in these branches and the programme cue sheets are prepared in English.

काश्मीर के बारे में प्रकाशन

6224. **श्री स्वतंत्र सिह कोठारी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर में आर्थिक विकास और शिक्षा के बारे में अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो काम प्राय: राज्य सरकारें अपने प्रचार के लिए स्वयं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य राज्य सरकारों के लिये भी ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन पुस्तकों का प्रकाशित करने की लागत काश्मीर सरकार से वसूल कर ली है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस साल जून में श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अवसर पर भारतीय धर्मनिर्पेक्षता के प्रतीक के रूप में जम्मू और काश्मीर राज्य के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए "जम्मू और काश्मीर 1968" नामक एक पुस्तिका विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निकाली गई थी ।

(ख) : अभी तक नहीं ।

(ग) : सवाल नहीं उठता ।

श्रीनगर में टेलीविजन

6226. **श्री स्वतंत्र सिह कोठारी :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार के लिए भारत के प्रमुख नगरों में (दिल्ली को छोड़ कर) टेलीविज़न की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है, तथापि श्री नगर में एक टेलीविजन केन्द्र खोलने के लिए 1.70 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत के अन्य नगरों की अपेक्षा श्रीनगर को बरीयता किस आधार पर दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक करोड़ 66 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) : राष्ट्रीय हित में श्रीनगर को उच्चतर प्राथमिकता दी गई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर वार्ता

6227. **श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के भीतर तथा बाहर एक दूसरे के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को रोकने के लिए राजनयिक स्तर पर कोई वार्ता हुई है ; और

(ख) इस मामले को कितनी सफलता मिली है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति-मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) : ताशकंद घोषणा के अनुच्छेद IV के अनुसार, भारत सरकार ने, पाकिस्तान के संचार साधनों द्वारा भारत विरोधी प्रचार को बंद करने के प्रश्नों को, पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से उपर्युक्त अनुच्छेद का दृढ़तापूर्वक पालन किया है।

(ख) अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सरकार इस मामले में अभी तक कार्रवाई कर रही है।

भारत को रूस से आर्थिक सहायता

6228. **श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर न करने के निर्णय से भारत को दी जा रही रूसी आर्थिक सहायता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पहला भारतीय फ्रिगेट

6221. **श्री वी चं० शर्मा**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम भारतीय फ्रिगेट के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) यह कब पूरा हो जायेगा; और

(ग) भविष्य में ऐसे फ्रिगेटों के निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) पहले फ्रिगेट का निर्माण 1966 में आरंभ हो गया था। पोत शड्डल के अनुसार अक्तूबर 1968 में लांच किया जाएगा। सेविवर्ग का प्रशिक्षण और साज सामान की उपलब्धि तथा स्थापना प्रगतिशील है। लांच किए जाने के पश्चात्, फ्रिगेट को सज्जित किया जाएगा, और आशा है कि उसकी सम्पूर्ति और परिक्षणों के पश्चात् 1971 अक्तूबर तक उसे वितरित कर दिया जाएगा।

(ग) सरकार ने मजागां डाक को लीएंडर किस्म के दो और फ्रिगेटों के लिए आर्डर दिया है। दूसरे फ्रिगेट के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है। दूसरे और तीसरे फ्रिगेट को क्रमशः अक्टूबर 1972 और अक्टूबर 1973 में कमीशन किए जाने की आशा है।

रूस के विरुद्ध चीन का आरोप

6230 **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि वह भारत को एक सैनिक अड्डा तथा 'अर्ध्य-उपनिवेश' बनाने के लिये अमरीका से मिल गया है ;

(ख) क्या यह आरोप भी लगाया गया है कि भारतीय समुद्र तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पांव जमाने के हेतु भारतीय प्रतिक्रियावादियों को उनकी नौसेना के विस्तार में सहायता करके रूस भारत में नोसैनिक अड्डे प्राप्त कर रहा है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह एक बेहूदा आरोप है और इस पर कोई तनिक भी विश्वास नहीं करेगा।

शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये समुद्र के धरातल का संरक्षण

6231. **डा० रानेन सेन :** **श्री घीरेश्वर कलिता :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए समुद्र के धरातल का संरक्षण करने के बारे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सामान्य प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गान्धी) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने घोषणा का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें कुछ सामान्य सिद्धांत रखे गए हैं जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि समुद्रतल का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिये सभी देशों के लिए, खासतौर पर विकासशील देशों के लाभ के लिये किया जायेगा और यह इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप किया जाएगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी शामिल है ।

(ग) इस घोषणा के मसौदा पर संयुक्त राष्ट्र की समुद्र तल सम्बन्धी तेदर्थ समिति के वर्तमान अधिवेशन में रियो-द जनेरियों में विचार किया जा रहा है ।

चीनियों द्वारा पाकिस्तान में इंजीनियरी उद्योग समूह का स्थापित किया जाना

6232. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने रावलपिंडी के पास एक इंजीनियरिंग उद्योग-समूह स्थापित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रावलपिंडी के निकट चीन ने एक "फ्राग" टैंक, एक हल्का टैंक कारखाना भी स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीनी सहायता से पश्चिमी पाकिस्तान में टेक्सला में एक भारी औद्योगिक कम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं ।

(ग) सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता का सतर्कतापूर्वक ध्यान है ।

हिन्दुओं के बारे में राष्ट्रपति अयूब का वक्तव्य

6233. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति अयूब के इस कथन की ओर ध्यान दिया है कि उनका शत्रुतापूर्ण रवैया भारत के प्रति नहीं अपितु हिन्दुओं के प्रति है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) : सरकार ने भारतीय अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं परन्तु इनकी पुष्टि नहीं हुई है ।

Entertainment Tax

6234. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of cinema houses in the country, Union Territory-wise and State-wise in respect of States under President's Rule ;

(b) the amount obtained per year in the form of entertainment tax in these Union Territories and States ;

(c) whether it is a fact that large amount of entertainment tax is in arrears from the cinema industry in these States and Union Territories ;

(d) if so, the names of the States and Union Territories and the amount due to each of them ; and

(e) the action Government propose to take to recover the arrears ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (e) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

School run by Danapur Cantonment Board

6235. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of primary and middle schools, separately, being run by the Danapur Cantonment Board of District Patna (Bihar) ;

(b) the number of schools, out of them, having arrangements for teaching Urdu ;

(c) whether it is a fact that there are no arrangements in Turhatoli Middle School for teaching Urdu ;

(d) if so, whether it is also a fact that the residents of that place have sent applications to the officials of the Cantonment Board requesting to make arrangements for the teaching of Urdu ; and

(e) if so, the policy of Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Two Primary Schools and one Middle School.

(b) Two Primary Schools.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The Cantonment Boards normally follow the policy of the State Government in this respect. So far arrangements were not made for teaching Urdu in the Turhatoli Middle School as only 18 students were desirous of learning Urdu. The matter is, however, being considered by the Cantonment Board.

Danapur Cantonment Board Budget.

6236. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount provided in the annual budgets of Danapur Cantonment Board from 1965 to the 31st July, 1968 ;

(b) the amount allotted monthly for scavenging and sanitation work out of its annual budget during the above period ;

(c) the annual expenditure incurred by the Board on petrol and repair of motor cars and tractors ; and

(d) the strength of sanitary staff during 1960 and the strength at present ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) The annual budgets of Dinapore Cantonment Board are as under :—

1965-66	Rs. 5,68,303.00
1966-67	Rs. 5,50,461.00
1967-68	Rs. 4,80,517.00
1968-69	Rs. 4,76,490.00 (Budget estimate)

(b) The approximate monthly expenditure on scavenging and sanitation has been as follows :--

1965-66	Rs. 8,717.00
1966-67	Rs. 10,355.00
1967-68	Rs. 10,303.00
Upto-July 1968	Rs. 10,854.00

(c) Approximate expenditure on petrol is as follows :--

1965-66	Rs. 3,256.00
1966-67	Rs. 4,562.00
1967-68	Rs. 4,302.00
From April 1968 upto July 1968	Rs. 2,216.00

Approximate expenditure on repairs to Trucks/Tractors is as under :--

1965-66	Rs. 8,345.00
1966-67	Rs. 3,010.00
1967-68	Rs. 2,825.00
From April 1968 upto July 1968	Rs. 4,551.00

(d) The strength of sanitary staff is as under :--

1960	84
1968	84

आसाम की चौथी योजना

6237. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार ने कुल कितनी पूंजी का प्रस्ताव रखा है तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गान्धी) : (क) जी, नहीं । आशा है ये 1 सितम्बर, 1968 तक प्राप्त हो जायेंगे ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Travel Facilities among Commonwealth Countries

6238. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the rules and conventions of the British Commonwealth, a citizen of a Commonwealth country could go to any Commonwealth country without a permit and could stay there as long as he liked ;

(b) if so, whether the Immigration Bill passed by the U. K. Government does not run counter to the Commonwealth rules ;

(c) whether Government have exchanged views with the other Commonwealth countries in regard to the aforesaid Bill ; and

(d) if so, the reply given to Government by those Commonwealth countries in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi : (a) Regulations for entry of Commonwealth citizens vary from country to country. Most countries have a permit system while some allow free entry.

(b) No, Sir. However, the recent Commonwealth Immigration Act has been passed with a view to restrict entry of U. K. and Colonies passport holders into the United Kingdom.

(c) and (d) : Yes, Sir. Most of the countries appreciate the stand taken by the Government.

भारतीय वायु सेना अधिनियम नियम, 1932

6239. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियमों के लागू न रहने पर सरकार ने भारतीय वायु सेना अधिनियम नियमों, 1932 के नियम 10 के अन्तर्गत 10 जुलाई, 1968 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा ऐसे सभी वैज्ञानिकों को बर्खास्त करने के हक को समाप्त किया गया है, जो रिजर्व में भेजे जाने के हकदार हैं अथवा इसके पश्चात हकदार हो जायेंगे अथवा जिन्हें बर्खास्त अथवा सेवा निवृत्त किया जाना था ;

(ख) क्या इस अधिसूचना को जारी करने से पहले वैमानिकों की प्रतिक्रिया जानी गई थी ;

(ग) क्या इस अधिसूचना के विरुद्ध भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया है अथवा अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1950 में संशोधन

6240. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 189 द्वारा दी गई शक्तियों के अधीन भारतीय वायु सेना अधिनियम नियम, 1950 में संशोधन करने के लिये 14 जून, 1968 को एक अधिसूचना जारी की थी ;

(ख) क्या सरकार ने 14 जून, 1968 की अधिसूचना तथा भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत नियम 10 के अधीन 10 जुलाई, 1968 की अधिसूचना की वेधता के बारे में विधि मंत्रालय महान्यायवादी महाधिवक्ता से राय प्राप्त की थी ;

(ग) यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वायु सेना एक्ट 1950 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के बल पर, भारतीय वायु सेना एक्ट नियमों के नियम 10 का संशोधन करने के लिये 14 जून 1968 को एक अधिसूचना जारी की गई थी।

(ख) तथा (ग) : दिनांक 14 जून 1968 और 10 जुलाई 1968 की अधिसूचनाएं विधि मन्त्रालय की सहमति से जारी की गई थीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वायु सैनिकों (एयर मैनों) को सेवामुक्त करना

6241. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रक्षा नियमों के व्यपगत होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में वायु सैनिकों ने सेवामुक्त होने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इस प्रकार बड़ी संख्या में सेवामुक्ति को रोकने के लिए भारतीय वायु सबल अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी की गई थीं;

(घ) ऐसे समय, जब कि समूचे देश में बेरोजगारी वृद्धि पर है, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान वायु सैनिकों के वायु सेना छोड़ने को इच्छुक होने के क्या कारण हैं ,

(ङ) क्या सेवा की खराब शर्तों, वेतनमानों तथा सेवा निवृत्ति वेतन और सेवानिवृत्त होने पर लाभ तथा विभिन्न व्यवसायों में पदोन्नति के समान अवसरों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, और

(च) यदि हां, तो वायुसैनिकों की इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उन वैमानिकों को डिस्चार्ज करने की हकदारी को 10 जुलाई 1968 से दो वर्षों के लिये निलम्बित करने के लिए, कि जो रिजर्व में तबदील किये जाने, डिस्चार्ज, विमुक्त या रिटायर किये जाने वाले हों, भारतीय वायु सेना एक्ट नियमों के अन्तर्गत 10 जुलाई 1968 को एक अधिसूचना जारी की गई थी । अधिसूचना में ऐसा भी उपबंध किया गया है कि सक्षम अधिकरण ऐसे वैमानिकों को डिस्चार्ज या अन्यथा रिटायर होने के लिये विमुक्त कर सकता है, कि जिस की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं । अधिसूचना वैमानिकों का प्रस्थान रोकने के लिये नही बल्कि उन वैमानिक की प्रावास्थित विमुक्ति के लिए सहासी होने के लिये जारी की गई थी कि जिनके डिस्चार्ज आपात स्थिति के दौरान निलम्बित कर दिये गए थे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तथा (च) : जी नहीं । तदिप भत्तों की पर्याप्तता पर हाल ही में पुनर्विचार किया गया था, और भत्तों में कई सुधार स्वीकृत किये गए थे । रियात होने पर प्राप्य लाभों में कई सुधार विचाराधीन हैं ।

चीन की परमाणु शक्ति

6242. **श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "परमाणु शक्ति से आक्रमण होने की अवस्था में स्वाभिमान पूर्वक मुकाबला करने के लिये भारत की सामरिक नीति" शीर्षक शोध पत्र का पता है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र के निष्कर्षों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संस्था का अध्यक्ष कौन है;

(घ) क्या यह सच है कि इस पत्र के अनुसार भारत आगामी 8 अथवा 10 वर्षों में स्वत: अपनी शक्ति से चीन का सामना करने की स्थिति में नहीं होगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकाशन ने यह संकेत किया है कि भारत को किसी बड़ी शक्ति का आश्रय भाजन बनना चाहिये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) यह केवल लेख के लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं ।

(ग) श्री वाई० वी० चह्वाण ।

(घ) जी हां ।

(ङ) लेख के आशय अच्छी तरह से लेखक को ही ज्ञात हैं, परन्तु भारत किसी भी शक्ति का कभी दुमछल्ला नहीं बन सकता ।

भूतपूर्व मंत्रियों के पास टेलीविजन सेट

6243. **श्री वीवीकन :** **श्री सुब्रावेलू :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ भूतपूर्व मंत्रियों को मुफ्त सप्लाई किये गये टेलीविजन सेट अब भी उनके पास हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन टेलीविजन सेटों को वापिस करने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मद्रास अग्निकांड के पीड़ितों की सहायता

6244. **श्री मयाबन :** **श्री सुब्रावेलू :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मद्रास अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता देने के लिए मद्रास के राज्यपाल को एक चैक भेजा है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अग्निकांडों के पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से 50,000 रु० का एक चैक मद्रास के राज्यपाल महोदय को जून 1968 में भेजा गया ।

(ख) राष्ट्रीय सहायता कोष सरकारी कोष नहीं है और न ही सरकार का किसी प्रकार इसके प्रबन्ध अथवा प्रयोग से कोई सम्बन्ध है ।

तथापि, प्रधान मंत्री द्वारा कोष से सहायता, जैसा कि उपयुक्त समझा जाये, राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों अथवा राज्यों में अन्य प्राधिकारियों को भेजी जाती है । सहायता के दिये जाने के माहयम के बारे में कोई पक्के नियम अथवा दस्तूर नहीं हैं ।

Transmission Executive in A. I. R.

6245. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that no action has been taken so far to fulfil the assurance given by Government in 1966 for the enhancement of the pay-scale of Transmission Executives of A. I. R.;

(b) if so, the reasons for the delay ; and

(c) whether Government now propose to take action in this matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No such assurance was given.

(b) Does not arise.

(c) The question of revision of pay scales of Transmission Executives will be considered along with that of other programme staff of All India Radio.

विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा व्यापारिक कार्य

6246. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने उनके मंत्रालय को हिदायत दी है कि वह विदेश स्थित भारतीय मिशनों से व्यापारिक कार्य को अधिक ध्यान देने के लिए कहे;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था; और

(ग) इस मंत्रालय के कर्मचारियों को इस बारे में प्रशिक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) जी हां।

(ख) मार्च 1968 में सभी मिशन-अध्यक्षों को हिदायतें जारी की गई थी।

(ग) भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के परिवीक्षा-काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके पाठ्यक्रम का अंग तो होता ही है, इसके अलावा समय-समय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इन अधिकारियों को वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय विदेश-व्यापार संस्थान के साथ भी संबद्ध किया जाता है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को भारत की व्यापारिक नीतियों और समस्याओं से परिचित कराने के लिए, वाणिज्य मन्त्रालय में कुछ वरिष्ठ पदों को उनके लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

भारत के वैदेशिक आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में, विदेश मन्त्रालय का आर्थिक प्रभाग भी उसमें नियुक्त विदेश सेवा अधिकारियों को आवश्यक अनुभव प्रदान करता है। इसलिए सभी स्तरों पर ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनको वाणिज्यिक एवं आर्थिक समस्याएँ निपटाने का अनुभव है। ऐसे अधिकारियों की संख्या में भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है।

आकाशवाणी के मैकेनिकों की अर्हतायें

6247. **श्रीरामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में मैकेनिकों के निर्धारित अर्हताओं में परिवर्तन के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है; मामला अभी विचाराधीन है।

जबलपुर और आगरा में आयुध कारखाने

6248. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर तथा आगरा में आयुध कारखानों की स्थापना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जबलपुर की गाड़ी फैक्टरी का निर्माण अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। जहां तक एक्सेलेरेटिड फीज डराईंग फैक्टरी का संबंध है कि जो टुन्डला के निकट स्थापित की जा रही है फैक्टरी भवनों का निर्माण हो चुका है, और संयंत्र तथा मशीनें लगाई जा चुकी है। कमीशन किए जाने के पूर्व के निरीक्षण आशा है अगामी मास तक संपूर्ण हो जाएंगे।

(ख) तथा (ग) : उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ।

महाराजा दिलीप सिंह के पार्थिव अवशेष

6249. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री महाराजा दिलीप सिंह के पार्थिव अवशेषों के सम्बन्ध में 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) एवं (ख) :

मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

ब्रिटेन के लिए जारी किये गये पारपत्र

6250. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में ब्रिटेन के लिए कितने पारपत्र जारी किये गये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए; और

(ग) उक्त अवधि में कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) पिछले तीन महीनों में यूनाइटेड किंगडम के लिए कुल मिलाकर 11,933 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(ख) इस अवधि में यूनाइटेड किंगडम के लिए 12,139 आवेदन-पत्र आए थे।

(ग) इस अवधि में पाँच आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए।

वर्मा से भारतीय लोगों का स्वदेश लौटाया जाना

6251. **श्री राम चन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में वर्मा से कुछ और भारतीय लोग वापस स्वदेश लौटाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री,-अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां

(ख) 3106 भारतीय जून 1968 में वर्मा से जहाज द्वारा लाए गये थे और 213 भारतीय मई, जून तथा जुलाई (13-7-1968 तक) में हवाई जहाज से स्वदेश लाए गए थे। बाद में जो लोग लाए गए हैं उनके बारे में सूचना की प्रतीक्षा है।

N.C.C. In Madhya Pradesh

6252. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the amount proposed to be spent during 1968-69 on the National Cadet Corps in Madhya Pradesh by the Central Government and the State Government, respectively ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : The entire expenditure on N.C.C. is not booked separately. Based on per capita cost of the planned Cadet strength of N.C.C. in M.P. during 1968-69, the approximate expenditure by the Central Government and the State Government would be Rs. 64.34 lakhs, and Rs. 47.47 lakhs, respectively.

Transmitter at Jabalpur Station of A. I. R.

6253. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the capacity of each of the transmitters installed in A. I. R. Stations of Madhya Pradesh ;

(b) the date on which the present transmitter at Jabalpur had been installed ;

(c) whether the capacity of this transmitter is not equal to capacity of the transmitter installed in Bhopal ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Braodcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (d) There are at present five transmitting centres in Madhya Pradesh. Bhopal has two low power medium wave transmitters and a medium power shortwave transmitter. Indore has a medium power medium wave transmitter and a low power medium wave transmitter. Jabalpur, Gwalior and Raipur each has medium power medium wave transmitter. The present transmitter at Jabalpur was installed on 8-11-1964. Each Station has been equipped after taking into consideration a number of factors. The present capacity of Jabalpur transmitter is adequate and no change is contemplated.

पाकिस्तान को अमरीकी टैंकों की बिक्री

6254. **श्री के० आर० गणेश :** **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अगस्त, 1968 के "पैट्रियट" में छपे इस समाचार को देखा है कि अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को 120 एम० 47 टैंक बेचने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) अमरीका सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : सरकार ने "पैट्रियाट" में प्रकाशित वह रिपोर्ट देखी है, परन्तु ऐसी पुष्टि करने के लिए कोई सूचना नहीं है, कि यू० एस० सरकार ने पाकिस्तान को 120 टैंक बेचने की घोषणा की थी । इस लिए यू० एस० सरकार को विरोधपत्र भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

Pakistan's Military Preparations on Assam Borders

6255. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is also a fact that East Pakistan have intensified military preparations on the borders of Assam ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan is imparting military training to some persons putting up in the border areas of Assam particularly Mizos and people of Garo Hills; and

(c) if so, whether Government are seized of the impending danger ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) There is no significant intensification of military activity by Pakistan across the Assam-East Pakistan border. Pakistan continues to encourage the activities of the hostile elements in the Mizo Hills by imparting them military training and by supplying arms. Government have taken all necessary steps to deal with these developments.

परमाणु विस्फोट टेकेनोलोजी के बारे में जानकारी

62 6. **श्री समर गुह** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परमाणु वैज्ञानिकों को परमाणु विस्फोट टेकनोलाजी के बारे में प्रयोगात्मक जानकारी प्राप्त करने दी जायेगी ताकि भारतीय परमाणु इंजीनियरी सम्बन्धी भारतीय क्षमता का विकास हो सके ;

(ख) क्या यह सच है कि जब तक हमारे वैज्ञानिकों को सामूहिक विखंडन (फिशन) टेकनोलाजी के बारे में प्रयोगात्मक जानकारी प्राप्त नहीं करायी जाती, उनके लिए ताप-परमाणु शक्ति का उपयोग करने के लिए परमाणु संगलन (फयूजन) प्रक्रिया के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा ; और

(ग) यदि हां, तो देश में परमाणु तथा ताप-परमाणु विस्फोट टेक्नोलाजी का विकास करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) : जैसा कि मैंने इस सदन में 24 अप्रैल, 1968 के अपने बयान में जिक्र किया था, सभी क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के विकास के लिये आवश्यक सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कार्यों में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं ।

हमारे आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप परमाणु ऊर्जा आयोग नवीनतम तकनीकी प्रगति के अनुसार ही कार्य करता है ।

तारापुर रियेक्टर

6257. **श्री समर गुह :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर रियेक्टर के यंत्र में पड़ी दरार का पता पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था; और

(ख) क्या उस भारतीय वैज्ञानिक की जिसने इस दरार का सब से पहले पता लगाया और संयंत्र को कार्य आरम्भ करने से पूर्व उसकी मरम्मत पर आग्रह किया, योग्यता की प्रशंसा करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) केवल रिएक्टर वैसल के अन्दर की ओर स्टेनलैस स्टील क्लैडिंग तथा कुछ अन्य उपकरणों में बाल के बराबर दरार दिखायी दी है । परियोजना कर्मचारियों और ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच से इन दरारों का पता चला था । सरकार उनकी सावधानी और सतर्कता की सराहना करती है ।

प्लूटोनियम कारखाना, ट्राम्बे

6258. **श्री समर गुह :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में प्लूटोनियम कारखाने की योजना, डिज़ाइन और निर्माण केवल मात्र भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने ही किया है ;

(ख) क्या परिशुद्ध प्रकार के इस कारखाने का, जिसमें स्वतन्त्र रूप से बड़ी मात्रा में प्लूटोनियम जैसे खंडनीय तथा रेडियो-धर्मी खतरनाक तत्वों को रखने तथा दूर से उनके नियंत्रण करने की व्यवस्था है, सफलता-पूर्वक निर्माण करने में, जानबूझ कर जोखिम उठा कर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी असाधारण योग्यता का प्रमाण दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता की प्रशंसा करने तथा इसके लिये वैज्ञानिकों की योग्यता को मान्यता देने के लिये क्या उपयुक्त कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) जी, हां ।

सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन

6259. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध प्रणाली में परिवर्तन तथा नये हथियारों के निर्माण के परिणामस्वरूप बाहरी देश अपनी सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(प्रतिरक्षा मन्त्री श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) स्ट्रेटिजिग गुणदोष-विवेचन और आधुनिकतम टेक्नीकल सिद्धान्तों के आधार पर सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण और पुनः संगठन एक निरन्तर प्राक्रिया है । अन्य देशों में यौद्ध स्ट्रेटिजी और नए आयुधों के उत्पादन में तबदीलियों का भी ध्यान रखा जाता है ।

विदेशों में भारतीय व्यापार मिशन

626). **श्री नीति राज सिंह चौधरी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जहां भारत के दूतावास से पृथक व्यापार मिशन हैं ;

(ख) 1967-68 में प्रत्येक व्यापार मिशन से कितना व्यापार प्राप्त किया गया; और

(ग) इस काम के लिये प्रत्येक व्यापार मिशन पर कितना धन व्यय किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1937-68)

(ख) चूंकि व्यापार मिशन विदेशी क्रेताओं से स्वयं आयात अथवा निर्यात व्यापार नहीं करते हैं और उनका काम भारत में निर्मातकों/आयातकों तथा विदेशों में आयातकों/निर्मातकों के बीच वास्तविक व्यापार के लिये बातचीत की सुविधा प्रदान करने तक सीमित है, प्रत्येक मिशन द्वारा प्राप्त किये गये व्यापार के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

वुल्गारिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को जाने वाले भारतीय नागरिक

०261. **श्री नाती राज सिंह चौधरी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : मई 1968 से अब तक कितने भारतीय नागरिक वुल्गारिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को गये हैं ;

(ख) क्या उनमें से कोई भारत सरकार द्वारा भेजा गया था ; और

(ग) क्या इनमें से कोई उन देशों के निमंत्रण पर गया था और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

प्रतिरक्षा संस्थान

6262. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में तथा उसके आसपास के प्रतिरक्षा संस्थानों, वर्कशापों और कारखानों में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं,

(ख) क्या स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिशत श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एक सम्मेलन में उनकी नियुक्ति के लिये निर्धारित किये गये प्रतिशत से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : नेशनल इन्टेग्रेशन कान्फरेंस ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में नियुक्तियों का एक विशिष्टि प्रतिशत स्थानीय लोगों द्वारा पूरा किया जाए । तदनुसार रक्षा सिब्बन्दियों, वर्कशापों और फैक्टरियों का प्रश्न उठता ही नहीं कि जो केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थानीय लोगों को काम पर लगाती है या किसी विशिष्ट प्रतिशत की उपलब्धि के लिए उनकी संख्या बढ़ाती है या उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बनाए हुए हैं ।

जबलपुर में मोटर गाड़ी परियोजना

6263. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर की मोटर गाड़ी परियोजना के लिए इंजीनीयरों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब आरम्भ होगी;

(ग) क्या नियुक्तियों के मामले में स्थानीय राज्य के अन्य अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद के इस निर्णय को कि नियुक्तियों के मामले में स्थानीय और राज्य के योग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये, किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० नाथमिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : विभिन्न वर्गों के स्थानों से सम्बन्धित भर्ती के नियमों के अनुसार सीधे भर्ती करना होती है । नियुक्तियें कुछ तो वर्तमान काडरों में से समंजन द्वारा की जाएंगी और कुछ सीधे भर्ती द्वारा । राजपत्रित स्थानों के सम्बन्ध में सीधे भर्ती युनीयन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जायेगी । अराजपत्रित स्तर के औद्योगिक और गैर औद्योगिक स्थानों के लिए भर्ती स्थानीय रोजगार दिलाने वाले कार्यालयों की मार्फ़त की जाएगी । यदि यथावश्यक जरूरत पूरी न हुई तो केन्द्रीय काम दिलाने वाले कार्यालय के संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा ।

महाराष्ट्र में जवानों के लिये भूमि

6264 **श्री वेदराव पाटिल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य विशेषकर यवतमाल जिले में कृषि तथा रिहायश के लिये अब तक कितने जवानों को भूमि दी गई है ;

(ख) इस समय जवानों के कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं; और

(ग) उन पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री म० रं० कृष्णा) (क) से (ग) : सूचना महाराष्ट्र सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

फ्रांस से राकेट विमानों की खरीद

6265. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से कुछ राकेट विमान खरीदे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो कितने, किस कीमत पर तथा यह करार किस तरीके से तय किया गया था; और

(ग) इस समय इन विमानों का क्या उपयोग किया जा रहा है तथा उनका कार्य किस हद तक सफल रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग को भारतीय नागरिकों की ओर से अभ्यावेदन

6266. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग को 1948 से भारतीय नागरिकों से वर्षवार तथा राज्यवार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा के अन्तर्गत मानव अधिकारों को प्रवर्तन में लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या भारत के ऐसे नागरिकों को जिन पर संघ तथा भारत के राज्यों की सरकारों की ओर से मुकदमा चलाया जा रहा हो, वित्तीय तथा कानूनी सहायता देने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग को किये गए अभ्यावेदनों के बारे में सरकार को इस समय कोई जानकारी नहीं है। अपेक्षित जानकारी राष्ट्र संघ से प्राप्त कर ली जायगी और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं, गिनाए गए सभी अधिकारों को भारतीय संविधान के उपबन्धों में समाहित कर लिया गया है।

(ग) गरीब लोगों के लिये जो वकीलों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ मामलों में वर्तमान नियमों के अनुसार वकील आदि की व्यवस्था करके उनकी सहायता की जाती है।

पारपत्र कार्यालयों में अनियमितताएं

6267. **श्री मीठा लाल मीना** : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय नागरिकों को पारपत्र देने के बारे में पारपत्र कार्यालयों में घोर अनियमितताएं बरती जाती हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत के पंजीकृत यात्री ऐजेन्टों द्वारा अपंजीकृत यात्री ऐजेन्टों के विरुद्ध बताई गई अनियमितताओं के बारे में जिन से विदेशी मुद्रा आदि की भारी हानि होती है, जांच की है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पासपोर्ट प्राधिकारियों द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967, तथा पासपोर्ट नियम 1967, की व्यवस्थाओं के अनुरूप जारी पासपोर्ट किये जाते हैं और जहां तक सरकार को मालूम है कोई बहुत बड़ी अनियमितताएं नहीं हुई हैं।

(ख) रजिस्टरशुदा यात्रा-प्रबन्ध अभिकर्ताओं से इस बारे में गैर-रजिस्टरशुदा यात्रा प्रबन्ध अभिकर्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pakistan Forces on Rajasthan Border.

6268. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani Forces have installed long-range Chinese guns and anti-aircrafts guns on the sandy mounds near Pakistani military posts on about 5-mile long border between Barawsar and Rohili Panchla on the Pakistan-Rajasthan border ;

(b) whether Government apprehend any military action to be taken by Pakistan there ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) Government have no information on the subject. We keep a close watch, however, on Pakistani activity across the Rajasthan border having a military significance. It will not be in the public interest to disclose the details. Government are alive to the situation created by the military bulid up of Pakistani armed forces, and have taken measures to meet the threat arising therefrom.

Sweeping away of Military Trucks by rains.

6269. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two military trucks were swept away on the **Pithoragrah-Tejam Road** in June, 1968 due to heavy rains ;

(b) if so, the number of persons in those trucks who were killed ; and

(c) the details of other goods loaded in those trucks, the quantity thereof as also the loss suffered by Government as a result of the said mishap ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Demarcation work on Kutch Border and Nadia Border

6271. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Sharda Nand** :
Shri T. P. Shah : **Shri J. B. Singh** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the demarcation work on the Kutch border between India and Pakistan and Nadia between East Pakistan and West Bengal has been completed ;

(b) whether any agreement has been concluded between India and Pakistan according to which the expenditure to be incurred on demarcation would be shared equally by both the countries ;

(c) whether it is a fact that the Government of India have spent more than the Pakistan Government on the erection of border pillers ; and

(d) the expenditure incurred so far by the Government of India on the Kutch border and on the said border between East Pakistan and West Bengal ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The demarcation of the Gujarat-West Pakistan border, in accordance with the Kutch Tribunal Award, has not yet been completed.

On the Nadia (West Bengal)---Kushtia (East Pakistan) border, boundary pillars have been jointly embedded by the Survey authorities of India and Pakistan, but the Plenipotentiaries of the two countries have not yet signed the maps.

(b) The arrangement between India and Pakistan is that each side would be responsible for the construction of an approximately equal number of boundary pillars.

(c) Comparisons are not possible because the Government of India are not aware of the expenditure incurred by the Government of Pakistan on the erection of boundary pillars.

(d) The expenditure incurred so far by the Government of India on the demarcation of Gujarat-West Pakistan boundary, in respect of which only control pillars have been erected,

is about Rs. 4 lakhs. This amount includes the cost of construction of 27 control pillars, the salaries and wages of staff and equipment.

The Director of land Records and Survey, West Bengal, has been responsible for the demarcation of not only the Nadia-Kushtia sector, but other sectors as well. No separate accounts of the expenditure on the Nadia-Kushtia sector has been kept. In this sector a total of 98 main pillars, 459 subsidiary pillars and 469 reference pillars have been erected at the cost of about Rs. 2,30,000.

Applications for Visas from Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg

6272. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg have applied to the Government of India for visas to enable them to go to Ceylon ;

(b) whether it is also a fact that they have shown their nationality as 'Kashmiri' in their applications for visas ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in regard to giving them visas on the basis of their Kashmiri nationality ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir. Visas on passports are granted by the respective countries to be visited and not by the Government of India.

(b) **to** (d) : Do not arise.

Publicity Literature published by Indian Mission abroad

योजना आयोग का सदस्य

6273. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का एक वर्तमान सदस्य पहले पेंशन वाले एक सरकारी पद पर काम कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का विवरण क्या है,:

(ग) क्या यह भी सच है कि उसे अपना वर्तमान पद संभालने से पहले पेंशन के लाभ देने का निर्णय किया गया था ;.

(घ) यदि हां, तो कितने वर्षों तक उन्होंने नियमित रूप से सरकारी नौकरी की थी; जो पेंशन के लिये गिनी जा सकती थी तथा किस नियम के अन्तर्गत उन्हें पेंशन मंजूर की गई थी;

(ङ) क्या उन्हें पेंशन देने के लिये नियमों के प्रवर्तन से कोई छूट दी गई थी; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) वे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे तथा योजना आयोग में प्रमुख के पद पर स्थायी थे ।

(ग) जी, हां।

(घ) (ङ) और (च) : योजना आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त होने से पहले वे 19 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी नौकरी कर चुके थे, अत: सरकार के सामने यह प्रश्न था कि युवा सरकारी कर्मचारी के पूरी पेंशन का अधिकारी होने से पूर्व योजना आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति होने पर क्या उन्हें अपनी पहली नौकरी के समस्त लाभों से वंचित कर दिया जाय। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि योजना आयोग के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को पेंशन के लिये जोड़ा जाय, बावजूद इसके कि वे अपने प्रभाग के प्रमुख के स्थायी पद से त्यागपत्र दे चुके हैं।

Publicity Literature Published by Indian Mission Abroad

6274. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the measures adopted by our representatives and ambassadors abroad to counteract the false propaganda launched by China and Pakistan against our country ;

(b) whether our publicity literature is published in the leading newspapers of U.A.R., U.K., U.S.A., U.S.S.R., Japan, West Germany and other countries and if so, the details of our literature published as also the names of some of those leading newspapers in which it was published ;

(c) the names of the countries to which we send Government or private literature free of cost for their prominent personalities, Parliamentarians, prominent writers, newspapers and magazines etc. and the details of such literature distributed in U.S.S.R., U.S.A., U.K. and U.A.R. ; and

(d) whether Government propose to lay samples of such literature which is available in English on the Table ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Our representatives abroad use all available local publicity media to counteract false propaganda against India.

(b) Yes, Sir; material on India published in the leading newspapers of foreign countries comprises official statements, articles and features on various aspects of India. A list of some important newspapers of major countries which have been publishing material of India is enclosed.

c) We send literature on India to all our Missions abroad for distribution in the countries of their accreditation. This comprises books, pamphlets and publications on India, Indian newspapers, journals and periodicals, articles, features and photographs and background material on India. We also send out by wireless broadcasts, twice a day news and background news about India, which is picked up by most of our Missions on teleprinters. This material forms the basis for publicity literature produced by our Missions in local languages for distribution in their areas, such as, daily press releases, weekly 'News Digest,' articles, pamphlets and other publications on India. A list of such literature distributed in the countries referred to is attached ?

(d) Yes, Sir ; A sample collection of such literature in English has been placed in the Library of the House.

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1938/68]

Propaganda on A. I. R. to Counter Anti-Indian Chinese and Pakistani propaganda.

6275. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the false propaganda done by Pakistan and Peking Radio against India ;

(b) if so, whether counter propaganda is done by All India Radio from such powerful stations which could be easily heard at least in East and West Pakistan and other neighbouring countries ; and

(c) if so, at what time and on what meter the said counter propaganda is done ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) **Yes, Sir.**

(b) Yes, Sir.

(c) False propaganda is countered in news, news commentaries and talks put out in the Home and External Services on various meter bands on the medium and short wave transmitters, particularly from Delhi, Calcutta, Jullundur, Srinagar, Jaipur and Gauhati.

A schedule showing the timings and wavelengths of radio broadcasts directed to West Asian Countries and those heard in Pakistan is enclosed.

(Placed in Library. See No. LT-1939/68).

Obscene Films

6276. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the reasons for which obscene films, not in keeping with our cultural values and traditions, are being produced in the country in spite of the fact that watch is being kept over the production of films ; and

(b) the number of such films which had been banned during the last three years ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The production of films in the country is in the hands of private enterprise. It is only when the films have been completed and presented for certification that the Board of Film Censors can order changes or deletions or refuse the grant of certificate. The Board applies directives laid down by the Government in sanctioning film for public exhibition and, in their opinion, the films in the form certified by them for public exhibition are not obscene.

(b) During the last three financial years the Board of Film Censors refused certificates in respect of 45 feature films. Eleven "night series" films were banned by the Central Government.

Hindi Broadcast in Non-Hindi Areas.

6277. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the extent of Hindi programmes being broadcast by the All India Radio in the non-Hindi speaking areas ; and

(b) the reaction of the listeners thereto ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

A.I.R. Artistes in Rajasthan

6278. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints in regard to the indifference

shown to the local artistes in the A.I.R. Stations in Rajasthan as also for giving them less time ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) A complaint, signed by six persons who did not give their addresses but described themselves as citizens of Jaipur, against an officer of Jaipur Station was received.

(b) The complaint was examined and it was found that it had no substance.

Participation of M.Ps. in A.I.R. Programmes

6279. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the policy of All India Radio in regard to the participation of Members of Parliament in the programmes of A.I.R. and whether they are given full opportunity to express their views ; and

(b) if so, the number and names of the Members of Parliament who were invited by A.I.R. last year to participate in the programmes ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Considerations which guide AIR in the selection of participants including Members of Parliament for its programmes are ;

(i) The standing of a particular individual in his/her respective sphere of activity ;

(ii) The nature of the subject to be dealt with ;

(iii) The suitability of such a person from the point of view of the special requirements of the broadcasting medium ; and

(iv) Knowledge of the subject and merit as a broadcaster.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आन्दोलन के लिये मदद का अनुरोध

6280. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री शिवचंद्र झा :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खान अब्दुल गफ्फार खाँ अथवा किसी अन्य पख्तून नेता से वर्तमान स्वतंत्र पख्तूनिस्तान की उद्देश्य पूर्ति के लिये चल रहे वर्तमान आन्दोलन में सहायता करने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्ट

6281. **श्री जुगल मण्डल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन में प्रशिक्षण के लिये अब तक कितने स्टाफ आर्टिस्टों को विदेशों में भेजा गया है; और

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया है तथा प्रत्येक देश में वे कितने-कितने समय के लिये ठहरे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) चार ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उस देश का नाम जिसका दौरा किया गया	**ठहरने की अवधि**
ब्रिटेन	1-9-1967 से 22-12-67
फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी	5-6-1968 से 6 महीने तक
आस्ट्रेलिया	2-7-1968 से साढ़े चार महीने तक
जापान	18-7-1968 से 9-10-1968 तक

डा० पी० के० सेन की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा

6282. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केपटाउन में डा० पी० के० सेन को दिये समारोह के बारे में 15 जुलाई 1968 के समाचारों की ओर दिलाया गया है, जिसमें डा० सेन ने कहा था कि उनकी यात्रा में "दक्षिण अफ्रीका के बारे में उनके पहले दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है" तथा जिसमें डा० सेन को वहां के महापौर ने अपील की थी कि वे दक्षिण अफ्रीका के बारे में गलत जानकारी रखने वाले लोगों के लिये सच्चाई का सन्देश अपने साथ ले जायें ;

(ख) क्या सरकार एक प्रसिद्ध भारतीय सर्जन तथा उसके दक्षिण अफ्रीकी मेजबानों के बीच इस प्रकार की बातचीत का अनुमोदन करती है ;

(ग) क्या सरकार के पास डा० सेन को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की अनुमति देने के बारे में अफ्रीकन-नेशनल कांग्रेस से कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हां । अखबार की इन खबरों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, डा० पी० के सेन से इस बात का पक्का पता लगाया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की उनकी यात्रा के दौरान ठीक-ठीक क्या हुआ था ।

(ग) और (घ) अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री अल्फ्रेड एन्जो ने भी अखबार की इस खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । श्री एन्जो को यह बताया गया कि डा० सेन को किन कारणों से जाने की इजाजत दी गई थी । ये कारण 14 अगस्त 1968 की लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 4024 के उत्तर में बताये जा चुके हैं ।

Office work in Hindi

6283. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 2/29/68 O.L. dated the 6th July, 1968 has been received in his Ministry ;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken on paragraphs 3,4,5,6 and 7 of the said Memorandum ;

(c) whether action is proposed to be taken to the effect that noting and drafting regarding Hindi Training Scheme and regarding all the administrative work relating to messengers L.D.Cs. and U.D.Cs. may be done in Hindi ; and

(d) if, so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri K. K. Shah**) : (a) Yes, Sir.

(b) The Memorandum has been circulated to all the Media Unit Officers and Sections of the Ministry of Information and Broadcasting for compliance. The use of Hindi in noting and correspondence has commenced to some extent. Arrangements for translation of papers from Hindi to English and viceversa, wherever necessary, have been made in the Ministry. The requirements for additional Hindi typewriters are being received. Steps are also being taken to release more officers and staff for training in Hindi. The position about the compulsory use of Hindi and English in resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports, press communiques, contract agreements, licences, permits, notices and forms of tenders etc. will be reviewed periodically.

(c) and (d) The instructions issued by the Ministry of Home Affairs not provide for the exclusive use of Hindi for such type work. According to their instructions, noting and drafting can be done either in Hindi or English. It is ensured that the member of the staff, using Hindi or English is not required himself to provide a translation in the other language, wherever that is necessary.

दीनापुर छावनी बोर्ड

6284. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड दीनापुर (बिहार) के सदस्यों ने, प्रतिरक्षा मन्त्री श्री ओ० सी० एन० सी० सेन्ट्रल कमांड, लखनऊ तथा निदेशक, सैनिक भूमि तथा छावनी, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली को, असैनिक क्षेत्रों के भीतर भूमि देने की पुरानी शर्तों पर दिये गये स्थानों के अग्रेतर विभाजन के सम्बन्ध में दिनांक 16 नवम्बर, 1962 के भारत सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय के पत्र संख्या 31/ 3/ एल० तथा सी०/ 56-7260/ एल/ सी० एन्ड एल० के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पत्र भेजा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दीनापुर छावनी बोर्ड के कुछ सदस्यों ने छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन के सम्बन्ध में 8 अगस्त, 1968 को उपरोक्त अधिकारियों को एक ज्ञापनपत्र भेजा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के पत्र संख्या 31/ 3/ एल/ एल० एन्ड सी०/56/ 6260/एल/ सी० एन्ड एल० दिनांक 16 नवम्बर 1962 के सम्बन्ध में दीनापुर छावनी बोर्ड के एक सदस्य से एक ज्ञापन पत्र दिनांक 7 अगस्त 1967 प्राप्त हुआ था।

(ख) ऐसा कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) और (घ) : ज्ञापन पत्र में दिये गये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गए। सरकारी पत्र दिनांक 16 नवम्बर 1962 में जारी किये गये निर्देशों के सरकार की सत्ता क्षमता के अन्तर्गत होने के अतिरिक्त, इन निर्देशों को, कि जिन्हें 23 मार्च 1968 को जारी किये गये एक अन्य सरकारी पत्र में समेकित कर दिया गया है, छावनी बोर्डों के अन्तर्गत भूमियों समेत, सरकार के भूमि विषयक हितों की सुरक्षा के आवश्यक समझा गया है। इनके परिणाम-स्वरूप सुव्यवस्थित विकास होगा, और वह छावनी निधि के लिए आय सुनिश्चित करेंगे।

चौथी योजना

6285. **श्री लोबो प्रभु** :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एपरोच पेपर आन फोर्थ प्लान" में तीसरी योजना की सफलताओं तथा असफलताओं का कोई मूल्यांकन शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) क्या योजना आयोग का विचार चौथी योजना तैयार करते समय सावधानी से हिसाब लगा कर तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलताओं को समाप्त करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। मार्ग-निर्धारण दस्तावेज सीमित उद्देश्य के लिये होने के कारण उसमें तीसरी योजना की उपलब्धियां और कमियों की समीक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया गया है।

(ख) चौथी योजना को तैयार करने में, योजना आयोग पिछली योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखेगा।

इम्फाल हवाई अड्डा

6286. **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां तो इस विस्तार का ब्यौरा क्या है तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) इम्फाल के लिये "फ्रेंडशीप" विमान सेवा आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा यह सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) इम्फाल (तुली हाल) हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी के प्रसार का कार्य हस्तगत है। लगभग एक तिहाई काम पूरा हो चुका है। काम

दिसम्बर 1969 तक सम्पूर्ण हो जाने की आशा है। जब तक उसका उपयुक्त तौर पर प्रसार न किया जाये उड़ान पट्टी "फ्रैण्डशिप" सेवा के लिये उपयुक्त नहीं होती।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में सेवा की शर्तें

6287. **श्री कृ० मा० कौशिक** :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्था के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में सेवा की शर्तों को विनियमित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या वे सरकारी कर्मचारियों पर लागू शर्तों से भिन्न हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें सेवा की सुरक्षा तथा सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप में मिलने वाली अन्य सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) : भारतीय सांख्यिकीय संस्थान स्वायतशासी संस्था है जिसका पंजीकरण समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत हुआ है और इसकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसकी परिषद् पर है। इस इकाई से सम्बद्ध कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का नियमन संस्थान के स्थायी आदेशों द्वारा होता है।

कृषकों के लिये रोजगार

6288. **श्री नाथूराम अहिरवार** :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे कृषकों तथा उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में छात्र सेना दल का प्रशिक्षण

6289. **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में छात्र सेना दल के प्रशिक्षण को पुनः चालू करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री म रं० कृष्ण) :

(क) अभी तक नहीं।

(ख) मद्रास सरकार द्वारा उठाई गई बातें विचाराधीन हैं।

सैनिक संतुलन

6290. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** **श्री वेणी शंकर शर्मा**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित सामरिक अध्ययन संस्था द्वारा सेना सन्तुलन के बारे में हाल में किये गये अध्ययन से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में प्रतिरक्षा पर अधिक धन व्यय कर रहा है;

(ख) क्या इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपनी वायु सेना की आक्रमण तथा प्रतिरक्षा दोनों प्रकार से युद्ध-क्षमता बढ़ा ली है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाये जाने के कारण, सरकार का विचार प्रतिरक्षा पर अपना खर्च बढ़ाने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) "सैनिक संतुलन" में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान प्रतिरक्षा पर भारत में 2.5 डालर की तुलना में प्रति वर्ष 4 डालर प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है और पाकिस्तान में प्रतिरक्षा व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.6 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 3.3 प्रतिशत है । पाकिस्तान का वास्तविक व्यय बहुत अधिक है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने प्रकाशित प्रतिरक्षा बजट में जान बूझ कर सारा प्रतिरक्षा व्यय नहीं दिखाया है ।

(ख) इस प्रकाशन में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना की संख्या 2,78,350 से बढ़कर 3,20,000 हो गई है तथा लड़ाकू विमानों के दस्तों (स्क्वैड्रन) की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है । पाकिस्तानी सेना के जमाव के बारे में जानकारी माननीय सदस्यों को परिचालित की गई प्रतिरक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दी जा चुकी है ।

(ग) अपनी तैयारी की स्थिति का निर्धारण करने में पाकिस्तान की बढ़ी हुई सैन्य शक्ति को ध्यान में रखा गया है और इस पर भी प्रतिरक्षा व्यय आधारित है ।

छोटे समाचार पत्र सम्बन्धी जांच समिति

6291. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री 26 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे समाचार-पत्र जांच समिति के प्रतिवेदन की शेष सिफारिशों पर इस बीच निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) यदि नहीं, तो उन पर निर्णय लेने के बिलम्ब के क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार ने समिति की इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है कि 50 ग्राम अथवा उससे कम भार वाले समाचार पत्रों को केवल एक पैसे का डाक टिकट लगाना चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : समिति की 145 सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रख दिया गया था :

27-3-67	30 सिफारिश
26-6-67	81 सिफारिशें
12-8-67	34 सिफारिश

(घ) **और** (ङ) : डाक और तार विभाग का विचार है कि भारत में ये रियायती दर संसार में सब से कम हैं और इस विभाग को पहले ही इस प्रकार की श्रेणी को डाक को भेजने पर प्रतिवर्ष 2.36 करोड रुपयों का घाटा हो रहा है । उन्होंने इस सिफारिश को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

वर्ष 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चलने से सम्बन्धित चलचित्र

6292. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गांधी जी पर 1922 में मुकदमा चलाये जाने से सम्बन्धित एक चलचित्र तैयार किया है ;

(ख) क्या उस चलचित्र को लिखित वस्तु (स्क्रिप्ट) और समीक्षा को भारत सरकार ने अनुमोदन दिया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समीक्षा के पाठ की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह जरूरी नहीं था ।

(ग) फिल्म की समीक्षा के पाठ की एक प्रति जो गुजरात सरकार ने सप्लाई की है, सदन* की मेज पर रख दी गई है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1940/68)

भारतीय सेनाओं द्वारा सिक्कम-चीन सीमा के उल्लंघन के बारे में चीन का आरोप

6293. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की प्रमुख चीनी नेताओं के साथ वार्ता के अवसर पर हाल ही के चीनी प्रसारणों की ओर, जिनमें यह आरोप लगा कर कि, भारतीय सेनाओं ने सिक्कम-चीन सीमा का उल्लंघन किया है, और वायुसीमा का उल्लंघन किया है, भारत के विरुद्ध प्रचार तीव्र कर दिया गया है सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी हां।

(ख) चीन सरकार ने भारत द्वारा सीमा उल्लंघन और वायुसीमा अतिक्रमण के जो दोष लगाये हैं उन्हें भारत सरकार 18 जून 1968 की प्रेस विज्ञप्ति में पहले ही अस्वीकार कर चुकी हैं।

लंका से शेख अब्दुल्ला को निमंत्रण

6294. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री रामचंद्र बोरप्पा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका की इस्लामी सोशलिस्ट फ्रंट ने शेख अब्दुल्ला को लंका में होने वाले अपने सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फ्रंट ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की निन्दा की थी तथा पाकिस्तान का समर्थन किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का शेख को फिर पारपत्र जारी करने का विचार है, जिसे पहले रद्द कर दिया गया था, ताकि वह सम्मेलन में भाग लेने के लिये लंका जा सके ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है परन्तु उसने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) जी हां।

(ग) शेख अब्दुल्ला ने श्रीलंका जाने के लिए पासपोर्ट के लिये आवेदन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य निरीक्षण संगठन में प्राप्त नमूनों का विश्लेषण

6295. **श्री एंथोस :** **श्री ई० के० नायनार**
श्री विश्वनाथ मेनन **श्री चक्रपाणी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 में ठेकेदारों द्वारा, टेंडर मंजूर होने पर या सप्लाई क्रयादेशों पर भेजी गई वस्तुओं में से खाद्य निरीक्षण संगठन को सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न डिपुओं से कुल कितने नमूने प्राप्त हुए; और

(ख) यदि हां, तो कितनी किस्मों के नमूनों का विश्लेषण अधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया गया और कितनी का वैज्ञानिक सहायकों द्वारा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) 1967 में लगभग 33,000 और 1968 के पहले सात महीनों में लगभग 25,000 नमूने प्राप्त हुए और उनका विश्लेषण किया गया।।

(ख) सामान्यत: नमूनों का विश्लेषण तकनीकी अधिकारियों के निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा

नियन्त्रण में वैज्ञानिक सहायकों द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में तकनीकी अधिकारी स्वतंत्र रूप से पुनः जांच करते हैं। तकनीकी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गई जांच का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। प्रत्येक नमूने के विश्लेषण को तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाता है।

भारतीय वायु सेना के अन्दमान जाने वाले कूरियर विमान में स्थान

6296. **श्री गणेश घोष :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री चक्रपाणि : **श्री प० गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य भूमि से अन्दमान जाने वाले वायु सेना के डाक वाहक कुरियर विमान में गैर सरकारी व्यक्तियों को स्थान देने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि नहीं, तो डाक वाहक विमान में स्थान पाने के लिये क्या विशेष आधार होने चाहिये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रत्येक मामले पर सरकार द्वारा स्थिति के आधार पर विचार किया जाता है और यदि ठीक समझा जाये, तो विशेष मंजूरी दी जाती है।

नेपाल से कुछ किस्म के कच्चे माल का आयात

6297. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल स्थित हमारे राजदूत से कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि भारतीय उद्योग-पति कुछ किस्मों के कच्चे-माल के शुल्क-मुक्त आयात का लाभ उठाने के लिये नेपाल में अपने कारोबार जमा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में कच्चे माल का उत्पादन नेपाली बाजार की आवश्यकता से अधिक है और वर्तमान करार के अन्तर्गत उसका भारत को निर्यात किया जाता है;

(ग) नेपाल में तथा भारत में नायलोन और स्टेनलैस स्टील के तुलनात्मक मूल्य क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या मूल्यों के इस अन्तर को समाप्त करने के लिये आयात शुल्क लगाने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) से (घ) : सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेंगी।

अकालग्रस्त क्षत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लोगों के लिये गये फोटोग्राफ

6298. **श्री कार्तिक उराव :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 और 1967 में बिहार में पालामऊ जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालिक खाद्य व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करते समय "यूनिसेफ, केयर तथा रेड त्रास" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अमरीका तथा अन्य देशों में दिखाने के लिये भारत के लाखों हताश नग्न तथा भूखे व्यक्तियों के फोटो खींचे थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं थी कि सहायता कार्य में लगे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने 1966 और 1967 में बिहार में सूखे की स्थिति के चित्र लिए हों। तथापि, सरकार के ध्यान में यह बात आई कि कुछ विदेशी स्वंयसेवी संगठनों ने विदेशों में ऐसे चित्र प्रदर्शित किए जो आपत्तिजनक थे। अपने दूतावासों को सही तथ्य भेजने के लिये कह दिया गया।

आयुध कारखानों में ए० एम० आई० ई० अर्हता प्राप्त व्यक्ति

6299. **श्री अ० सिं० सहगल :**

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले इन्जीनियरों के डिपलोमा धारी व्यक्तियों के वेतन में या तो वार्षिक वृद्धि जोड़ दी जाती है अथवा उन्हें ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर पदोन्नत कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयुध कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को न तो वार्षिक वृद्धि दी जाती है और न ही उन्हें इस प्रकार पदोन्नत किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर संभागों में जनसंख्या का घनत्व

6300. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी और गोरखपुर संभागों के जिलों में अथवा इन संभागों के किसी एक जिले में प्रति वर्ग मील में संसार में सबसे अधिक देहाती जनसंख्या है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ग मील के वास्तविक आंकड़े क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों डिवीजनों के जिलों में प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल न्यूनतम है, और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या इसका सीधा सम्बन्ध प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय से है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्यारह ऐसे जिले हैं जिनमें वाराणसी और गोरखपुर संभागों के जिलों से अधिक देहाती जनसंख्या का घनत्व है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा गुरद्वारों पर नियंत्रण किया जाना

6301. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्रीमती निर्लेप कौर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में कुछ गुरुद्वारों को अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गुरुद्वारों को उनके नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) और (ख) सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान में गुरुद्वारे जैसी धार्मिक संस्थाओं को एक बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रख दिया गया है जिसको पाकिस्तान सरकार ने 1960 में प्रवर्तित "धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शिक्षा संबंधी न्यासों अथवा संस्थाओं से संबद्ध संपत्तियों के प्रबंध एवं निपटान की योजना" के अंतर्गत स्थापित किया था। सितम्बर 1967 में, सरकार को यह भी ज्ञात हुआ कि पाकिस्तान सरकार के वक्फ विभाग ने गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरुद्वारा ननकाना साहिब से दानपात्रों को उठा लिया और उनके स्थान पर अपने ही दान पात्र रख दिए। कुछ हाल के समाचारों के अनुसार पाकिस्तान में दो प्रमुख गुरुद्वारों के भारतीय सेवादारों को बाहर निकाल दिया गया है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कई बार यह कहा है कि वह 1960 में प्रवर्तित "धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शिक्षा सम्बन्ध न्यासों अथवा संस्थाओं से संबद्ध संपत्तियों के प्रबन्ध एवं निपटान की योजना" में संशोधन करे, परन्तु वे हमारे अनुरोध से सहमत नहीं हुए हैं। जहां तक दानपात्रों को हटाने का संबंध है, पाकिस्तान सरकार ने हमको सूचित किया है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम धर्मस्थानों के परिरक्षण एवं देखरेख का दायित्व पाकिस्तान सरकार द्वारा स्थापित निष्क्रांत संपत्ति न्यास बोर्ड पर है भारतीय सेवादारों को बाहर निकालने के प्रश्न को भी पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया। इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन को उन्होंने सूचित किया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारतीय सेवादारों को पाकिस्तान से निष्कासित करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई तथाकथित पूर्वनिर्धारित योजना थी।

Retirement of Three Service-Chiefs

6302. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the term of office of all the three Service Chiefs is coming to an end by next year ;

(b) whether it is also a fact that Government propose to frame new rules for the selection of new service Chiefs ; and

(c) whether it is likely to affect the selection adversely and whether Government are vigilant towards the likely repercussions thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The normal tenures of the present Chiefs of the Army, Naval and Air Staff, are due to expire in 1969.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

"ब्रह्मचारी" तथा "शिकार" चलचित्रों चुम्बन

6303. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्रह्मचारी" तथा "शिकार" फिल्मों में जिनको एक महीना पहले प्रदर्शन के लिये अनुमति दी गई थी; चुम्बन के तथा अश्लील और अशिष्ट दृश्य हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने चुम्बन तथा अन्य अनुचित दृश्यों को "यूनिवर्सल" प्रदर्शन के लिये किन कारणों से पास किया; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उनका पुनः "सेंसर" करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : इन दो फिल्मों में न तो चुम्बन के दृश्य है न ही ऐसे दृश्य है जो केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सेन्सरशिप नियमों के अनुसार अश्लील तथा अशिष्ट समझे जांए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अनुमति देना

6305. **श्री काणी नाथ पान्डेय :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने निम्नलिखित फिल्मों को प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दी है (एक) नायक (दो) छट्टी (तीन) फर्ज (चार) ब्रम्हचारी (पांच) परिवार (छः) तकदीर (सात) आदमी (आठ) झुकगया आसमान (नौ) कहीं दिन कहीं रात (दस) नाइट इन लन्दन (ग्यारह) शिकार, (बारह) ऐन ईवनिंग इन पेरिस, जो भारतीय चलचित्र निर्माताओं द्वारा प्रदर्शन के लिये बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इन फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है तथा क्या किसी राज्य ने उपरोक्त किसी-किसी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उस फिल्म का नाम क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य में उपरोक्त किसी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दी गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस फिल्म का नाम क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ङ) तक : सूचना राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान से 'युद्ध न करने की सन्धि' की पेशकश

6306. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पाकिस्तान से युद्ध न करने की सन्धि करने की कोई पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में यदि पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया है, तो क्या ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। 15 अगस्त, 1968 को प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान से फिर इस बात की अपील की कि वह दोनों देशों के बीच युद्ध-नहीं संधि के भारत के पुराने प्रस्ताव पर विचार करे।

(ख) पाकिस्तान के अखबारों में और रेडियो की प्रतिक्रिया तो प्रतिकूल रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया मालूम नहीं है।

प्रतिरक्षा केन्द्र के रूप में चण्डीगढ़ का विकास

6307. **श्री श्रीचंद गोयल** :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ की सामरिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा केन्द्र के रूप में विकास करने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) चंडीगढ़ छावनी का विकास करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ में सैनिक केन्द्र का उपयुक्त विकास किया जा रहा है। ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है।

हवाई अड्डे के रूप में चण्डीगढ़ का विकास

6308. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ की भौगोलिक स्थिति तथा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका विमान केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारतीय वायु सेना के सभी प्रकार के विमानों के जाने-आने के लिए चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का विकास किया जा चुका है।

Government Advertisement for 'Modern Times' published for Bulandshahr

6309. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the weekly 'Modern Times' published from Bulandshahar, had been approved for getting advertisements from Government and Municipal Committees before completing the period fixed therefor ;

(b) whether it is also a fact that the editor of the said newspaper has neither submitted any affidavit as required under the rules nor fulfilled other conditions laid down in this regard ;

(c) whether it is further a fact that said newspaper is not brought out regularly ; and

(d) if so, the reasons for which the said weekly has been approved for being given advertisements ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri K. K. Shah**) : (a) to (d) The publisher of 'Modern Times' has not approached the Directorate of Advertising and Visual Publicity for advertisements.

As regards part (b) and advertisements released by the State Government and Municipal Committees, who are free to pursue their own policy, information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

According to the records of the Registrar of Newspapers for India, the weekly commenced publication on 25th December, 1967. So far copies of 20 issues have been received in that office.

पूर्वी अफ्रीका के देशों से गुजरातियों का वापस स्वदेश लौटना

6310. **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी अफ्रीकी देशों से वापस स्वदेश आने वाले गुजरातियों को बसाने के लिए गुजरात सरकार को कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उनको बसाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है अथवा केन्द्रीय सरकार इसके लिये जिम्मेदार है ;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें व्यापार तथा अन्य सुविधायें देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उनकी सम्पत्ति सुरक्षित है अथवा पूर्वी अफ्रीका देशों में उन्हें अपनी सम्पत्ति से वंचित किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) : जो भारत मूलक व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पूर्व अफ्रीकी देशों से लौटते हैं उनको संबंधित सरकारों की ओर से यह इजाजत होती है कि वे अपनी बचतों को भी स्वदेश ला सकें। यहां पहुँचने पर भारत सरकार उनको आयकार और सीमाशुल्क में उदारता पूर्वक रियायतें भी देती है। इसलिए सरकारी लागत पर उनके पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) : जंजीबार को छोड़कर, बाकी अन्य किसी भी पूर्व अफ्रीकी देश में भारतीय संपत्ति को जब्त नहीं किया गया है ।

Danapur Cantonment Board

6311. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the salaries to the employees of the Danapur Cantonment Board, Bihar are paid on a fixed day in a month ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the salaries of these employees are paid on the fixed date in future ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) : The salaries of the Dinapur Cantonment Board employees have been paid on the prescribed dates, except in respect of May, June and July 1968 where there was some delay on account of the non-availability of adequate funds with the Cantonment Board mainly as a result of delay in realisation of Cantonment dues. Instructions have been issued to the Cantonment on the 26th August 1968 to ensure that disbursement of salaries is made on the prescribed dates.

पश्चिम बंगाल में दिखाई गई विदेशी फिल्में

6312. **श्री जुगल मन्डल** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने का कृपा करग कि :

(क) जनवरी से जुलाई 1968 की अवधि में पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में कितनी और कौन-कौन सी विदेशी फिल्में दिखाई गई हैं;

(ख) इन विदेशी फिल्मों को भारत में आयात करने वालों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सैन्सर अधिकारी ने कितने मामलों में इन फिल्मों को दिखाने की अनुमति नहीं दी थी, और उन फिल्मों के नाम क्या हैं?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Clash of Army Personnel with Jhonpri dwellers near Poona

6313. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the army personnel of the Dunkirk Lines Unit near Yarwada Jail, Poona clashed with their neighbouring Jhonpri dwellers in the first week of June, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the main cause of the clash was teasing of a woman putting up in the Jhonpri by some army personnel ?

(d) whether it is further a fact that on being rebuked by the villagers, the said army personnel brought forty to fifty of their colleagues from the military lines, beat the

residents of that colony and the people gathered there for marriage ceremony. put off the lights in the Mandap and also beat the women, children and animals and looted the property ;

(e) whether Government have looked into the said incident ; and

(f) if so, the action taken on the findings ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (f) : A Court of Inquiry has been ordered to investigate the incident and its proceedings are awaited.

Population in Nagaland

6314. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the area and population of Nagaland ; and

(b) the number of Hindus and Christians separately among the population of Nagaland ; and

(c) whether it is a fact that there is no Hindu Naga among the rebel Nagas of Nagaland and all the rebel Nagas there are Christians ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The State of Nagaland has an area of 16,488 square kilometres and its population according to the 1961 census was 369,200.

(b) **and** (c) : According to the census of 1961 about 53% of the population in Nagaland was Christian and the rest professed their ancestral Naga faiths. In this connexion, attention of the Hon'ble Member is invited to the reply given on 4th December, 1967 to Lok Sabha Starred Question No. 427.

Development of Nagaland

6315. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of grant given for the development of Nagaland during the Third Five Year Plan ;

(b) whether it is a fact that a major portion of this amount was spent on Christian Nagas and the amount spent on Hindu Nagas was proportionately less ; and

(c) if not, the total amount spent on Christian and Hinnu Nagas, separately ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : An amount of Rs. 10.78 crores was spent in Nagaland on development programmes during the Third Five Year Plan.

(b) **and** (c) : In accordance with the provisions of the Constitution which enjoins the pursuit of a secular policy by the Government of India and the Governments of the States no distinction is made on grounds of religion in disbursing public funds. The only weightage as authorised by the Constitution is given to socially and educationally backward classes of citizens or for Scheduled Castes and the Scheduled tribes and in this context the entire population of the State of Nagaland is treated as deserving of special consideration.

Elections in Nagaland

6316. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during elections, Christian Naga leaders force the Hindu Nagas to cast Votes in their favour ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to ensure free and fearless elections in Nagaland ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government are not aware of any group of Nagas known as 'HINDU' Nagas. According to the 1961 Census 53% of the population of the State of Nagaland was Christian while the rest professed their ancestral beliefs. General elections in the State were held in 1964 and bye-elections in 1966. Government are not aware of any complaints of the type referred to by the Hon'ble member having been preferred by any one in the State. The elections in Nagaland, as elsewhere in the country, are conducted under the supervision of the Election Commission.

(b) Does not arise.

Financial and Social position of Christians in Nagaland

6317. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial and social condition of the Christian people of Nagaland is much better than that of Hindus ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) Government are not aware of the existence in Nagaland of any group or class known as 'HINDU' Nagas. According to the 1961 Census, 53% of the population was Christian while the rest professed their ancestral faith. As the Constitution prohibits any discrimination by the State on grounds of religion, no statistics are maintained along these lines.

Rights of Hindus in Nagaland

6318. **Shri T. P. Shah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that majority of people in Nagaland are Hindu Nagas, who are deprived of all types of Government favours ;

(b) whether it is also a fact that the Naga rebellion is actually the rebellion by those Christian Nagas, who are in minority in Nagaland and are challenging the integrity of India through foreign aid and foreign missionaries ;

(c) if so, whether Government propose to ask all the foreign missionaries in the interest of the country to leave Nagaland ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) According to the Census of 1961, about 53% of the population in Nagaland is Christian. The rest profess their ancestral Naga beliefs.

(b) There are Christians who are peace loving and some who are violent. It would be incorrect to give a religious colour to the unlawful activities of a section of the Nagas.

(c) and (d) According to information available with the Government, there are not more than seven foreign missionary teachers, all of them women, in two schools at Kohima

and Mokokchung. They are there with the consent of the State Government and are said to be rendering useful service. There have been no complaints from any quarter regarding their behaviour or activities which are confined to teaching children.

Reorganisation of Army

6319. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reorganise the Army from the national point of view by abolishing its organisation based on caste and regional considerations ;

(b) if so, whether the concurrence of the high Army Officers and experts has also been obtained before taking such a decision ;

(c) whether it is apprehended that this reorganisation would have adverse affect on the capacity of fighting forces of the Army ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to counter the aforesaid apprehension ?

The Minister of Defence (**Shri Swaran Singh**) : (a) to (d) The policy of reorganising the Army units, which prior to Independence were based on uncalled for distinctions, so as to remove the same, has been in force now for quite some time and gradual reorganisation has been going on for many years. Due care is taken to ensure that the change does not affect the fighting efficiency of the Army.

'सुकनय' नामक स्टीमर का जमीन में धंस जाना

6320. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्रीमती बी० राधाबाई :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 के दूसरे सप्ताह में गुन्टूर जिले में निजाम-पत्तनम् के निकट 'सुकनय' स्टीमर जमीन में धंस गया था ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके सभी कर्मचारी बचा लिये गये थे ; और

(ग) इस जहाज को कितनी क्षति पहुँची ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जहाज को निकालने के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकेगा ।

अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को भारतीय वायु सेना की कूरियर सेवा में आरक्षण सुविधाएं

6321. **श्री नायनार :** **श्री उमानाथ :**
श्री प० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुछ व्यक्तियों को भारतीय वायु सेना की कूरियर सेवा में आरक्षण सुविधाओं को समाप्त करने के बारे में लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, कार निकोबार से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री द्वारा यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में प्राप्त की गई धनराशि

6322. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रिमण्डल का सदस्य बनने के समय से अब तक उनके बम्बई के दौरों पर उन्होंने यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मन्त्रि मण्डल का सदस्य बनाने के समय से 19 जुलाई, 1968 तक मैंने अपने दौरे पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में 4,182 रुपये 90 पैसे का क्लेम किया । इसमें वह रकम शामिल नहीं है जो मेरी हवाई जहाज यात्रा के लिये भारतीय वायु निगम को दी गई । यह रकम 20,840 रुपये है । इसमें रेल का किराया भी है जिसके बारे में रेलवे अधिकारियों से अभी तक डैबिट प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Impounding of Ships in Suez Canal

6323. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fifteen Indian ships impounded in Suez Canal during the Arab-Israel conflict fourteen months ago have not so far been released and the goods loaded therein have also not been handed over to India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto particularly after waiting for such a long time ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) No **Indian** ship has been impounded in the Suez Canal during the Arab-Israeli conflict. There are 16 ships, 2 belonging to the United States, 4 to the U.K., 2 to Sweden, 2 to West Germany, 2 to Poland, 1 to France, 1 to Bulgaria, 1 to Czechoslovakia and 1 to the U.A.R., stranded in the Canal at present. Only one ship namely the 'Observer' has a full cargo, consisting of 27,400 tons of milo meant for India, coming from the U.S.A. under P.L. 480. Three ships are empty while 11 have mixed cargo, some of which is meant for India. An agreement has recently been signed with the United Arab Republic under which the milo on the 'Observer' will be sold to the U.A.R.

Praga Tools Ltd.

6323-A. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: **Shri Bharat Singh Chauhan**:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although full amount was realised from the Praga Tools Ltd., many years ago, the commercial agent Batliboi has not supplied machines worth several lakhs of rupees so far ;

(b) whether Germany has received the value of this machinery and whether it has sent the machinery ; and

(c) the names of officers and employees who have been found guilty of making payment without obtaining the machinery and the action taken against them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) There has been no such instance.

(b) Praga Tools has not ordered machines from Germany through M/s Batliboi.

(c) Does not arise.

Parliamentary Government in Nagaland

6323-B. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Naga hostiles have proposed that if Parliamentary Government is established in Nagaland, they would withdraw their Opposition ; and

(b) if so, the broad details thereof and whether Government propose to accept it?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) No, Sir. Nagaland State already has a Parliamentary system of Government as exists throughout the country under provisions of the Constitution. No offer of the type referred to by the Hon'ble member could therefore have been made.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समाचार पत्र रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1)

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मैं भारत में प्रेस के बारे में भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के 196 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1932/68]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभापटल पर रखता हूँ ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 26 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि पेटेंट विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं

की संयुक्त समिति में राज्य सभा सहयोजित हो और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री एम० के० वेशम्पायन
(2) श्री कृष्ण कान्त
(3) श्री आर० पी० खैतान
(4) श्री अर्जुन अरोड़ा
(5) श्री टी० वी० आनन्दन
(6) श्री ओम मेहता
(7) श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी
(8) श्री पीताम्बर दास
(9) श्री डाह्याभाई वी० पटेल
(10) श्री गोडे मुराहरि
(11) श्री जी० अच्युत मैनन

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1968 को पास किये गये भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 26 अगस्त, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 22 अगस्त, 1968 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 22 अगस्त, 1968 को पास किये गये विनियाग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :—

(1) रानी ललिता राज्य लक्ष्मी	13 अप्रैल से 3 मई, 1968 (चौथा सत्र)
(2) श्री ए० ई० टी० बैरो	22 जुलाई से 14 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)
(3) श्री मुरासोली मारन	22 जुलाई से 30 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)
(4) श्री कमलनयन बजाज	22 जुलाई से 14 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)
(5) महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भौंसले	16 अप्रैल से 10 मई, 1968 (चौथा सत्र) और 22 जुलाई से 14 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)
(6) श्री कन्सारी हाल्दर	24 जुलाई से 26 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)
(7) श्री नि० चं० चटर्जी	22 जुलाई से 30 अगस्त, 1968 (पांचवां सत्र)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITEE

छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं गृह-कार्य मन्त्रालय–सार्वजनिक सेवाओं-के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 93वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मन्त्री का उत्तर

STATEMENT BY MEMBERS UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERE TO

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In reply to a question in my name and in the name of Shri Rabi Ray on 7th August 1968, the Deputy Minister, Shri Surendra Pal Singh gave a wrong statement.

In his reply the Minister had stated that they had written to the 'Observer' a letter contradicting what appeared in their paper dated 10th June, 1968 but the paper has not published the statement.

However, 'Observer' in its issue dated 11-8-68 contradicted this statement of the Government and stated that the Indian High Commissioner in London had confirmed that no such letter was sent to the 'Observer'. In the same issue the paper published a letter received thereafter.

It is, therefore, clear that the Minister has wilfully made a wrong statement. He should be asked to correct his statement.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मेरा सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। उत्तर देते समय मेरे मन में उस पत्र का भारत विरोधी दृष्टिकोण था। उसने हमारे कई पत्रों, तारों तथा इंडिया वीकली में दी गई सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस सभा में मेरे उत्तर देने के बाद ही उसने पहली बार हमारे लांक सम्पर्क अधिकारी का वक्तव्य छापा था।

आशा है कि इससे यह गलतफहमी दूर हो जायेगी।

पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति का प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

विदेश विवाह विधेयक के बारे में (नियम) 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव
MOTION UNDER RULE 388 IN RESPECT OF FOREIGN MARRIAGE BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर, जो लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर, जो लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1968 को पास किया गया था, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विदेश विवाह विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : JOINT COMMITTEE ON FOREIGN MARRIAGE BILL

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1968 को किया गया निर्णय विखण्डित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की

सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर लोक-सभा द्वारा 13 अगस्त, 1968 को किया गया निर्णय विखण्डित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"(एक) कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए लोकसभा में 13 अगस्त, 1968 को पेश किये गए प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

(क) 'श्री सी० एम० कृष्ण' के स्थान पर 'श्री एस० एम० कृष्ण' रखिये।

(ख) 'श्री लषण लाल कपूर' के स्थान पर 'श्री लखन लाल गुप्ता' रखिये; और

(दो) कि विदेश विवाह विधेयक, 1963 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए उक्त प्रस्ताव, संशोधित रूप में, पास किया जाय।"

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : इस बात का क्या कारण है कि श्री एस० एम० कृष्ण के स्थान पर श्री सी० एम० कृष्ण रखा गया है और श्री लखन लाल गुप्ता के नाम के स्थान पर श्री लखन लाल कपूर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : शायद यह मुद्रण की अथवा कोई ऐसी ही गलती है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : निसन्देह यह गलती जान बूझ कर नहीं की गई है बल्कि यह अदक्षता का प्रतीक है।

श्री अब्दुल गनीदार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 1 से 4 प्रस्तुत करता हूँ।

It is within the competence of this Government to patronise whom they like since they are in a majority, but a name which has been included in the Joint select committee should not be changed. They should first decide amongst themselves whom they have to accommodate.

श्री श्री निवास मिश्र (कटक) : किसी मद पर निर्णय किये जाने के बाद उस निर्णय को समाप्त किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मैं श्री अब्दुल गनीदार के संशोधन का पूर्ण विरोध करता हूँ। श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पहले पारित प्रस्ताव को समाप्त किया जा चुका है और अब मैं मामूली संशोधन के साथ एक और प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री एस० एम० कृष्णा के मामले में तो इसे गलती का सुधार माना जा सकता है क्योंकि इस सदन में श्री कृष्णा एक ही सदस्य का नाम है परन्तु दूसरे मामले में तो नाम बदलना है। ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : हम श्री लाखन लाल गुप्त का नाम ही रखना चाहते थे। गलती से श्री कपूर का नाम छप गया है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : एक प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद कोई और प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। यदि मंत्री महोदय ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें प्रस्ताव परिचालित करना होगा।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : नियम 338 निलम्बित कर दिया गया है। उन्हें नया प्रस्ताव लाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नियमों के आधार पर आपत्ति कर रहे हैं तो इसे कल लिया जा सकता है। मेरा विचार था कि सभा का समय क्यों खराब किया जाये और इसे आज ही स्वीकृति दे दी जाये।

श्री प्र० के० देव : यह एक बुरा उदाहरण होगा कि एक माननीय सदस्य को जिसे पहले चुना जा चुका है किसी आधार पर हटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसे कल पेश करें।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : यदि आपका यही निर्णय है तो ऐसा ही किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प (जारी)

STATUTORY RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF WEST BENGAL--CONTD.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं आज केवल एक बात पर ही बोलना चाहता हूँ और वह पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति और अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में है। गत दो वर्षों में बार बार यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार का रुख संयुक्त मोर्चे की सरकार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है और वह पश्चिम बंगाल के लिये आवश्यक अनाज नहीं भेज रही है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की राज्य सरकार लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं दे पाती और कानूनी राशन व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। मैं कुछ आंकड़े यहां पर रखना चाहता हूँ जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसी स्थिति वहां पर कैसे थी और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वह कैसे सुधर गई। पहली अवधि में राज्य के अन्दर राज्य द्वारा 626000 मीट्रिक टन चावल खरीदा गया था जबकि 22 फरवरी से 4 जुलाई 1968 की तत्सम्बन्धी अवधि में केवल 103000 मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। इस अन्तर के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

इसे कैसे हल किया गया ? अतिरिक्त सप्लाई भेज कर नहीं अपितु राज्य के अन्दर वसूली का काम तेज करके और ठीक तरह से वसूली करके इस कमी को दूर किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद कानूनी राशन व्यवस्था को ठीक किया गया और अन्य कई क्षेत्रों में भी उसे लागू किया गया। पहले राशन व्यवस्था का लाभ 86 लाख व्यक्तियों और राशन की संशोधित योजना का लाभ 122 लाख व्यक्तियों को ही उपलब्ध किया गया था। राष्ट्रपति शासन के बाद राशन की संशोधित योजना को इस वर्ष जून के अन्त तक 236 लाख व्यक्तियों पर लागू किया गया। इसके अतिरिक्त हम राशन की मात्रा में भी वृद्धि करने में सफल हुए। पहले राशन की मात्रा 1.75 किलो थी जिसे बढ़ा कर 2 किलो कर दिया गया। इसमें चावल की जो मात्रा थी उसे भी 500 ग्राम से बढ़ा कर 750 ग्राम कर दिया गया। मैं यह सब इसलिये बता रहा हूँ कि वहां पर राष्ट्रपति शासन से स्थिति में सुधार हुआ है और प्रशासन को भी कार्यकुशल बनाया गया है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जायगा कि केन्द्र पर लगाए गये आरोप निराधार हैं।

राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में अनाज के ही नहीं अपितु अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम भी गिर गये हैं।

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उन्हें इस मामले में राजनीति को नहीं लाना चाहिये। मैं यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं तो यह बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन से वहां के लोगों को लाभ पहुँचा है। मैं यह सब कुछ राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित ठहराने के लिये नहीं कह रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाये।

इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए कि इन छै महीनों में वहाँ पर चुनाव नहीं किये जा सकते माननीय सदस्य हमारी मजबूरी को समझेंगे और इस प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य कल अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके वे अब प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करती हूँ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं श्री शुक्ल के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और श्री बनर्जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति शासन का आशय यही है कि केन्द्र के परामर्श से अफसरशाही का शासन चले और अफसरशाही लोक प्रिय सरकार का विकल्प नहीं बन सकती। यह एक तथ्य है कि पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी बंगाल में कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है।

मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार निहित स्वार्थों के इशारे पर किस तरह से समाप्त की गई। सीधी सी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि अग्रेतर छह महीने बढ़ाने के इस प्रस्ताव से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाने चाहियें।

मंत्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने के बाद वहाँ पर उन्हें औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में सफलता मिली है। केवल 10 कारखाने दोबारा चालू हुए हैं और इन दस कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1000 से अधिक नहीं है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से जिसमें ये कारखाने स्थित हैं गत दस वर्षों से विधान सभा के लिये चुना जाता रहा हूँ।

जूट मिल मालिकों के संघ ने श्री हाथी के इस सुझाव को मानने से साफ इन्कार कर दिया है कि जूट उद्योग को कम से कम 1 जनवरी 1968 से छमाही की बजाये प्रत्येक तीन मास के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करना चाहिये। ऐसे अन्य उदाहरण भी है जिनमें न तो मिल मालिक और न ही पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारी संघों की मांगें मानने के लिये राजी हुई है।

कोयला खान मालिक कोयला खान मजदूर सभा के बड़े-बड़े नेताओं को मार डालने की धमकी दे रहे हैं। वहाँ पर वही गुन्डाराज जारी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

स्टैन्डर्ड बैगन कम्पनी, बर्नपुर में तालाबन्दी हुई और यह समझौता हुआ कि एक मध्यस्थ अपना पंचाट देगा। परन्तु कम्पनी उसके पंचाट को, मानने से इन्कार कर रही है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अभ्यावेदन किया गया है परन्तु कोई भी कुछ कहने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि यह बड़े उद्योगपतियों से सम्बन्धित है।

मैं एक और उदाहरण देता हूँ, प्रबन्धकों के अनुसार भारतीय तेल निगम में कुछ गड़बड़ हुई। परन्तु उसके कारण सरकारी क्षेत्र के इस निगम की यूनियन के 10 कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया। कर्मचारी यह सब सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका कुछ संकेत भी मिल चुका है। अभी हाल में सारे बंगाल में इंजीनियरी, जूट तथा कपड़ा उद्योगों के कर्मचारियों ने हड़-ताल की थी।

श्री शुक्ल शांति तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बता रहे थे जबकि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में अपराध बढ़ गये हैं। कलकत्ता की एक सबसे अधिक चहल पहल वाली सड़क पर डाक की एक गाड़ी को लूट लिया गया और अपराधी चार लाख रुपये लेकर चम्पत हो गये, परन्तु पुलिस उन अपराधियों का पता नहीं लगा सकी है। यह उनके लिये बड़ी शर्म की बात है। सीमा सुरक्षा पुलिस के आदमियों ने एक औरत के साथ छेड़खानी की और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो इन पुलिस वालों ने गोली चला दी जिससे 3 व्यक्ति मारे गये। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के कारण लगभग 30,000 एकड़ भूमि में पानी भर गया है। हमें आज ही पता चला है कि राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिये 14 करोड़ रुपये मांगे हैं। उन्हें अधिक राशि की मांग करनी चाहिये थी। पर यह बड़ी शर्म की बात है कि केन्द्र ने उन्हें अभी तक केवल एक करोड़ रुपया ही दिया है।

वहां पर राष्ट्रपति शासन केवल तीन महीने के लिये ही बढ़ाया जाये और जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यह प्रस्ताव ठीक समय पर ही नहीं लाया गया है अपितु यह वास्तविकता पर भी आधारित है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण वहां की जनता को जो भारी धक्का पहुँचा है उससे उभरने के लिये उसे कुछ समय अवश्य ही दिया जाना चाहिये। संयुक्त मोर्चा सरकार के श्रम मन्त्री द्वारा संचालित और प्रोत्साहित घेरावों तथा हड़तालों से औद्योगिक उपक्रम पूर्णतया नष्ट

कर दिये गये हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा संचालित विद्यार्थियों की अशांति से शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। इसलिये राष्ट्रपति शासन कम से कम छः मास तक जारी रखना बहुत आवश्यक है। यदि इसे इससे पहले समाप्त किया जायेगा तो वहां फिर से असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जो भारी क्षति हुई है उसके कारण अधिकारियों तथा जनता को नवम्बर में होने वाले चुनावों के बारे में विचार करने के लिये समय नहीं मिल सकेगा। जब लगभग एक करोड़ व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित हैं तो नवम्बर में चुनाव कैसे कराये जा सकते हैं। सामान्य स्थिति लाने के लिये राष्ट्रपति शासन को कायम रखना जरूरी हो गया है।

विपक्षी दल के मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में राज्य में स्थिति सामान्य थी। परन्तु मैं कुछ उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। संयुक्त मोर्चा सरकार के मुख्य मन्त्री संयुक्त मोर्चा सरकार के एक बड़े संघटक के विरुद्ध वक्तव्य जारी करते रहे हैं और जनता को बताते रहे हैं कि ऐसे दल के हाथों में राज्य को सौंपना खतरे से खाली नहीं है जो एक अन्य देश का हिमायती है और हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। सचिवालय में उप मुख्य मन्त्री के उकसाने पर कर्मचारियों ने मुख्य मन्त्री को गाली दी और उनपर हमला किया। भूमि तथा राजस्व मन्त्री ने जिलों का दौरा किया और लोगों को अराजकता फैलाने के लिये उकसाया। जिसका परिणाम नक्सलबाड़ी के दंगों के रूप में हमारे सामने आया।

इन सब बातों को दृष्टि में रखकर डा० पी० सी० घोष को जो संयुक्त मोर्चा सरकार में निर्दलीय सदस्य के रूप में भाग ले रहे थे एक वक्तव्य जारी करना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि एक देश भक्त के रूप में उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य को षड़यंत्रकारियों के पंजे से छुड़ाने की कोशिश की जो राज्य को विदेशियों को सौंपने वाले थे। राज्य वह स्थिति अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता था। इसलिये एक सरकार बनाई गई। वह सरकार बहुसंख्यक सरकार थी क्योंकि उसे विधान सभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। उसने राज्य के हित में काम किया परन्तु कुछ समय बाद इन राजनीतिक दलों द्वारा षड़यंत्र रचे गये और वह अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। परन्तु राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया। राज्य की समस्याओं के दीर्घकालीन हल के लिये राज्यपाल को और अधिक समय दिया जाना चाहिये।

राज्य में समस्याएँ अभी भी मुंह खोले खड़ी है। बेकारी के प्रश्न को ही ले लीजिये। अभी भी 79 कारखाने बन्द हैं।

ऐसी स्थिति में नवम्बर में चुनावों की आशा करना असंभव है। मुझे बताया गया है कि निर्वाचन आयुक्त सितम्बर में राज्य का दौरा करेंगे और पता लगायेंगे कि नवम्बर में चुनाव कराये जा सकते हैं या नहीं। मुझे विश्वास है कि वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगे कि नवम्बर में चुनाव नहीं कराये जा सकते।

अच्छा होता यदि मन्त्री महोदय राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने की बजाय एक वर्ष तक बढ़ाने के लिये प्रस्ताव लाते। इससे राज्य में जन जीवन सामान्य तथा सुरक्षित हो जायेगा।

राज्य के लोगों का बाढ़ से भारी क्षति पहुंची है। इसलिये राहत कार्यों के लिये राज्य को कम से कम 15 या 20 करोड़ रुपये की राशि दी जानी चाहिये।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए सभी माननीय सदस्यों को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : में श्रीमती इला पालचौधरी और डा० रानेन सेन दोनों के संशोधनों का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का शासन कम से कम समय तक रहे। मैं श्रीमती इला पालचौधरी के संशोधन का विरोध इसलिये करता हूँ कि लोकतन्त्र में चाहे जितने दोष या कमियां हों फिर भी यह अब तक का सबसे अच्छा शासन तन्त्र है। यदि साम्यवादी जनता भी फिर से सत्तारूढ़ हो जाये-हालांकि ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है तो मैं राष्ट्रपति शासन को जारी रखने से उसे बेहतर समझूंगा।

मैं डा० रानेन सेन के संशोधन का विरोध इसलिये करता हूँ कि वह वास्तविकता पर आधारित नहीं है। नवम्बर में चुनाव की बात करना बाढ़ से पीड़ित लोगों की दयनीय दशा का मजाक उड़ाना है। बाढ़ से भारी क्षति हुई है और सरकार को उन लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें राहत पहुँचाने के काम में अपनी शक्ति लगानी चाहिये।

मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि इस आरोप के समाधान के लिये कि लगभग 60-70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पानी में डूब जायेंगे और लोग अपने मत नहीं डाल सकेंगे, निर्वाचन आयोग प्रत्येक आधा मील पर एक मतदाता केन्द्र स्थापित करने की बात सोच सकता है। मैं हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले का दौरा कर रहा था। कुछ ग्रामवासी मेरे पास आए और कहने लगे कि प्रत्येक आधा मील पर मतदाता केन्द्र स्थापित करने की बात करना तो आसान है परन्तु कीचड़ में 100 गज चलना भी कठिन है। नौकाओं के चलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है। दूसरी ओर भूमि इतनी सख्त नहीं होती कि उसपर बैल ठेला भी चल सके। पांव 6 से 9 इंच तक भूमि में धंस जाते हैं।

यदि चुनाव नवम्बर में कराये जाते हैं तो महिला मतदाता उसमें भाग नहीं ले सकेगी। मुझे विश्वास है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का इरादा महिला मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करना नहीं है। संविधान के अधीन चुनाव आयुक्त का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि मतदाता अनुकूल परिस्थितियों में तथा बिना किसी बाधा के अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।

यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के सुझाव के अनुसार प्रत्येक आधे मील पर मतदान केन्द्र बनाये जाते हैं तो मेरे विचार पर इनमें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाओं को जोड़ कर कुल 8 करोड़ रुपये व्यय आयेगा क्योंकि दो मील की दूरी पर मतदान केन्द्र बनाये गये थे तो इन पर कुल दो करोड़ रुपये व्यय हुआ था।

मैं इलापाल चौधरी के संशोधन करता हूँ कि राष्ट्रपति के शासन को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक नहीं रखा जाना चाहिए। श्री रानेन सेन के संशोधन का मैंने इसलिए विरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव नवम्बर में नहीं बल्कि अगले वर्ष फरवरी में कराये जाने चाहिए।

मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वर्तमान सरकार ने स्थिति का सामना करने के भरसक प्रयत्न किये हैं। परन्तु अभी और बहुत कुछ किया जाना शेष है। मुझे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सभी जिलों से समान व्यवहार नहीं किया गया है। 24 परगना में उतना ही क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हुआ है जितना कि मिदनापुर में। जहां तक हुगली का सम्बन्ध है वहां पर सरकार की गति विधियों के कारण ही अधिकांश क्षेत्र में पानी भरा है। दामोदर घाटी परियोजना ने 8 बांधों का निर्माण नहीं किया है जैसा कि मूल योजना में सिफारिश की गई थी अपितु कुल 4 बाँध ही बनाये गये हैं। वनारोपण के कार्यक्रम को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है जो कि कटाव रोकने के लिए अत्यावश्यक है। विभिन्न बांधों तथा जलाशयों के शीघ्र ही भर जाने का खतरा है और उसके फलस्वरूप पानी ऊपर से बहने लगेगा। अतः पानी के बहाव को नियमित करने के लिये सरकार को इस अवधि में कार्यवाही करनी चाहिए।

जब से सरकार ने जमींदारी समाप्त की है सरकार ने नदियां तथा नहरों की सफाई के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है जिसके परिणाम स्वरूप उनमें गत 15 अथवा 16 वर्ष में पर्याप्त रेत भर गई है। सरकार को आगामी तीन अथवा चार महीनों में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने पर जोर देना चाहिये।

Shri Shardanand (Sitapur): I rise on a point of order. No cabinet Minister is present in the House when the fate of Bengal is being discussed. Atleast one cabinet Minister should be present here.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका निवेदन उन तक पहुँचा दूँगा।

श्री समर गुह : (कल्टाई) पश्चिमी बंगाल इस समय दैवी प्रकोप का सामना कर रहा है और लोगों को अकथनीय कठिनाई उठानी पड़ रही है। मन्त्रिमण्डल के मंत्री को यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन तक आपकी बात पहुँचा दूँगा।

श्री विमलाकान्ति घोष (सीरामपुर) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल की बाढ़ की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। पश्चिमी बंगाल में हाल के वर्षों में यह सबसे गम्भीर दैवी प्रकोप हुआ है।

गत दो महीनों में पश्चिमी बंगाल में दो बार गम्भीर बाढ़ आ चुकी है। जून के अन्तिम भाग तथा जुलाई के आरम्भ में निरन्तर भारी वर्षा से पश्चिमी बंगाल के लगभग सभी जिलों में बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी यह पानी उतरने नहीं पाया था कि अगस्त में फिर भारी वर्षा हो गई। अतः समूचा राज्य बाढ़ ग्रस्त है तथा मिदनापुर और हुगली जिलों में बाढ़ का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। लगभग आठ लाख एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई हैं हजारों मकान या तो नष्ट हो गये हैं या उनको क्षति पहुँची है। पानी के कम होने के साथ-साथ अनेक मकान गिर रहे हैं। अभी क्षति का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

हुगली में आराम बाग सब डिवीजन सहित 12 पुलिस स्टेशनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तीन लाख की जनसंख्या का लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र नष्ट हो गया है। लगभग 2000 मकानों को क्षति पहुँची है।

24 परगना में 15 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लगभग 6000 मकानों को क्षति पहुँची है और हजारों एकड़ भूमि में फसलें नष्ट हो गई है।

हावड़ा में 8 पुलिस स्टेशनों के लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

बाढ़ के कम होने के साथ सरकार को पुनर्वास का कार्य सुचारु ढंग से चलाना चाहिए।

बीज, पौधों तथा धन से सहायता करने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। लाल फीता शाही कम से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास कार्य नहीं है अतः उन्हें सहायता देने आदि के कार्य पर लगाया जाना चाहिए। जिन लोगों के मकान नष्ट हो गये हैं अथवा क्षति ग्रस्त हो गये हैं उनको उदारता पूर्वक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह पुनः मकान बना सकें।

लगान सहित सभी सरकारी बकाय राशियों को छोड़ दिया जाना चाहिए अथवा उनकी वसूली स्थगित कर दी जानी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा वहां के लोगों के पुत्रों तथा पुत्रियों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए। पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों को शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए और निकासी संबंधी योजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इन बाढ़ों के कारण फरक्का का प्रश्न फिर महत्वपूर्ण हो गया है। इसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

श्री समर गुह : मैंने पहले ही कहा है कि पश्चिमी बंगाल पर एक अभूत पूर्व प्राकृतिक संकट आया है। पश्चिमी बंगाल के लोगों के समक्ष यह समस्या है कि राज्य के एक तिहाई लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना है उनको किस प्रकार दूर किया जाये।

परन्तु इस कार्य में दो बाधायें हैं। एक बाधा नवम्बर में चुनाव की सम्भावना है। दूसरी बाधा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये वित्तीय वादों की अनिश्चितता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि पश्चिमी बंगाल के 18 में से जिन 14 जिलों में बाढ़ आई है उनमें सहायता तथा पुनर्वास कार्य पर पूरा ध्यान दिया जाये।

मैं चुनाव आयुक्त से अपील करूँगा कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव व्यवस्था करने की व्यवहार्यता के पहलू से विचार न करें बल्कि वह इस समस्या पर मानवीय पहलू से विचार करें।

एक अन्य पहलू यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता तथा पुनर्वास कार्य करने की न तो क्षमता है और न ही उसके पास साधन हैं। योजना आयोग ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो पश्चिमी बंगाल की यात्रा कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अन्य राज्यों के लिए भी ऐसा किया गया था। अतः मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिवेदन पर कार्य करे और पश्चिमी बंगाल सरकार जो 14 करोड़ रुपये की मांग की है उसकी तुरन्त मन्जूरी दी जाये। क्या आप विश्वास करेंगे कि अब तक अर्थात तीन महीने बाद एक योजना बनाई गई है जिसके अनुसार सहायता कार्य के लिए 1.50 पैसे प्रति व्यक्ति तथा मकान बनाने के लिए 3 रुपये प्रति व्यक्ति देने का प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि सरकार को सहायता देने में बिल्कुल भी बिलम्ब नहीं करना चाहिए।

कल पश्चिमी बंगाल के आई० जी० पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान ने दिनाजपुर और

कूच बिहार के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पूर्वी पाकिस्तान राइफिलस के सैनिको अर्ध सैनिकों तथा नियमित सैनिकों का भारी जमाव कर दिया है। त्रिपुरा की सीमा के निकट भी सैनिक जमाव किया गया है। अतः मैं सरकार का ध्यान 15 दिन पहले चीन के साम्यवादी दल द्वारा पास किये तथा परिचालित किये गये एक परिपत्र जिस पर चाऊ एन लाई के हस्ताक्षर है, दिलाना चाहता हूँ। यह परिपत्र तिब्बत में चीनी सेनाओं को भेजा गया है। इसमें उनको सीमावर्ती घटनाओं के लिए तैयार रहने के आदेश दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

पश्चिमी बंगाल में न्यायपालिका में एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। स्थिति यह है कि मुख्य न्यायाधिपति के न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा है तथा सत्याग्रह किया जा रहा है। वहाँ पर बैरिस्टरों तथा एडवोकेट्स के पृथक-पृथक संगठन हैं। भारत के किसी अन्य राज्य में इंग्लिश तथा इन्डियन बार में भेदभाव नहीं है। अतः एडवोकेट्स को बैरिस्टरों की बार असोसिशयेन का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है। इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय में नियुक्ति के बारे में इन दोनों तथा सेवाओं में समानता रखी जानी चाहिए।

गत वर्ष भी दामोदर घाटी निगम के जलाशयों के कुप्रबन्ध के कारण बाढ़ आई थी और इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम के निर्माण कार्य की लागत तथा बाढ़ नियंत्रण की लागत का 60 प्रतिव्यय वहन किया गया था परन्तु फिर इस निगम में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि निगम में पश्चिमी बंगाल का एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो राज्य का दृष्टिकोण पेश कर सके।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं महसूस करती हूँ कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के कुप्रभाव को दूर करने के लिए आगामी कुछ समय के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया गया था जब वहां पर लोकतन्त्र शान्ति तथा विधि व्यवस्था की स्थिति भंग हो चुकी थी। अतः मेरे विचार में वहां कम से कम 6 महीने तक राष्ट्रपति का शासन जारी रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर लोकप्रिय सरकार हो। परन्तु परिस्थितयाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग किसी प्रकार के स्थायित्व के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकें। लोग बाढ़ के कारण अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। पश्चिमी बंगाल को बाढ़ की ऐसी गम्भीर स्थिति का सामना है जोकि गत 50 वर्षों में कभी उत्पन्न नहीं हुई। अतः लोगों को इन कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार ने सहायता कार्यों तथा पुनर्वास कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपये की माँग की है। परन्तु यह कहते हुए मुझे खेद है कि अभी तक इस धन की मंजूरी नहीं दी गई है। मुझे विश्वास है कि इस धन की यथा सम्भव शीघ्र मंजूरी दी जायेगी क्योंकि सहायता कार्य तुरन्त करने की आवश्यकता है।

यह कहा गया है कि राज्यपाल के शासन के दौरान दस कारखाने खोले गये हैं। क्या मैं बता सकती हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान 200 से अधिक कारखाने बन्द हो गये थे। अनेक लोग बेरोजगार हो गये थे।

राष्ट्रपति के शासन के दौरान पश्चिमी बंगाल की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है और अभी कल ही छापे के दौरान बहुत सा गोला बारुद पकड़ा गया है। यह सभी हथियार समाज-विरोधी तत्वों के पास थे। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इन पर कभी छापा मारने का प्रयास नहीं किया था।

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने बताया है कि वह 8 करोड़ रुपये का ऋण जारी करने वाले हैं। मुझे आशा है कि ऋण की इस राशि को परियोजनाओं की क्रियान्विति तथा सड़कों आदि की मरम्मत के लिये प्रयोग किया जायेगा। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नदिया के घनी जनसंख्या वाले एक क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बोनगांव में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। यदि यह सच है तो हम इस बात में सहमत है कि यह एक खेदजनक मामला है। परन्तु हमें उनके अच्छे कार्य की सराहना भी करनी चाहिए जबकि 30 पाकिस्तानी घुसपैठिये नादिया में घुस आये थे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति के शासन की अवधि को और बढ़ा दिया जाना चाहिए और कि अगली सरकार बनाने में जल्दबाजी नहीं की जायेगी।

जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है 'तेन्नेस्स' घाटी विशेषज्ञ श्री बूरडयून ने कहा था कि 8 बांध बनाये जाने चाहिए परन्तु सरकार चार से अधिक नहीं बना सकी। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ का यह सबसे बड़ा कारण है। अतः अगली योजना में क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इन जलाशयों का कार्य शुरु किया जाना चाहिए। फरक्का परियोजना का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

कुछ शरणार्थियों को नादिया में बसाया गया है। परन्तु यहाँ पर प्रति वर्ष इतनी बाढ़ आती है कि उनके मकान नष्ट हो जाते हैं अतः मकानों के पुनर्निर्माण के लिए उन लोगों को ऋण लेना पड़ता है। सरकार को उन लोगों पर ऋण के भुगतान के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।

श्री पाशा भाई पटेल (बड़ोदा) : मेरा दल अर्थात स्वतन्त्रता पार्टी पश्चिमी बंगाल में शीघ्र चुनाव कराने के बिरुद्ध हैं। यह राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का समर्थन करता है अन्यथा वहाँ पर वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो विधान मण्डल भंग करने के समय थी। राज्य की स्थिति में स्थायित्व लाने के लिए राष्ट्रपति के शासन को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में उद्योगों की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। मैं जानता हूँ कि अनेक लोग अपने उद्योगों को कलकत्ता से बाहर देश के अन्य भागों में ले जाना चाहते हैं। जब तक पश्चिमी बंगाल में एक अच्छी तथा स्थिर सरकार नहीं बन जाती कलकत्ता देश का प्रथम नगर नहीं कहला सकेगा।

कुछ माननीय मित्रों ने हत्याओं का उल्लेख किया है। मैं तथ्य तथा आँकड़े जानना चाहूँगा। मैने नहीं सुना कि किसी उद्योगपति ने किसी मजदूर की हत्या की हो।

केन्द्रीय सरकार ने बिहार, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में शामिल होकर भारी भूल की है। मुझे आशा है कि कांग्रेस दल इन घटनाओं से सबक सीखेगा।

पश्चिमी बङ्गाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही ठीक है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने की मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूँ।

राष्ट्रपति शासन लागू होने से वहां पर कुछ स्थिरता आ गई है। यदि इसकी अवधि को कुछ और बढ़ा दिया जाये तो इससे स्थिति में कुछ और स्थिरता आ जायेगी और लोकतंत्रात्मक शक्तियों को काम करने का अवसर मिलेगा।

सरकार को दोनों साम्यवादी दलों पर रोक लगा देनी चाहिए। उनकी निष्ठा रूस के साथ है। अत: यदि सरकार अब इन पर रोक नहीं लगाती तो बाद में सरकार को पछताना पड़ेगा। सरकार को साहस से काम लेकर इन दोनों साम्यवादी दलों पर रोक लगा देनी चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : West Bengal is faced with a grave situation which has arisen due to heavy rains. Almost every year crops are destroyed in West Bengal due to floods and heavy rains. The Government should find out a permanent solution to this problem. Out of the 18 districts 14 districts are inundated and people are facing lot of hardships. We should help the people in all passible manner.

I fully support the resolution which seeks to extend the term of the President's rule in West Bengal for six months.

Law and Order situation has improved since the imposition of President's rule in West Bengal. During the period of United Front Government many untoward incidents such as Naxalbari happenings and gheraos were happening every day. Law and Order situation was deteriorated to such an extent that Government was forced to impose the President's rule there. Now the situation has improved and people are having a sigh of relief.

Elections should not be held in November as large number of people will not be able to exercise their franchise due to inundation. I would, therefore, request to reconsider this matter.

Unhealthy atmosphere of Calcutta should be wiped out and it should be converted into a beautiful city. More funds should be allotted to the Corporation if there is any dearth of money with the Corporation. The practice of pulling the rikshaws by individuals should be abolished.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : पश्चिमी बंगाल के लोगों को आज जीवन आवश्यकताएं अर्थात खाद्य, मकान और अनेक नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं। पश्चिमी बंगाल की समस्याएं आधिक हैं। परन्तु सर्वप्रथम मैं पश्चिमी बंगाल की बाढ़ की समस्या का उल्लेख करना चाहता हूँ। सहायता कार्य किया जा रहा है परन्तु मैंने राज्यपाल को बताया था कि वह कार्य संतोषजनक नहीं है। स्वयं राज्यपाल ने हाल में इस बात को स्वीकार किया है कि जो कुछ सहायता कार्य किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है। हमें बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सहायता कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपये की मांग की है। परन्तु बहुत थोड़े धन की मंजूरी दी गई है। अत: सहायता की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। लाखों लोग बेघर हो गये हैं उनकी सम्पत्तियां नष्ट हो गई हैं। अत: उनको पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

हम आरम्भ से ही यह कह रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव नवम्बर में नहीं बल्कि फरवरी में होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्यों कि अधिकांश जिलों में पानी भरा होगा और इस कारण अधिकांश मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अत: चुनाव आयोग को

फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय करना चाहिए। चुनाव के समय विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखा जाना चाहिए जिसमें कि लोग स्वतंत्रता से अपने मतों का प्रयोग कर सकें।

देश की अच्छी फसल को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में चावल को छोड़ कर गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्नों का राशन समाप्त कर दिया जाये। हरियाना और अन्य केन्द्रों में पर्याप्त गेहूँ पड़ा हुआ है। जहां तक चावल का प्रश्न है पता लगा है कि वसूली कार्य ठीक ढंग से चल रहा है परन्तु अन्य खाद्यान्नों में कुछ सुविधा दी जा सकती है।

गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या को बड़े, माध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करके ही हल किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि राज्य में पूंजी लगाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न किया जाये यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग राज्य के औद्योगीकरण में हाथ नहीं बंटाना चाहते तो राज्य सरकार को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। जहां तक सम्भव हो केन्द्रीय सरकार को इस कार्य में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। राज्य की आर्थिक समस्याओं का यह ही एक हल है।

यह बड़े खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार का औद्योगिक विकास मंत्रालय पश्चिमी बंगाल में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी आवेदन पत्रों के बारे में अच्छा खैया नहीं अपना रहा है। कई उद्योगपतियों द्वारा यह शिकायत की गई है। हल्दिया की स्कूटर तथा तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी परियोजनाओं को स्थगित किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में औद्योगीकरण की बहुत क्षमता है अतः इसका उचित ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिए।

बेरोजगारी के बारे में मेरा कहना है कि शिक्षा प्रणाली का सुधार किया जाना चाहिए। हाई स्कूल की शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को मेकेनिक, इन्जीनियर आदि बनने के लिए प्रोत्साहिन किया जाना चाहिए।

कलकत्ता में जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य संस्थाओं के मुख्यालय खोले जाने चाहिए। इन के मुख्यालय बम्बई अथवा दिल्ली में हैं। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इसको रोका जाना चाहिए।

ऐसा समाचार मिला है कि कलकत्त को अन्तर्राष्ट्रीय विमान मार्ग से पृथक किया जा रहा है और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने काठमण्डू से सीधे ढाका तक उड़ान भरने की अनुमति सरकार से माँगी है। सरकार को ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए क्यों कि एक तो इससे कलकत्ता का महत्व कम हो जायेगा और इससे जो विदेशी मुद्रा की कमाई होती है वह नहीं होगी। यदि पर्यटकों को कुछ कठिनाइयां महसूस हो रही है तो उनको दूर करने के लिए कलकत्ता में उचित परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं।

जहां तक दार्जिलिंग का सम्बन्ध है यह एक अच्छा पर्यटक केन्द्र है। वहां लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को वहां जाने में कोई कठिनाई न हो।

कलकत्ता की समस्याओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक वाणिज्यिक केन्द्र है। यहां से चाय तथा पटसन का निर्यात होता है। चौथी पचंवर्षीय योजना में कलकत्ता के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की राशि रखी जानी चाहिए जिससे कि नगर की विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सके। हुगली पर एक अन्य पुल बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। लोगों

को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। हम कलकत्ता में गैर कांग्रेसी तथा-गैर साम्यवादी सरकार चाहते हैं।

स्कूलों और कालेजों में दाखिला लेना मुश्किल है। इस समस्या को हल किया जाना चाहिए।

Shri Sheo Narain (Basti) : It is not possible to hold elections in West Bengal in November, because most of the areas will be inundated. People will not be able to cast their votes. I honestly feel that elections should not be held before February. Till then the term of the President's rule should be extended.

It is very essential to complete the Farrakka Barrage to save to this Calcutta Port, Government should complete this project quickly.

Floods have affected the large portions of the population including Harijans in West Bengal. I know the conditions of the poor Harijans and semi-starved farmers of the State. I would request the Government to help the poor people of the State in all possible manner.

Due to gheraos and strikes during the United Front's Government time a large number of factories have closed down. Several big factories are thinking of shifting outside Calcutta.

President's rule should not be extended beyond February. A Stable Government should be formed after the elections.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण): कलकत्ता में अभतपूर्व बाढ़ आई है जिससे लगभग एक करोड़ लोग प्रभावित हुए है। इस बात को राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। इस बात को देखते हुए यह हास्यास्पद लगता है कि राज्य सरकार ने सहायता कार्यों पर केवल चार करोड़ रुपये व्यय किये है।

हम जानते हैं कि राज्य सरकार के साधन बहुत सीमित है। अतः वहां चाहे कोई भी सरकार हो उसके लिए अपने साधनों से इस गम्भीर समस्या से निपटना आसान नहीं है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की अधिक धन से सहायता करनी चाहिए।

हमें आशा दिलाई गई है कि विशेषज्ञों का एक दल स्थिति का अनुमान लगाने के लिए शीघ्र वहां भेजा जा रहा है। परन्तु मेरा कहना है कि इस ओर तुरन्त उपाय किये जाने चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों के गरीब किसानों से बकाया राशियों की वसूली स्थगित की जानी चाहिए। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार जोतदारों से भूराजस्व की वसूली स्थगित करने पर विचार कर रही है। मेरा सुझाव है कि संसद के अधिवेशन के समाप्त होने पर एक अध्यादेश जारी किया जाये जिसके अन्तर्गत जोतदारों साहूकारों आदि लोगों को आदेश दिया जाये कि वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसानों से जमीन का किराया अथवा ऋण वसूल न करें।

सभी सरकारी सहायता स्थानीय लोकप्रिय निर्वाचित समितियों द्वारा बांटी जानी चाहिए न कि कांग्रस दल के माध्यम से।

पश्चिमी बंगाल के लोग निश्चय ही डा० पी० सी० घोष के मंत्रालय को समाप्त कर कुछ समय के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन चाहती थी। अतः डा० घोष का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया परन्तु इससे वास्तव में कांग्रेस, पुलिस तथा समाज-विरोधी तत्वों को लाभ हुआ है। इस समय कांग्रेस को पश्चिम बंगाल का अधिक समर्थन नहीं मिल रहा है। अतः वह अनेक स्थानों पर आतंक फैलाने के लिए समाजविरोधी तत्वों गुन्डों, माल डिब्बे तोड़ने वालों को संगठित कर रहे हैं। डा० धर्मवीर ने

कांग्रेस विरोधी तत्वों से निपटने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उज्जल राय नामक एक व्यक्ति को, जो कि कांग्रेस विरोधी है परन्तु किसी अन्य राजनैतिक दल से संलग्न नहीं है, गुन्डों द्वारा एक सुबह मारपीट की गई और बाद में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया वहां पर भी पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा बहुत मारपीट की गई। उसकी मां सूचना मिलने पर जब वहां गई तो उसकी भी मारपीट की गई और उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। इस घटना की सूचना पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों को दी गई परन्तु कोई जांच नहीं की गई है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सम्मान को पुलिस के हाथों में गिरवी रख दिया गया है। रबिन बोस को, जो कि एक युवा व्यक्ति थे और जिसने कांग्रेसी नेताओं के कहने सुनने पर भी कांग्रेस में शामिल होने से इन्कार कर दिया था, 25 मई को दिन दहाड़े पांच आदिमियों द्वारा जान से मार दिया गया। ये पांच आदमी आज भी आजाद फिर रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को उसी तरह मारने की धमकी देते फिरते हैं। इसी प्रकार दीपक चौधरी नामक युवक ने जब कांग्रेस में शामिल होने से इन्कार कर दिया तो उसे रात में पुलिस स्टेशन ले जाकर बुरी तरह मारापीटा गया, यहां तक कि उसके बूढ़े मां-बापके साथ तक बुरा बर्ताव किया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में पुलिस वालों ने एक उप सहायक इन्जीनियर को, जो सरकारी काम से कहीं गया था, बुरी तरह पीटा। यह केवल इसलिये हुआ कि उक्त सहायक इन्जीनियर ने किसी पुलिस अधिकारी के रिश्तेदारों से, जिन्होंने बेहला सरकार आवास बस्ती के कई फ्लैटों पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा था, इक्जिक्यूटिव इन्जीनियर के आदेशानुसार मकान खाली करवाने चाहे थे। इस तरह एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं घटी हैं और अब भी घट रही हैं जहां बेकसूर व्यक्तियों पर पुलिस ज्यादतियां कर रही है और राजनैतिक विरोधियों को हर प्रकार तंग किया जा रहा है। पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है वह अपनी मनमानी चला रही है और राज्य में भय, आतंक का वातावरण बनाये हुए है। वहां वास्तव में पुलिस राज्य कायम हो गया है जिसे यथा शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए और पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जाँच की जानी चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि): माननीय सदस्य सभा में गलत बातें कह रहे हैं। वस्तुतः वे सारी बाते जाधवपुर विश्वविद्यालय में हुई थीं।

श्री जे०कृ० दासचौधरी (कूच बिहार): अधिकतर माननीय सदस्यों ने यही तर्क दिया है कि पश्चिम बंगाल में नवम्बर में चुनाव करने वहां के सभी लोग मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि उस समय कई क्षेत्रों में पानी भरा रहता है। चुनाव चाहे जब भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इस पहलू पर भी विचार करना है कि वहां की स्थिति किस ओर जा रही है और राष्ट्रपति के शासन का क्या प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की समूची स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। नौकरशाही तथा पुलिस जो चाहे कर रहे हैं, आम आदमी दुःखी है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में मैं अपने ही क्षेत्र की 23 मार्च की एक घटना का उदाहरण देना चाहूँगा।

कूच बिहार के बीच में कदमतला नामक एक जगह है जहां भूमि के एक प्लॉट पर कब्जे के बारे में कोई विवाद था। इस भूमि पर 17 अथवा 18 वर्षों से एक व्यक्ति का कब्जा चला आ रहा था। 23 मार्च को स्थानीय डिप्टी कमिश्नर, डी० एस० पी० तथा अन्य अधिकारियों ने

आपस में साजिश की और उस व्यक्ति के, जिसके कब्जे में यह विशेष प्लॉट था, मकान आदि को तोड़-गिरा दिया जिससे 17000 या 18000 रुपये का नुकसान हो गया। जब इस कार्यवाही को चुनौती दी गई क्या किसी न्यायालय ने उस व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश जारी किया था, तो पता लगा कि उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज ही नहीं था। इस प्रकार वहां अधिकारी यह समझ रहे हैं कि जो कुछ भी है वे ही हैं और वे जो चाहे कर सकते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैने इस मामले को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजा। लेकिन पता चला है कि वह अभी तक रिपोर्ट का ही इन्तजार कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रशासन से लोग क्या आशा कर सकते हैं ?

2 जून, 1968 को मेरे जिले दिनहाटा सब डिवीजन के कुछ लोगों ने गृह-कार्य मन्त्री, श्री यशवन्तराव चह्वाण को एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में यह बताया गया था कि इस सब डिवीजन में स्थानीय अधिकारी तस्कर व्यापारियों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ किस तरह साजिश कर रहे हैं। इस बारे में जांच की जानी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

बंगला दैनिक बसुमति, में 26 जून 1968 को एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि 3 व्यक्ति भूख से मरे हैं, और अन्य समाचारों से पता चला है कि कूच-बिहार जिले में भूख से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं। स्थिति ऐसी है कि 80 प्रतिशत ग्रामवासियों के पास खाद्यपदार्थ खरीदने के लिये पैसा नहीं है। वहां लोगों की क्रय शक्ति घट गई है। सरकार केवल 6,02,144 व्यक्तियों के लिये राशन की सप्लाई कर रही है और शेष 1,68,069 लोगों के लिये कोई राशन नहीं भेज रही है।

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, in the course of discussion, much has been said about what should be the policy for the next mid-term poll in West Bengal. There are people who want that these elections should not be held in November 1968, because the people in West Bengal will not be able to vote in November, as most of the areas are under water during this period. There are water-logged areas. So these elections should be held in February, 1969 and not in November 1968. What I feel is the grounds and arguments advanced by them are not cogent and all this is only an excuse for getting the elections post-poned. The supporters of this view are people who are not sure of their success in these elections. But the Congress Party must understand that it is not going to succeed in the elections, whether they are held in November or February. They are certainly to suffer debacle.

It has been said that the situation in West Bengal has improved under the President's rule. But no body quoted any instance in support of his statement. The position is certainly otherwise. So far as the question of law and order is concerned, the situation has in fact worsened. There has been a marked increase in crimes and cases of dacoity, loot and murder have gone up. The police is harassing innocent people. The Law and order situation has considerably deteriorated there.

As regards the food situation in the state, the prices of foodgrains have shot up. Rice is not available at less than Rs. 2.50 per kilo. The villagers have no money to purchase their foodstuffs and the average income of the individual has gone down. The purchasing power of the people of the state in general has come down. The President's rule has in fact brought nothing to the state. It has rather suffered during this rule.

Today West Bengal is faced with a number of problems, the important of which is the devastation caused by floods. The relief measures taken in the flood effected areas are not satisfactory. Officers are not taking any interest in the relief work. This is really a sorry state of affairs. The Central Government are not paying due attention to the problems of the state. It is being discriminated against in all the matters. There is a proposal to shift the Central Government offices from Calcutta. We oppose the proposed step. I strongly support the amendment moved by my hon. friend S. M. Banerjee so far as question of the mid-term poll in the state is concerned, the elections must be held in or by the end of November, 1968.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur : Sir, according to latest official reports, an area of 16.6 lakh hectacres including cropped area of 13.6 lakh hectacres was affected in West Bengal and the damage to crops is Rs. 48.6 crores. There has been an unprecedented flood havoc in the state which has created a grave situation there. It has affected millions of people, hundreds of houses have collapsed and thousands of people have become homeless. There is immense loss of life and property all round. But the Government of West Bengal who had requested for a ways and means advance of Rs. 2 crores have been advanced a sum of Rs. 1 crore to keep the State Government in funds. But keeping in view the problems the West Bengal Government is faced with today, the Central Government should grant more funds for the purpose of relief.

Calcutta is a national city. It is necessary to develop and protect this city on national basis. It is a matter of satisfaction that Farakkha dam which is being put up, would give protection to Calcutta from floods. Steps should be taken to see that the work of this dam is expedited.

The need of the hour is to undertake constructive works. It does not matter whether elections are held in November, 1968 or February, 1969. The grave situation created by floods in West Bengal should be tackled as a national problem. We should all combine together and face it jointly.

***श्री मजहरि महतो** (पुरुलिया): सम्पूर्ण बंगाल राज्य सूखा, तथा बाढ़ से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में यह ठीक नहीं होगा कि राज्यपाल के शासन की अवधि को बढ़ाया जाय, क्योंकि राज्यपाल के शासन काल में जनता की परेशानियाँ बहुत बढ़ी हैं। वे हमेशा नौकरशाही अफसरों के शिकार रहे हैं। नौकरशाही अफसरों की उनके प्रति उदासीनता व निर्दयता पूर्ण व्यवहार के कारण जनता के दुख और भी बढ़ गए हैं।

नौकरशाही लोग जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते 'मुक्ति' समाचार पत्रिका में लिखा है-कि भारी वर्षा के कारण दामोदर और अटला नदियों में बाढ़ आने से पुरुलिया के समस्त गाँव डूब गए और काफी नुकसान हुआ परन्तु सरकारी सूचना में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया।

पुरुलिया के लोगों के इस दुःख के प्रति सरकारी व्यवस्था का उदासीन रहना बड़ी शर्म की बात है। सरकारी अधिकारियों ने केन्द्र को भी इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचना नहीं दी है। अपितु बंगाल के 14 जिलों में बाढ़ आने के बारे में कहा गया, पता नहीं पुरुलिया में आई बाढ़ के बारे में सरकारी अधिकारी चुप क्यों हैं? कांग्रेस के 20-22 वर्षों के शासन काल में इस जिले का शोषण होता रहा और वही बात राज्यपाल के शासन काल में भी हो रही है।

*मूल बंगला के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित

From English translation of the speech delivered in Bengali

मैंने अपनी आँखों से पुरुलिया जिले के बाढ़ से प्रभावित लोगों के दुःखों को देखा है। वहाँ सहत कार्य की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुरुलिया जिला के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण कई वर्षों से रहा है। वहां के गरीब किसानों और मजदूरों का मुनाफाखोर, पूंजीवादी, महाजन आदि द्वारा शोषण किया जाता रहा है। राज्यपाल के शासन का दुरुपयोग इस प्रकार किया जा रहा है।

कुछ लोगों की यह मांग है कि मध्यावधि चुनाव स्थगित किए जाएँ और पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल के शासन काल को बढ़ाया जाय परन्तु वास्तव में वे उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। सरकार की समस्त मशीनरी लोगों पर हर तरह की मुसीबतें ला रही हैं। अगर सरकार को यहां के जनता के प्रति हमदर्दी है तो चुनाव नवम्बर के महीने में अवश्य होने चाहिए, ताकि सर्वप्रिय सरकार को कार्य करने को मौका मिल सके और जनता के मन में राज्यपाल के शासन का जो भय समाया हुआ है उसे दूर किया जा सके। मेरी प्रार्थना यह है कि राज्यपाल के शासन को शीघ्र समाप्त किया जाये।

सयुंक्त मोर्चा सरकार ने लोगों के दिलों में उच्च आशाओं का संचार किया था परन्तु उस पर अकर्मण्यता, अकुशलता आदि के अभियोग लगाये गए, परन्तु एक सरकार नौ महीने में कर ही क्या सकती है? कांग्रेस ने 20 वर्षों तक राज्य किया, अपने इस शासन काल में उसने क्या किया?

मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ जो यह कहते हैं कि बंगाल केवल भारतीय पुनरुत्थान की अपितु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की भी जन्मभूमि रही है। यह कहते हुए दुःख होता है कि कांग्रेस र ज्य के 20-22 वर्षों के शासन काल ने उन महान लोगों की आशाओं व आदर्शों को आघात पहुँचाया है जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। यह भी शर्म की बात है कि जिस बंगाली भाषा में मैं बोल रहा हूँ, उसका लेखाबद्ध नहीं किया जायेगा। मेरी प्रार्थना है कि सब भाषाओं को समान दर्जा दिया जाये। नहीं तो प्रजातंत्र, समानता आदि का क्या महत्व है?

अन्त में मैं फिर से कहूँगा कि गवर्नर का राज्य काल पश्चिमी बंगाल में न बढ़ाया जाय और इसको शीघ्र समाप्त किया जाय जिससे लोगों की परेशानियाँ दूर हो सकें। चुनाव अवश्य ही नवम्बर में कराये जायें जिससे लोगों को अपनी सरकार का चुनाव करने का मौका मिल सके।

श्री ज्योतिर्मय वसु : जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस सभी मामलों में राजनीतिक चाल चल रही हैं। वे बंगाल में बढ़ी हुई कीमतों के लिये जिम्मेवार हैं। वहां एक किलो चावल का मूल्य तीन रूपया है। यदि आप सीमा पार कर उड़ीसा या बिहार जायें तो आपको चावल का मूल्य इससे आधा मिलेगा।

पुरुलिया जिले में भूख से दो व्यक्ति मरे। सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी। जिन व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें छोड़ा जाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस मामले में कांग्रेस, पुलिस और असामाजिक तत्वों में साठगांठ है। आसनसोल की रत्निबाली कोयला खानों के मालिक

आगरा, चम्बल घाटी और अन्य स्थानों से भूतपूर्व अपराधियों को बुलाकर श्रमिकों को डरा धमका रहे हैं। इसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई है।

जो लोग कांग्रेस शासन का विरोध करते हैं पुलिस उन पर जुल्म करती है।

बेकारी में बहुत वृद्धि हुई है। 1956 से, जब कांग्रेस शक्ति में थी, औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े लोगों से मिलकर माल डिब्बे और रेलवे का बहुत सारा सामान बनाने का कार्य रोक दिया है। इस प्रकार से उन्होने बेकारी की समस्या उत्पन्न की है।

कांग्रेस के ही शासन काल में जीवन बीमा निगम की आय पूर्वी क्षेत्र बंगाल और आसाम से बहुत सा व्यापार प्राप्त किया लेकिन सब धन अहमदाबाद सूती कपड़ा मिलों को सौंप दिया गया। ब्रिटेन ने दुर्गापुर प्लान्ट का विस्तार करने के लिये 670 लाख पौंड के ऋण का प्रस्ताव रखा था। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो नौकरी के अवसर उत्पन्न हो जाते। लेकिन उस धन को कहीं और भेजा गया।

स्वचालित मशीनों के चालू करने से बेकारी बढ़ेगी। इसके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है फिर भी जीवन बीमा निगम स्वचलित मशीनों को चालू करने पर जोर दे रहा है।

कलकत्ते के विकास के लिये 200 करोड़ रुपये रखे गये थे। लेकिन उस परियोजना को समाप्त कर दिया गया है।

चुनाव के लिये और समय की मांग की जा रही है। चुनाव नवम्बर में किये जाने चाहिये।

पश्चिमी बंगाल के बड़े सिविल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अव्यवस्था और शक्ति का दुरूपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस बारे में गृह-कार्य मन्त्री को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

पी० सी० एस अधिकारियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां मुख्य सचिव और उनके समर्थकों का शासन है। वे वरिष्ठ और अच्छे डिप्टी मजिस्ट्रेटों के दावो को अस्वीकार करने में भाई भतीजे वाद का प्रयोग कर रहे हैं।

पिछले 20 वर्षों में उन्होने पश्चिमी बंगाल को तबाह कर दिया है।

श्री त्रिविव कुमार चौधरी : (बरहामपुर) केन्द्र ने पश्चिमी बंगाल राज्य की उपेक्षा की है। राज्य में बाढ़ आने से भी बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है। अभी हम कठिनाई से नहीं निकले हैं।

यद्यपि मंत्रणा समिति को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं फिर भी वह कभी कभी प्रशासनिक, और छोटी मोटी समस्याओं पर चर्चा करती है।

कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 वर्षो में कोई काम नहीं किया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी त्रुटियां की हैं लेकिन उसने सबको एक करने का प्रयास किया।

यदि राष्ट्रपति के शासन की अवधि को छः महीने के लिये बढ़ा दिया जाता है तो मंत्रणा समिति केवल चुनाव के ही बारे में चर्चा करेगी प्रशासन की समस्या के बारे में नहीं।

सरकार कहती है कि कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है। अभी कुछ ही सप्ताह पूर्व कलकत्ते के बीचो बीच पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में एक डकैती पड़ी थी और 4 डाक खाने की नकदी लूट ली गई थी। ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। कुछ महीने पूर्व कलकत्ता और मुरशिदाबाद को जोड़ने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को दिन दहाड़े लूटा गया था। इन मामलों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या किया ? इस बारे में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

राज्य में खाद्य तथा बेकारी समस्या भी विद्यमान है। यदि इन मामलों पर किसी प्रकार चर्चा की जा सके, चाहे वह चर्चा किसी गोष्ठी की शकल में की जा सके, क्योंकि इन मामलों पर हम रोज सभा में चर्चा नहीं कर सकते तो इन समस्याओं के हल करने में सहायता मिलेगी।

चुनाव यथा शीघ्र किये जाने चाहिये। इस बीच इन समस्याओं को हल करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Vast areas of Mindnapur are under water and the schools have been flooded. May I know from the Government what steps they are taking to provide financial assistance to those schools ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : हम चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में लोकतन्त्रात्मक शासन यथाशीघ्र लागू किया जाये।

पश्चिमी बंगाल में प्रशासन ने जो भी कार्य किया है वह निष्पक्षता पूर्ण किया है। जहां तक राज्य में सरकार के कार्य का सम्बन्ध है, वहां राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यह सम्भव है कि अधिकारियों ने कुछ त्रुटियां की हों। लेकिन हम राज्य के प्रशासन में सुधार करने में सफल हुए हैं।

पश्चिमी बंगाल में आई बाढ़ के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया है। हम सब सुझावों पर ध्यान देंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि इस मामले में यह सुधार किये जा सकें। हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि राज्य को यथा सम्भव सहायता दी जानी चाहिये।

मध्यावधि चुनावों का भी उल्लेख किया गया है। चुनावों की तारीख मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग निश्चित करता है और हमने इनसे यह अनुरोध किया है कि वह यथाशीघ्र चुनाव की तारीख निश्चित करें। मुख्य चुनाव आयुक्त कलकत्ता गये थे और उन्होंने मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर चुनाव के लिए नवम्बर में कोई तारीख निश्चित करने को कहा है। वे तारीखों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दुबारा मिलकर अन्तिम तारीख निश्चित कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने अपने संशोधनों में राष्ट्रपति शासन का केवल तीन महीने के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया है। हम राष्ट्रपति के शासन को पूरे छः महीने की अवधि तक बढ़ाना नहीं चाहते। यदि चुनाव नवम्बर में हो जाते हैं और पश्चिमी बंगाल में सरकार बन जाती है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा को तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

कलकत्ते को बहुत सी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे समस्याएं न तो पूरे तौर से स्थानीय प्रशासन के अन्तर्गत आती है और न ही राज्य सरकार के अन्तर्गत आती हैं। इन मामलों में कलकत्ते के साथ भी वही नीति अपनाई जायेगी जो अन्य राज्यों के साथ अपनाई जायेगी। हम ऐसे उपाय नहीं काम में लाना नहीं चाहते जिनसे आनेवाली सरकार पर वित्तीय भार पड़े। लेकिन जहां धनराशि स्वीकृत कर ली गई है वहां इस बात का कोई विवाद नहीं है। जहां निर्धारित समय के अनुसार कार्य चल रहा है वहां हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि कार्य शीघ्रता से निर्धारित समय के अनुसार समाप्त किया जाये।

जहाँ तक बेकारी का प्रश्न है, राष्ट्रपति का शासन जब लागू हुआ तो पश्चिमी बंगाल में 44,372 कर्मचारी बन्द, हड़ताली आदि में लगे हुए थे। लेकिन अब उनकी संख्या केवल 20,473 है। हम इससे पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि देश में कोई भी बेकार नहीं रहे।

यह हो सकता है कि इस समस्या को हल करने में कुछ समय लग जाये।

हमने बन्द उद्योगों का फिर से चालू करने के लिये एक सर्वेक्षण दल की नियुक्ति की है। इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक औद्योगिक यूनिट काम करने लगेंगे।

पुलिस की ज्यादतियों का भी उल्लेख किया गया है। यह सम्भव है कि पुलिस ने कहीं बुरा व्यवहार किया हो लेकिन हम ऐसे मामलों में कार्यवाही करेंगे ताकि ऐसे मामले फिर से उत्पन्न न हों।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है और अपराधों की संख्या बृद्धि हुई है। केवल दो अपराध शीर्षकों के अतिरिक्त अन्य सभी शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में कमी हुई है। उन दो शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में भी मामूली सी वृद्धि हुई है।

जहाँ तक भूख से मरने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात् कुछ लोगों पर नई राशन योजना लागू की गई है। हमने राशन में चावल की मात्रा में भी वृद्धि की है।

देश में उपलब्ध स्त्रोतो का प्रयोग किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच करने से पता लगा है कि भूख के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य विशेष मामलों के बारे में बतायेंगे तो हम उनके बारे में जाँच करेंगे और यदि उन्हें सच पाया गया तो हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक सतर्कता के मामलों का सम्बन्ध है जहाँ भी सतर्कता आयुक्त ने आरोप लगाये और विभागीय जांच की सिफारिश की है, वहां कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। मैं सभा को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का संदेह होगा, छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने परामर्शदाता समिति की बैठक का उल्लेख किया है। हम यथा सम्भव शीघ्र उसकी बैठक बुलाना चाहते हैं। संसद का सत्र समाप्त होने के पश्चात् एक अथवा दो सप्ताह के अन्दर हम बैठक बुलायेंगे। कोई माननीय सदस्य यदि वे समिति के भी सदस्य हों समिति के समक्ष कोई मामला लाना चाहें, तो ला सकते हैं। मैं सभा से सिफारिश करूंगा कि यह संकल्प पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को, 22 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरन्तर लागू रखने का अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Sir, I beg to move that the Bill to transfer the powers of legislation of Bihar Legislative Assembly to the President, as passed by Rajya Sabha, be considered.

As the House is aware, the Advisory Committee should have been constituted to advise the President on such laws, as ought to be enacted for the State. We have, however, started a new practice according to which the Committee can also discuss other matters. The Committee will be composed of representatives of all the political parties.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए। Mr. SPEAKER *in the Chair*]

We do not want to continue the Presidential rule in the State for a very long period and we have already written to the Election Commission to fix the dates of elections as soon as possible, I hope that the dates will be fixed soon after consultation with different political parties. I hope the House will unanimously pass this Bill.

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : Mr. Speaker, Sir, with the imposition of President's rule in Bihar, law and order situation has deteriorated. The cases of abduction and rape are on the increase and the worst part of it is that the police personnel have a hand in such cases.

Most of the school buildings are in a dilipidated condition. Of every three schools, two have no building at all and the students have to sit in the open. We hope that provision will be made for buildings for all the schools before the elections take place in the State.

The applications of about ten thousand teachers are pending in the employment exchanges. A very large number of trained teachers in the State are unemployed. It is because of the failure of the Planning Commission to meet the situation due to difference of opinion in regard to the representation of various political parties in the Committee. There is a great demand for teachers in the schools in the State and, therefore, the matter needs to be expedited.

A University should be set up in Mithila area and a Medical College should be established as soon as possible. These matters have been pending for a very long time.

The crops have failed in our area. Recovery of loans from such farmers, whose crops have been damaged should be suspended till the rice crop is reaped. Otherwise the farmers will feel desperate.

The State road transport needs to be improved. The buses in the State are very old and they are not road worthy. Immediate attention should be paid to this matter by the Government.

The previous Government of the State as well as the present Government has done nothing in the matter of electrification of villages. The condition of the agriculturist can not be improved unless and until the villages are electrified. Agriculture, which is the backbone of the economy of the State cannot be developed till the electricity is made available to agriculturists. Therefore, electricity should be provided to the farmers at the earliest.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Speaker, Sir, the people of Bihar have welcomed the President's rule in the State. The law and order situation had greatly deteriorated during the rule of previous Government. It has now improved to a great extent and the people have heaved a sigh of relief.

Sir, you are well aware of the transport problems of the State. The river Ganga has divided Bihar in two parts and people have to face great difficulty in going from one area to the other. A few bridges have been built on the river at various points but there is no bridge at Patna, which is the Capital of the State. A bridge should be built over the river Ganga at Patna.

The non-Gazetted Government employees of the State had gone on strike on the question of a raise in salaries and dearness allowance. The strike has been called off. The arrested employees should be released now and mercy should be shown to the temporary employees and their services should not be terminated.

It is true that the loans have to be realised from the agriculturists but at the same time the Government should ensure that they are not harassed. Only so much recovery should be made as they are in a position to pay.

There used to be Development Committees in every district. Those Committees have now been disbanded. The Home Minister should see that Development Committees are set up in every district. The educational institutions should be run properly and discipline should be inculcated amongst the students. The Government should also ensure that the teachers are paid their salaries regularly. They have not been paid salaries for three months.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The Bill is intended to delegate the legislative powers in regard to Bihar to the President, which, in effect, means that the power will be exercised by the Congress Government at the Centre, which is mainly responsible for bringing about the present state of affairs in the State.

The problem of irrigation is the biggest problem of the State of Bihar. Major dams for irrigation had been constructed in the State but the draught during last two years has proved that they are of no avail to the State. The previous United Front Government had started some small irrigation schemes which had provided much relief to the people. Those schemes should be continued.

Katoria Police Station in Southern part of Bhagalpur district and Deoghar in Santhal Parganas are perpetually famine-stricken. It is a hilly tract and, therefore, canals and tube-wells cannot be built there. The previous Government had a scheme, called Darbhasan Scheme, to construct dams which will cost Rs. 5 to 7 lakhs. But that scheme is lying in cold storage. It should be taken up immediately.

A dam should be constructed on river Punakshi. It will be very useful to the tribal people of Santhal Parganas. The survey has already been made. Government should expedite it. No benefit accrues to Santhal Pargana or Bihar from Bhainojor dam.

Electricity is greatly needed in the rural areas of the State for agricultural purposes. More and more connections should be given to the agriculturists. Cottage industries can also be set up in the rural areas if electricity is made available there. It will provide employment to a large number of people. The rate of electricity should also be fair.

The roads in the State are in a very bad condition and need repairs. The Minister should pay attention to this question. Medical facilities are also lacking and people cannot get medicine in time.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The Bill to vest in the President the powers of Bihar Legislature is being considered in the House. It is, therefore, incumbent for us to draw the attention of the Minister to important matters concerning the State. It is not correct to say that the Law and Order situation has improved in the State after the imposition of President's rule there. As a matter of fact, the situation has worsened. Worse still is the fact that the police itself indulges in violance although it is supposed to maintain law and order in the State.

The students of Tibbia College and Ayurvedic College of Patna are on strike. Certain arrests have been made in connection therewith and the persons arrested have been kept in 'C' class in the jail although they are graduates.

A gang of 10 to 12 dacoits is active in Bihar. Daily there are cases of thefts and dacoities but the police does not take any action. One Shri Vishwanath Singh of Chhapra has been murdered. A judicial enquiry should be held in this matter.

A seven member Committee has been set up to reform the system of education and improve the Universities. No member of the committee is an educationist. It is very strange. How can such people be expected to perform the job assigned to them.

Vindictive attitude is being adopted with regard to government employees. The Government has not withdrawn the cases against them. Their pay for five days has been deducted. It is not fair. The amount should be paid to them. The Chief Secretary should be removed from his post. He is responsible for everything happening there..

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : The member, who spoke just before me, has referred to absence of law and order in the State of Bihar. During the Samyukta Vidhayak Dal rule in Bihar there was no law and order in the State. Now the things have much improved.

Two year's draught has broken the backbone of agriculturists and there condition is very pitiable. They are even now not in a position to repay the Government loans. At least the interest due from them should be remitted. A date should be fixed and no interests should be charged from persons who pay their loans by that date. It will not only provide relief to the agriculturists but the Government will also have a good recovery.

Shri Mohammad Ismail (Barackpur) : The hon. Minister has admitted that Bihar is a backward state and that very assistance has been given to the state by the Centre. It is a matter of regret that enough money has not been allotted to the State for development purposes. There are a large number of coal mines in the State but the labourers have been deprived of the right to form trade unions. Whenever any application is made for the registration of a trade union, it is kept pending for a long time and ultimately recognition is given to that union which is liked by the Government.

The situation in Jharia area is very bad. One feels that no Government exists here. The coal owners of this area have engaged goondas to suppress the labourers. The police takes no action against those people.

I recently visited Ranchi and wanted to hold a meeting of the workers but the police officers refused permissions for the purpose. It is very unfair. The police interferes with trade union activities in this manner.

The Government employees had launched an agitation and during their agitation some employees were suspended. Now the strike has been called off but the suspension orders have not been withdrawn, although such an assurance was given.

Enhanced D. A. sanctioned for the teachers. The salary of the primary teachers is very low. They have now been asked to deposit that D.A. in the National Savings.

Exploitation is going on among the backward classes. The land of the Tribal people have been taken. They want that their land should be returned.

There is a question of employment of persons in the newly opened factories. They want that the people from that locality should only be employed.

An agitation of farmers is going on in Purlia. They are being arrested.

Feeling of castism is gaining ground. This disease is every where whether it is Administration or Police Department. Only the people of the caste of the employer's are appointed. There is no check upon it.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : It has been said that there is no law and order in Bihar. A person was murdered and the enquiry is going on into the matter. The officers reported to be connected with the case should immediately be transferred.

Examinations are not properly held. There are reports of not only beating invigilator's but to teachers also.

In order to gain popularity the Minisier of forest in the S.V.D. Government has withdrawn all restrictions from the forests where afforestation has taken place five years ago. As a result of it all forest property is being taken away by the people. This should be stopped.

There is no doubt that Agriculture Department has done some good work. But still there are some important complaints regarding late supply of seeds. Efforts should be made that such thing may not be repeated at the time of next Rabi Crops.

It is a matter of pleasure that the S.V.D. Government have installed tubewells in very large numbers.

No action has been taken in connection with reformation.

Since the mid term elections are fast approaching it is necessary that the enquiry going against some of the ministers should be concluded as early as possible so that they may take part in the elections.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I oppose this Bill because in clause 3 (1) of the Bill it is stated that :

"The power of the Legislature of the state of Bihar to make laws, which has been declared by the Proclamation to be exerciseable by or under the authority of Parliament, is hereby conferred on the President".

The power of making laws vested in the Parliament. This power should not be conferred on the President.

The powers given to the Committee have not been cleared. The Minister should tell the House about the powers of the committee sought to be formed under clause 3 (2).

The 25 percent subsidy given to the tubewells and purchasing agricultural implements has been withdrawn after the introduction of President's Rule. This concession should be restored.

So far as the question of recovering loan is concerned, interest should not be recovered from the farmers because after the recent floods they have nothing left to pay.

The non-Gazetted employees who have withdrawn their strike on the assurances given by the Home Minister, are being victimised. This should be stopped.

After the President's Rule there have been increase in the number of crimes.

Money lenders are harrasing the Adivasis. There is a great tension among them.

The S.V.D. Government had abolished land revenue. The land revenue has again been reimposed. A Bill to abolish land revenue should be brought.

The Present Bill which takes away the powers of the Parliament, should be withdrawn.

Shri Bhola Raut (Begaha) The people of Bihar are very happy with the imposition of President's Rule. The position of law and order during the time of S.V.D. was very bad. The S.V.D. Government put pressure on the public in case they want to arrest the culprits.

I have written to the Governor regarding the grievances of the teachers of the Education Department. The Minister should look into the matter.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Some Hon. Members have raised local issues. In these matters we should consult the State Officials.

So far as the other administrative problems are concerned, we do not want to start such schemes which may put heavy financial burden on the Government. We want that some positive programmes of public good and public welfare are pursued expeditiously. The suggestions given by the hon. Members should be considered within the frame work of that policy.

Some Members have opposed the Bill because the powers to make laws have been conferred on the President. The procedure of delegation of powers has been pursued for the last 20 years and it has worked satisfactorily. Complaints of misusing these powers have not received. If we will find some defect in the procedure we are prepared to change it.

A consultative committee is being constituted. We try to work in consultation with the committee. So for as the exception to this rule is concerned, this provision that the President can enact any Act without consulting the committee is meant to meet an emergency.

This is not our intention to enact the laws without consulting the Committee.

Reference has also been made with regard to interest charged on the loans given to the farmers. The matter will be looked into and whatever possible may be done.

The question of Advasis has also been raised. The officials have been asked to look into the matter. Government has no intention to interfere in the matter. The officiers responsible for corruption will be punished.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

Clause 3.

श्री विभूति मिश्र (मोती हारी) : मैं संशोधन संख्या 1 से 6 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

अब जो सदस्य इस विषय पर नहीं बोले हैं वे प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Advasis are being converted by under allurement or pressure. The Government should look into the matter and the conversion of religion should be stopped.

Shri K. M. Madhukar (Kasaria) : There is no arrangement of fodder for the cattle and the medicine for the people affected by the flood in Champaran District. There is no proper arrangement for ration shops also. Whether some arrangement is going to be made for these things ?

Secondly, only Administrative Officers have been included in the Raman Commission. Whether Government will include educationists also in Raman Commission.

Shri P. G. Sen (Purnea) : Harijans and backward classes have been deprived of their right to sell their lands. If they want to get some money from the Land Mortgage Banks by mortgaging their lands. The bank want prior permission of the Government to do so. They should be given the right of mortgaging by passing an Ordinance. So that they may be able to purchase tractors and implements.

Road Cess is deposited in the treasury. A sum of Rs. 15 to 20 lakhs belonging to Purnea District Board on that account is lying with the Bihar Government and the District Board is not in a position to make use of it. Steps should be taken to get that money released.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The law and order situation in Bihar has worsened since the imposition of President's Rule there. Recently a big docoity took place n the Saharsa Distict and some persons have been subjected to inhuman treatment. Even then no action was taken by the Government.

The Committee of Members of Parliament, appointed to help to maintain law and order should be given more powers. So that they may recommend to suspend an officer if he may be found guilty.

There has been constant demand for setting up of Mithila University. The demand should be accepted. Mithila language should also be included in the eighth Schedule of the Constitution.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : A case of corruption has been pending against an under Secretary in the Bihar Government. The officer is responsible for the large scale irregularities and even then he has not been suspended. Attempts are being made to shield him.

Jute is exported from Bihar in large quantity. The jute grower are not getting the price fixed for the jute by the Government. As a result of it there is less production of jute this year. The matter should be looked into so that the jute growers may not run away from jute cultivation.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : संथाल परगने में कोढ़ के रोगियों की संख्या अत्यधिक है। इस प्रयोजन के लिये कुछ धन राशि दी गयी है। परन्तु सरकार को इस प्रयोजन के लिये और अधिक धन-राशि दी जानी चाहिये क्योंकि मुख्य रूप से आदिवासी लोग ही इस रोग से पीड़ित हैं। 3 विकास खण्डों में तीन वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है, अत: इन क्षेत्र को राहत पहुँचाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह आरोप लगाया गया है कि कुछ धर्मप्रचारक प्रलोभन आदि दे कर आदिवासियों का धर्मपरिवर्तन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच की थी परन्तु इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इस प्रकार के आरोप लगाया जाना उचित नहीं है। मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से इस आरोप का खण्डन करना चाहिये।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : It is understood that the Judge, who had enquired into firing in Muzaffarpur, has declared the same as unjustified. I would like to know from the hon'ble Minister whether any action has been taken against the persons who have been found guilty on account of this unjustified firing ?

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Bihar Government had assured that the villagers, who have been deprived of their lands and houses owing to Kosi Project, will get land and houses in exchange thereof. About two lakhs of people have been affected because of this project. Government have not made any arrangements for the rehabilitation of these people and instead they have started realising the loan with interest thereon from them forcibly. I would like to request the Government to at least remit the interest on the loan keeping in view the economic conditions of the people of this area and also write off loan given to the inhabitants of the villages falling in between two embankments.

The District Judges who were posted there have been transferred within a year because of rampant of bureaucracy. The law and order situation is being deteriorated. There have been several incidences of dacoity, theft, killing and looting in this area. Government should pay immediate attention towards this problem.

Shri Chandra Shekhar Singh (Jehanabad) : There is Punbun river in our district. There was a scheme of construction of a canal out of this river which could irrigate lakhs of acres of land. I want to know whether Government would take steps to implement this scheme ? Second thing is that due to scarcity of electricity in Gaya district there are inadequate facilities of irrigation in that area. Last year we were assured that electricity would be supplied to this area in order to provide adequate irrigation facilities but no steps seem to have been taken in that direction. I would, therefore, like to know the measure taken to provide irrigation facilities in the said area ?

As a result of recent strike in Ayurvedic College 91 students are still in prisons. They have not been provided apropriate class in the jail keeping in view the academic qualifications, I also want to know whether their demands will be accepted and Government would release the arrested persons ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There is President's rule in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The bureaucracy is rampant in these states though the Parliament and Legislative Assemblies are very much in existence. In my opinion a committee of Members of Parliament elected from the above states should be set up which may be treated as Mini-Parliament which should have powers similar to state Assembly or Parliament so that the proposed mini-Parliament may have some control over the state administration.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri Vidya Charan Shukla**) : It is not possible for me to answer all the points raised with regard to the local problems at present. We shall consider these points and hold an enquiry wherever necessary.

The Government is of the view that President's rule should not be imposed but if at all necessary it should be for the minimum period. With the cooperation of all concerned we shall try to hold mid-term poll and it is hoped that popular Governments will soon be setup in the states where President's rule has been promulgated. In case we agree to the suggestion of Mini-Parliament, then duration of President's rule has to be extended. I think this Parliament do not mean this thing.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जावे" ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में 91 विपक्ष में 26

Ayes 91, Noes 26

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

*फादर फैरर की गतिविधियां
FATHER FERRER'S ACTIVITIES

अध्यक्ष महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा होगी ।

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जिन व्यक्तियों को इस विषय पर बोलने के लिये चुना गया है उनमें आप का नाम नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : On 9th August there was a discussion on the activities of Father Ferrer in this House. The House was informed by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs that Maharashtra Government had objected to the activities of Father Ferrer because of two reasons viz. (i) his activities had created problem of law and order and (ii) he was converting the poor people to Christianity by giving temptations. The Central Government accepted the views of Maharashtra Government that Father Ferrer may be expelled from the State. They further stated that as Maharashtra Government consider his activities objectionable, he may go out of the country for a month or two, but if some other State wants him he may stay in that State. Central Government would not object to it.

On the other hand the supporters of Father Ferrer say that it is wrong to say that he is propagating Christianity. He is simply helping the farmers. He is arranging food, fertilizers, improved seeds for the farmers and working for the promotion of agriculture.

In fact Father Ferrer had come to India in 1952 and staying in Manmad since 1958. He is representative of several Christian institutions. Moreover he had appealed for funds through an advertisement published in a newspaper of Canada. It was mentioned in that advertisement that Father Ferrer is propagating Christianity in India and he wants to give money to the poor people of that country in order to convert them to Christianity. Father Ferrer has converted 10 thousand persons to Christianity and 250 youngmen are in the waiting list. He wants money for this purpose. Father Ferrer has stated that he has not given that advertisement but some of his friends have done this job. Moreover Father Ferrer has not denied that he needs funds. I want to know if Father Ferrer is not propagating Christianity then why lakhs of rupees pertaining to Catholic Church are being spent for this agitation and why so much literature is being distributed ? It is clear that he is a Missionary and the main aim of his life is to propogate Christianity.

It is said that he has been working for the welfare of the farmers and he has set up a 'Seva Mandal' for this purpose. This Mandal has set up a trust also which receives money from outside the country. Father Ferrer has spent about 4 crore rupees so far. Various foreign Christian institutions are financing this trust. This is nothing but misuse of foreign money which must be stopped.

Moreover none of the farmers is a member of the Governing body of the said 'Sewa Mandal'. All the office bearers of this Mandal are Government officials. Some of these officials took part in the agitation launched against expelling Father Ferrer from India.

I may point out that only Central Government should have the power to decide whether a particular foreigner should be allowed to stay in this country or not. The State Government should not be empowered to decide such issues.

Father Ferrer has been staying in India for the last 16 years and in Manmad district for the last 10 years. I want to know whether his activities became objectionable only in 1967 or 1968 or they were objectionable even prior to that ? If his activities were objectionable earlier also Central Government should have taken this action earlier.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : There is least doubt about the fact that Maharashtra Government have found the activities of Father Ferrer objectionable and the State Government had recommended to the Central Government that he should be expelled from the State. When this matter came before the House, different views were expressed. Some hon'ble Members were of the view that he should stay there because he has been doing lot of service to the farmers, while some others were of the view that it would be against the interest of our country to allow him to stay in this country any longer. We decided to remove him from that place as his stay there has resulted in controversy. We had said that if some other State is prepared to accept him, he can go and stay there. In fact we do not want that such a controversy should be arisen in our country and therefore we have left this matter to the descretion of State Governments. We have decided, therefore, that knowing fully well the activities of Father Ferrer, if some State is prepared to allow him to stay in their State, we would have no objection.

The present position is that Father Ferrer has applied for visa in which he has stated that he would like to work in Andhra Pradesh and Gujarat. We have referred this matter to the concerned States. Government of Gujarat have informed us that they are not prepared to accept him. We have not yet received any communication from Andhra Pradesh.

So far the question of Nagaland and other border areas are concerned, we have different policy altogether. We do not allow any foreigner to go to these areas. If a foreigner wants to stay in the areas where there is no risk, his application would be considered in consultation of concerned State Government.

I would like to request that we should not give political colour to this issue. If some missionaries violate rules and regulation meant for the foreigners action has to be taken against them. We want to decide the present issue pertaining to Father Ferrer within the framework of this policy.

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागपुर): श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत भ्रांत्तिजनक विचार को मैं दूर करना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि स्थानीय कृषकों द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया परन्तु ऐसी बात नहीं है । मैंने काफी समय मनमाद में बिताया है और वहां के निवासियों से बातचीत की है । मनमाद क्षेत्र के किसानों ने स्वेच्छा से करीब 5 लाख रुपये अपने क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए दिए । महाराष्ट्र शेतकारी मण्डल का लेखा एक व्यावसायिक लेखाकार द्वारा रखा जाता है ।

यह बड़ी दुःख की बात है कि कुछ स्वार्थी तत्व फादर फैरर के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं । दिल्ली में इस सम्बन्ध में पुस्तिकाए वितरित की जा रही हैं जो हिन्दु समाज के कुछ वर्ग के लोगों की हठधर्मिता का परिचायक है । ऐसी बातें धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं ।

भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे इस कार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । हाँलाकि इस सम्बन्ध श्री नगर और दूसरी जगह सभाए हो चुकी हैं । फादर फरार को इस लिए भारत छोड़कर चले जाना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र के सरकार के मध्य उनके सम्बन्ध में वाद-विवाद छिड़ गया था । फादर फेरर के अन्दर रचनात्मक कार्य करने की अभिरुचि थी । प्रधान मंत्री ने सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया था कि फादर फरार के विरुद्ध लगाए गए अरापों व अभियोगों की जाँच की जाएगी तो क्या गृह मंत्री सभा के पटल पर प्रतिवेदन को रखने के लिए तैयार हैं जिससे सबको वास्तविकता मालूम हो सके, दूसरा फादर फरार ने आरोपों के साबित न होने की दशा में स्वैच्छिक रूप से भारत का नागरिक बनने के लिए आवदेनपत्र दिया है। क्या भारत सरकार उसको भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे आश्चर्य हो रहा है श्री सोमानी ने विदेशी की तुलना भारतीय नागरिक के साथ की है। यह पूर्णतया गलत है। जहां तक स्वतंत्र जाँच का सम्बन्ध है, हमने अपने साधनों से इस प्रकार की जाँच कर ली है। इस प्रकार के प्रतिवेदन न सभा पटल पर रखे जाते हैं और न इसे जनता को बताया जाता है। हमें यह भी पता है कि फादर फेरर का यहां ठहरना स्थनीय लोगों के हित में नहीं होगा। ऐसी हालत में उन्हें चले जाने को कहा गया। अभी हमारे पास उनका कोई आवेदन पत्र नहीं आया है जिसमें भारतीय नागरिकता की मांग की गई हो।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Before I put my question, let me make it clear that I am not against the christianity or christians. But I would certainly say that no Father should indulge in the activities whicb might be against the interest of the country.

Maharashtra Government has reported that Father Ferrer indulged in anti-national and other destructive activities ; and thus when a person is found guilty of indulging in such activities, why should he be permitted to settle and in so other State ?

Why are the Central Government pressing or asking other various states about their accepting Father Ferrer ? Do they want to prove that the Maharashtra Government's action was wrong ?

Secondly, certain films in the U.S.A. show that Father Ferrer did a creditable work and the Indians are all ignorant and foolish as also uncivilised. They are poor and so funds should be collected for them. He is collecting money also on this pretext. Is it not against the self respect of the Indians ? We condemn it. Will the hon. Minister see that such films are not shown in India ? We do not want such money also.

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of putting pressure on any State. We ourselves conducted inquiries and have taken decisions. I do not want to repeat the reasons why we are asking the states to give their opinion.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): पादरी फ़ेरर के विरुद्ध हम इसी आधार पर कुछ पा सकते है कि वह धन के बल पर अथवा अन्य अवैध साधनों से धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मैंने मन्त्री महोदय को दो सप्ताह पहले एक पत्र लिखा था परन्तु उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि उससे सम्बन्धित जानकारी श्रेणी-बद्ध न हो तो मन्त्री महोदय वह जानकारी मुझे दें।

दूसरे यहां यह कहा गया है कि ईसाई धर्म तो ठीक है परन्तु विदेशी धर्मप्रचारक नहीं चाहियें। परन्तु जब आप विदेशी डाक्टरों, विशेषज्ञों आदि को नहीं डरते तो फिर विदेशी मिशनरी के साथ यह भेद भाव क्यों है जो कि आकर यहां लोगों की सहायता करता है, उनको शिक्षा प्राप्त कराता है, चिकित्सा सम्बन्धी आराम देता है। और फिर ऐसे लोग देश में कितने हैं। मन्त्री महोदय उनकी संख्या बतायें ? भारत में 84% प्रतिशत हिन्दूओं के मुकाबले ईसाई केवल 2%प्रतिशत हैं।

परन्तु नागालेंड, मिजो लेंड अथवा कहीं अन्य भी यदि कोई देश-विरोधी कार्य करता है तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। परन्तु निराधार निष्कर्ष नहीं स्वीकार करने चाहिये। अपने महान धर्म के विरुद्ध आप लोग असहनशील न हूजिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे इस बारे में तो अधिक कुछ नहीं कहना है परन्तु संक्षेप में विदेशी मिशनरी के बारे में हमारी नीति यह है कि जो मिशन यहां कार्य कर रहे हैं उनमें प्रगतिशील भारतीयता हो। अधिकाधिक भारतीय उनमें कार्य करें। कानूनी और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं परन्तु जो कार्य एक भारतीय कर सकता है उसके लिये विदेशी को क्यों

बुलायें। अतः इस हेतु हम किसी विदेशी को प्रायः अनुमति नहीं देते। इस नीति का पूरी तरह अनुकरण करते हैं।

श्री लोबो प्रभू : परन्तु क्या उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूँ कि यह उचित नहीं था कि पादरी फेरर को वहां रहने दिया जाये।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल): यह प्रसन्नता की बात है कि मन्त्री महोदय ने विदेशी मिशनरियों की सीमावर्ती क्षेत्रों में न जाने देने की बात स्वीकारी है तथा इसका अर्थ है कि वह इस खतरनाक समझते हैं।

हम यह काफी समय से सुनते आ रहे है कि विदेशी मिशनरियों का अंग्रेजी साम्राज्यवाद के आने का धोतक है। परन्तु यहां यह बात नहीं है कि कोई विदेशी बुरा है, अंग्रेज बुरे हैं या उनका शासन बुरा है। लोकमान्य जैसे लोग कहा करते थे कि हमें अच्छी सरकार की अपेक्षा अपनी स्वयं की सरकार चाहिये।

और फिर जब देश में गरीबों वनवासियों तथा आदि जातियों की भलाई के लिए समाज कल्याण विभाग मौजूद हैं तो फिर पादरी माइकेल स्काट तथा पादरी फेरर की क्या आवश्यकता है। पादरी फेरर जब गोआ में थे तब यह कहा गया था कि उन्हें तुरन्त स्पेन वापस भेज देना चाहिये। यही आशय महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रकट किया है। दूध का जला छाछ को भी फूंक लेता है। फिर केन्द्र सरकार क्यों आन्ध्र प्रदेश सरकार आदि से पूछना चाहती है।

अतः पादरी फेरर को भारत में बसने और काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार दिनांक 29 अगस्त, 1968/भाद्र 7, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Elevcn of the Clock on Thursday, August 29, 1968 / Bhadra 7, 1890 (Saka).

Tirth Raj Press, Allahabad